Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २ | तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का ७ वां दिवस | संख्या ६

मंगलवार, दिनांक १६ अक्टूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ११·५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, समाज कल्याण, सार्वजनिक निर्माण, वन, स्वायत्त शासन, यातायात, सिंचाई, स्वास्थ्य, वाटरवर्क्स एवं चिकित्सा-विभाग]

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या १६२

उप-मंत्री, जनसम्पर्क (श्री भीमसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अगली टर्न पर दे सकेंगे। गृह मंत्रीजी स्वयं देंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका टर्न कहीं निकल नहीं जावे, यह बहुत महत्व-पूर्ण प्रश्न है।

(श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री, सदन में प्रविष्ट हुए)

श्री भीमसिंह : He has come.

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, उत्तर बाद में देने की क्या बात है ? मुझे तो इसका जबाब भी मिल गया है।

सरकारी विज्ञापन

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री, जन-संपर्क विभाग यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) राज्य सरकार ने गत वर्ष से फरवरी-मार्च, १९६२ तक किन किन पत्रों को कितने कितने रुपये का सरकारी विज्ञापन प्रकाशनार्थ दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या जिन जिन पत्रों को विज्ञापन दिया गया वह किसी निश्चित नीति के आधार पर दिया था ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जाय।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) वांछित सूची सदन में पेश है।

(श्री मथुरादास माथुर)

(२) जिन जिन पत्रों को सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा विज्ञापन दिये गये थे वे निश्चित कार्य-प्रणाली के आधार पर वितरित किये गये थे :

इस विभाग में कई प्रकार के विज्ञापन प्राप्त होते हैं, जिन्हें मूलत: दो वर्गों में बांटा जा सकता है, वर्गीकृत और डिस्प्ले । वर्गीकृत विज्ञापन भी कई तरह के होते हैं जैसे टेन्डर, सूचना, नीलाम, नियुक्ति आदि आदि

वर्गीकृत विज्ञापन सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से मिलते हैं । उन विज्ञापनों पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा यह लिखा रहता है कि वे विज्ञापन किन किन पत्रों को दिये जायं । विज्ञापन को पढ़कर यह देख लिया जाता है कि आया वह विज्ञापन जिस पत्र को जा रहा है उससे विज्ञापन के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं आया वह पत्र बन्द हो गया है या अनियमित है, साधारणतया विभाग द्वारा की गई सिफारिश पर ही कार्य किया जाता है ।

जहां तक डिस्प्ले विज्ञापन का प्रश्न है उनका ले आउट भी विभाग द्वारा तैयार करवाया जाता है और उन्हें विशेष अवसरों, गणतन्त्र दिवस, १५ अगस्त, २ अक्टूबर और प्रचार सप्ताह आदि पर वितरित किया जाता है जिसके आदेश राज्य सरकार से विभाग पहले ही ले लेता है ।

इसी कार्य-प्रणाली को ध्यान में रखकर विज्ञापनों का वितरण किया जाता है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कितनी स्टेन्डिग के पत्र को आप विज्ञापन देते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जिन पत्रों को गवर्नमेन्ट रिकग्नाइज करती है उनको यह विज्ञापन दिये जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछता हूं कि कितनी लाइफ के पत्र को आप विज्ञापन देते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : पुराने रूल्स के हिसाब से तीन महीने से चले हुए अखबार को, जहां तक मुझे याद है ।

श्री भैरोंसिंह : ६ मन्थ्स होंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : तीन महीने ।

श्री भैरोंसिंह : वीकली ।

श्री मथुरादास माथुर : एनी पेपर ।

श्री भैरोंसिंह : डेली के लिये कुछ ज्यादा है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां, पर अब हमने रूल्स बना दिये हैं और वे अब विचाराधीन हैं सरकार के । जल्दी ही लागू कर दिये जावेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : ये जो आपने विज्ञापन दिये हैं उनमें क्या आप यह बता सकते हैं कि नये रूल्स बनने के पहले जो नीति थी, जिसको आपने हाउस में कई बार बताया है, उसके अनुसार कुछ ऐसे पत्रों को भी आपने विज्ञापन दिये हैं कि जिनकी तीन महीनों की स्टेन्डिग नहीं थी ?

Page No 3

श्री मथुरादास माथुर : हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : फिर यह हो सकता है क्यों दिये गये, यह कैसे हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : कभी कभी हम कुछ ऐसे पत्रों को विज्ञापन देते हैं कि जो सोवेनीर है या सोशल परपज सर्व कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सोवेनीर जैसों को छोड़ कर जो खाली इलेक्शन की दृष्टि से इलेक्शन पीरियड तक निकले थे ऐसे पत्रों को किस आधार पर आपने विज्ञापन दिये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसों को देने का पता नहीं यानि जो नाम मेरे पास नहीं हैं, उनको दिये गये हैं या नहीं, यह नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : लिस्ट में नाम हैं उनके?

श्री मथुरादास माथुर : लिस्ट तो पूरी है। पर किस पत्र के बारे में आप बता रहे हैं कि उसे आउट ऑफ दी वे जाकर दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : जो राजस्थान के बाहर का पत्र है, उसे किस आधार पर आपने विज्ञापन दिया जब कि उसका नाम मात्र का भी सरकूलेशन नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : उनका कभी कभी कोई खास इश्यू निकलता है तो देते हैं वैसे अमूमन नहीं देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस साप्ताहिक को सबसे ज्यादा विज्ञापन दिया है उसका नाम मात्र का भी सरक्यूलेशन राजस्थान में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान के बाहर तो है ?

श्री मथुरादास माथुर : कौनसा अखबार?

श्री भैरोंसिंह : विशाल राजस्थान, कलकत्ता।

श्री मथुरादास माथुर : इसका डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान में है।

श्री भैरोंसिंह : कितना है ? बतला सकते हैं। राजस्थान में है ही नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : उसका डिस्ट्रीब्यूशन जरूर है, एक्चुअल फीगर्स तो मैं बाद में बता दूंगा कि प्रेस कमीशन ने कितना बताया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्वान्टम ऑफ एडवरटाइजमेंट के बारे में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है ?

श्री अध्यक्ष : डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिस्क्रीशन है अब तो नये रूल्स बन रहे हैं।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सर्कूलर के आधार पर भी पत्रों को विज्ञापन देने की नीति है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : अब तो सरकार के पब्लिक रिलेशन्स बोर्ड ने एक सब-कमेटी बिठाई है इस बारे में रूल्स और नीति निर्धारित करने के लिये। उस सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और उसके अनुसार केटेगरीज मुकर्रर कर दी गई हैं सर्कूलेशन के बेसिस पर; ए. बी. सी. डी.। इसी आधार पर रेट फिक्स की जावेंगी और इसी आधार पर विज्ञापन दिये जावेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या यह माना जाय कि अब जिस प्रकार से बोर्ड ने सिफारिश की है उसी आधार पर आगे एडवर्टाइज़मेंट दिये जायेंगे ? तो क्या वह नीति सरकार ने मान्य कर ली है ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी यद्यपि बोर्ड ने जो रूल्स बनाये हैं वे पास नहीं हुए हैं, लेकिन उसके अलावा मार्च के बाद से अब तक करीब करीब उसी नीति का पालन कर रहे हैं जो कि बोर्ड ने सिफारिश की थी। आगे के लिये अब वे रूल्स पास हो जायेंगे तो उस तरह से करेंगे।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : पब्लिक रिलेसन्स बोर्ड ने एक सब कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट भी बता दें तो ठीक हो।

श्री मथुरादास माथुर : स्वामीजी भी उसके मेम्बर थे। रिपोर्ट गवर्नमेंट के विचाराधीन है। फाइनेन्स मिनिस्ट्री में एग्जामिन हो रही है। एग्जामिन हो जायगी तो गवर्नमेंट सेंक्शन हो जायगी और उस रिपोर्ट को हाउस में रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि मिनिस्टर महोदय द्वारा डाइरेक्ट जो विज्ञापन दिये गये हैं उन विज्ञापनों के हजारों रुपयों के बिल डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के ऑफिस में बकाया पड़े हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : पड़े हैं तो ऑफ़िस उनको एग्जामिन करता होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऐसे बिल कितने हजार रुपयों के हैं ?

मथुरादास माथुर : Notice is wanted.

श्री भैरोंसिंह : कितना कम से कम सरक्यूलेशन हो उसको आप रिकोग्नाइज़ करते हैं।

श्री अध्यक्ष : न्यू रूल्स इसके लागू कर दिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : न्यू रूल्स का सवाल नहीं है कवेश्चन है जनवरी, दिसम्बर और फरवरी के महीने का।

श्री मुरलीधर व्यास : लोकवाणी को ११,७४६) रु०, राष्ट्रदूत को ५,६०३) रु० और नवज्योति को २१,०२०) इनमें इतना फर्क होने का क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर : फर्क होने का कारण इतना ही है कि जब पेपर्स को एडवरटाइजमेंट दिया जाता है तो सरक्यूलेशन का ध्यान रखा जाता है, उसकी रेग्यूलेरिटी का ध्यान रखा जाता है और पेपर की युटिलिटी का भी ख्याल रखा जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि वह अपने डिस्क्रीशन को डिस्क्रिमिनेटरी मैनर से नहीं बरतेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : मंत्री महोदय यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि डिस्क्रीशन का तो सवाल नही है क्योंकि हाउस के सामने एक कमेटी अपोइन्ट की थी। उसने रूल्स बनाये थे तो उन रूल्स के हिसाब से ही कार्यवाही आगे से होगी। अभी तक जो कार्यवाही की जा रही है उसका सवाल है तो सन् ५२ में यह सदन बना था उसके पहले का सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद का सवाल है उसके बारे में आश्वासन दिलाने की जरूरत नहीं है। वह आपरेशन में है। डिस्क्रीशन का तो यह है कि वह जुडीसस और एकार्डिंग टू रूल्स है।

श्री भैरोंसिंह : अभी तक का क्वेश्चन है। इस मामले में सरकार ने विज्ञापन देकर विरोधी दल से उस बात के आधार पर आलोचना करवाई है। नवज्योति को २१,०००) का एडवरटाइजमेंट दिया है और राष्ट्रदूत के ५०००) के फीगर्स को आप देखें। आप कहते हैं कि आप युटिलिटी को देखते हैं और पब्लिक सर्विस को देखते हैं तो राष्ट्रदूत और नवज्योति की सर्विस का कोई मुकाबला नहीं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रदूत का अन्य सब समाचार-पत्रों से ज्यादा सक्यूलेशन है तो फिर किस आधार पर नवज्योति को दिया गया है। उसका सक्यूलेशन कम है और उसकी कोई युटिलिटी नहीं। वह केवल एडवरटाइजमेंट के लिए पत्र निकलता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जनवरी और फरवरी के महीने में जितने भी एडवरटाइजमेंट दिये गये हैं, वे सब गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पॉलिसी के अगेन्स्ट में दिये गये हैं। अगर सरकार जांच कराये तो मालूम होगा कि बिल्कुल अनधिकृत रूप से दिये गये हैं। सरकार ने ऑथोरिटी नहीं दी फिर भी एडवरटाइजमेंट निकल गये और सरकार उनका पेमेन्ट करवा रही है।

श्री मथुरादास माथुर : उनके सबके बिल पेंडिंग हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह अंग्रेजी के अखबारों को जैसा कि इसमें दिया है-हिन्दुस्तान टाइम्स को ४१,१२३)रु० का, टाइम्स ऑफ इंडिया को ४४,८३५) रु० का, इन्डियन एक्सप्रेस को १५,०४५) रु० का और स्टेट्समैन को २१,१२१) रु० का था तो हिन्दी और अंग्रेजी में इतना फर्क क्यों हैं, हिन्दी के अखबारों को कम है और अंग्रेजी के अखबारों का ज्यादा क्यों है ?

श्री मथुरादास माथुर : पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एडवरटाइजमेंट निकलते हैं वे ज्यादातर ऑल इंडिया बेसिस के होते हैं वे इंग्लिश पेपर्स को दिये जाते हैं ताकि हिन्दुस्तान का कोई भी नेशनल एप्लाई कर सके। इसलिए ऑल इंडिया सक्यूलेशन के पेपर को देना पड़ता है। फिर अंग्रेजी अखबारों के रेट्स भी हाई होते हैं इसलिए उनका बिल जो है वह हाई हो जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राजस्थान की राजकीय भाषा हिन्दी है और अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवरटाइजमेंट हिन्दी के अखबारों में छपते हैं तो उस कानून की पूर्ति हो जाती है। इसके बावजूद भी अंग्रेजी के अखबारों को आप विज्ञापन देते हैं।

पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए होस्टल

१६३. श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि सांचोर में अभी तक पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए कोई होस्टल नहीं खोला गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार उपरोक्त जातियों की संख्या को देखते हुए सांचोर में ऐसा होस्टल निकट भविष्य में खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो वह कब तक खोल दिया जायगा ?

(३) क्या सांचोर में ऐसा होस्टल खोलने के लिए सरकार ने कभी पहले भी विचार किया था ? अगर हां, तो कब ?

Page No 6

उप-मंत्री, समाज-कल्याण विभाग (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां। जिन नियमों के अन्तर्गत राजकीय छात्रावास खोला जाता है उनमें सांचोर का नाम नहीं आता।

(२) संख्या के आधार पर सांचोर में छात्रावास नहीं खोला जा सकता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक साल पहले इसको खोलने की सिफारिश की गई थी तो उन कागजात का क्या हुआ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने जैसा कि आपको बतलाया कि संख्या के आधार पर वहां खोलने की संभावना नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि संख्या का मतलब क्या है, जनसंख्या से है या पिछड़ी जातियों से है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पिछड़ी जातियों से है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने कहा कि लड़कों की संख्या को देखते हुए तो क्या लड़कों की संख्या की जानकारी हासिल कर ली गई है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जानकारी हासिल करने के बाद ही उत्तर दिया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तहसील सांचोर में पिछड़ी जातियों के कुल कितने लड़के पढ़ते हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : संख्या का आधार तो डिस्ट्रिक्टवाइज चलता है। आपके जालोर डिस्ट्रिक्ट में तीन छात्रावास चल रहे हैं और तीन से अधिक चलाने की गुन्जाइश नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब तक जो चल रहे हैं उनमें लड़के भरती नहीं हो पाते हैं, उनमें एडमीशन नहीं मिलता है तो तहसील सांचोर में जितने लड़के पढ़ते हैं उनके लिए क्या इनको पर्याप्त समझते हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह प्रश्न अर्थ-व्यवस्था से संबंधित है। जितना सा फण्ड आता है उसके अनुसार खोले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज जैन (बाली) : क्या राज्य सरकार पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिए अलग से छात्रावास खोलने के अलावा इस नीति पर सोचती है कि जो राज्य में वर्तमान छात्रावास हैं वहां पर उनको पूरी छात्रवृत्ति देकर उनमें उनको भरती करायेगी ताकि समाज में सब को बराबर बनाना चाहते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां, गवर्नमेंट द्वारा ऐसा विचार किया जा रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पिछड़ी जातियों के होस्टल्स इस प्रकार से सारे राजस्थान के हर जिले और हर तहसील में खोले जाने की सरकार की योजना है?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

सड़क निर्माण

१६४. **श्री रामकिशन** (वैर) : [श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) द्वारा पूछा गया] क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भरतपुर जिले में नदबई और बैर तहसील केन्द्रों को मिलाने हेतु सरकारी कोई सड़क मिलाने की योजना है ? यदि हां, तो सड़क किधर से होकर जायगी और काम कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री भवानी-शंकर नन्दवाना) :—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १६५

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १६६

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

गृह कर

१६७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर शहर में किस आधार पर गृह कर लगाया जा रहा है ?

(२) क्या वहां गृह कर लागू करने के पूर्व वहां की नगरपालिका के प्रतिनिधियों को उस पर सोचने का मौका दिया गया था ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(३) क्या गृह कर लगाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

(४) क्या सरकार को यह विदित है कि सरकार की गृह कर सम्बन्धी नीति से सर्वत्र असन्तोष है ?

उप-मंत्री उद्योग (श्री चंदनमल वैद) : राजस्थान...........

श्री मुरलीधर व्यास : यह प्रश्न लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित है।

श्री चन्दनमल वैद : मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट से सम्बन्धित सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, इन्डस्ट्री का नहीं दे रहा हूं।

(१) राजस्थान, नगरपालिका अधि-नियम, १९५९ की धारा १०४ के अंतर्गत लगाया गया है।

(२) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि नगर-पालिका के प्रतिनिधियों को सोचने का मौका दिया जावे।

(३) जी हां। प्रति संलग्न है।

(४) जी नहीं।

(सम्बन्धित नियम कृपया विधान-सभा, पुस्तकालय में देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : इसके नियम कब बनाये गये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : सदन की मेज पर प्रति रख दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : मिली नहीं। दूसरी मिली लेकिन यह मिली नहीं।

श्री चन्दनमल वैद : १९६१ में बनाये गये ।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन की मेज पर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : गजट में छपे होंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (श्री कोलायत) : आपने पेरा ४ के जवाब में जी नहीं उत्तर दिया है जब कि उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा में पब्लिक मीटिंग्ज हुई, गृह कर का विरोध किया गया उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि असंतोष नहीं है ? जगह जगह कम से कम सौ मीटिंगें हुई है और आप कहते हैं कि असंतोस नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद : ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गृह कर को हटाने के लिये जो संशोधन करने की मांग की गई है क्या म्युनिसिपल कमेटीज के और जनता के ऐसे प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मेरी ऐसी मान्यता है कि इस सदन में सारी जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने जब यह कानून पास कर दिया है तो मैं समझता हूं सारी जनता का सहयोग प्राप्त है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप क्या समझते हैं, क्या नहीं यह प्रश्न नहीं है ।

श्री चन्दनमल वैद : मैं नहीं समझता हूं लेकिन डेमोक्रेसी का तरीका यही है कि जब हाउस पास कर देता है कि कर लगाया जाय तो सारी जनता का सहयोग मानना चहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न यह है कि आपके पास म्युनिसिपेलिटीज के प्रस्ताव आये हैं या नहीं ? कुछ म्युनिसिपल कमेटीज की तरफ से और जनता की तरफ से भी ?

श्री चन्दनमल वैद : जिन म्युनिसिपल कमेटीज की तरफ से प्रस्ताव आये हैं उनको लिख दिया गया है कि आपके प्रस्ताव अमान्य हैं, आपको टेक्स जरूर वसूल करना पड़ेगा । ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जिन्होंने प्रस्ताव भेजे हैं उनके वहां भी १ अप्रेल, ६२ से गृह कर लागू समझें ।

श्री मुरलीधर व्यास : डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जनता है जो आप, हम सबको यहां भेजने वाली है । गृह कर के विरुद्ध कोटा में आम हड़ताल हुई है, दूसरी जगह मीटिंग्ज हुई हैं । जनता का जहां तक सवाल है.......

श्री अध्यक्ष : आप बहस न करें । प्रश्न पूछें कि सरकार की नीति क्या है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्रीजी ने यह फरमाया कि जनता में असंतोष नहीं है, जनता इसलिये बड़ी है कि हाउस में जनता ही हमको भेजती है और जनता ने जगह जगह इसके विरुद्ध में मीटिंगें की हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि आपने जो टेक्स लगाया है वह किस ऐस्टीमेट के आधार पर लगाया है? कितनी इन्कम करनी थी जिससे टेक्स की सीमा को वर्क आउट किया है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझा नहीं आपके प्रश्न को। इसकी सीमा निर्धारित, जो ३०० रुपये तक.........

श्री भैरोंसिह : यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि कितनी आमदनी आपको वसूल करनी थी उसको निर्धारित करके आपने टेक्स की सीमा निश्चित की है ?

श्री चन्दनमल वैद : अलग अलग नगरपालिकाओं का टैक्स अलग अलग वसूल करेंगे।

श्री भैरोंसिह : यह प्रश्न बीकानेर का है। बीकानेर में हाउस टैक्स लगाया उससे कितनी अमाउन्ट आपको वसूल करनी थी जिसके आधार पर केल्कुलेट करके बतला दिया ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझता हूं यह प्रश्न से संबंधित नहीं है, नोटिस देंगे तो इत्तला देंगें।

श्री भैरोंसिह : यह टैक्स किस आधार पर लगाया है ?

श्री चन्दनमल वैद : सेक्शन १०४ के आधार पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कानून की तहत लगाया लेकिन बेसिस क्या है ;

श्री चन्दनमल वैद : कानून का ही आधार है।

श्री भैरोंसिह : कितनी इन्कम आपको करनी थी ? उस इन्कम के बेसिस पर कितने रुपये आपको वसूल करने थे हाउस टेक्स की मारफत ?

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य माफ करेंगे, प्रश्न इस बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : टेक्स भिन्न भिन्न है या एकसा ही है सब जगह ?

श्री चन्दनमल वैद : राजस्थान की चार म्युनिसिपेलिटीज को छोड़कर बाकी में टैक्स एक ही है। वे म्युनिसिपेलिटीज है; जयपुर, अजमेर, ब्यावर और एक और है।

श्री मुरलीधर व्यास : जिन टेक्सेज के लिये नोटिस जारी करना चाहिये था, ऐलान करके ओब्जेक्शन्स लेने चाहिये थे यह कुछ नहीं हुआ और गृह कर लगाया जा रहा है। उन लोगों के आपके पास प्रार्थना-पत्र आये उनको न सुन कर टेक्स क्यों वसूल किया जा रहा है ?

श्री चन्दनलल वैद : मैं निवेदन कर चुका हूं कि जिन म्युनिसिपेलिटीज ने टेक्स के लिये प्रस्ताव पास किये थे उनको लिख दिया गया है आपके प्रस्ताव अमान्य हैं, आपको टेक्स लगाना होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने प्रश्न पूछा कि जनता के प्रतिनिधियों की राय लेना आवश्यक था या नहीं, तो उत्तर दिया 'नहीं'। बिना किसी आधार के हाउस टेक्स लगाया जाता है यह कहां तक न्यायसंगत है।

श्री चन्दनमल वैद : यह कानून के आधार पर ही लगाया जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या मैं यह समझूं कि सरकार ओवरराईडिंग ओथोरिटी एक्सरसाइज करना चाहती है और म्युनिसिपेलिटीज की इच्छा के विरुद्ध टेक्स लगाना चाहती है, यदि ऐसा सरकार का विचार है तो मैं जानना चाहूंगा कि यह विचार और नीति जनतंत्र के सिद्धान्त पर आधारित है या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : सदन ने जो अधिकार सरकार को दिये हैं उन्हीं का उपयोग किया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इस आधार पर भी नोटिस देकर लागू करना चाहिये, यह नियम है या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : ऐसा कोई नियम नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बीकानेर में जितना हाउस टेक्स इम्पोज किया जा रहा है उससे कितनी रकम मिलेगी ?

श्री चंदनमल वैद : इसके आंकड़े नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिह : बीकानेर के हाउस टेक्स की रेट डिफरेन्ट हैं क्या ?

श्री चंदनमल वैद : नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बीकानेर का असेसमेन्ट कौन अधिकारी कर रहा है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन्स हैं ?

श्री चंदनमल वैद : यह अलग प्रश्न है। कानून से जिनको एसेसमेन्ट करना चाहिये वही करेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल काला-बादल ।

श्री रामानंद अग्रवाल : एक प्रश्न और है ।

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया, आप सरकार से जानकारी कर सकते हैं ।

(विराम)

श्री भैरवलाल कालाबादल ।

सवाई माधोपुर से जयपुर तक बड़ी लाइन

१६८. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर से जयपुर तक रेल्वे की बड़ी लाइन लाने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी की है ?

यदि हां तो मामला किस स्टेज पर है ?

श्री उप-मंत्री यातायात (श्री भीमसिंह) :

(१) जी हां ।

(२) रेल्वे अधिकारियों से इसको तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए लिखा जा चुका है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५७ में तत्कालीन रेल्वे मंत्री श्री जगजीवनराम ने टोंक में आश्वासन दिया था, उसकी सरकार को जानकारी है ?

Page No 11

श्री भीमसिंह : यह केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है।

श्री राधाकृष्ण : क्या राजस्थान सरकार को केन्द्रीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था, उसका ज्ञान है ? यदि है, तो इसको इम्पलीमेन्ट करवाने के लिये क्या प्रयत्न किया ?

श्री भीमसिंह : १८-४-६० को केन्द्रीय सरकार को इस बारे में पत्र भेजा है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या सरकार को मालूम है कि जयपुर से ६ बजे की गाड़ी से जाते हैं तो छोटे स्टेशन तक पहुंचने में जो कि माधोपुर से अगला स्टेशन है कितना समय लगता है ?

श्री अध्यक्ष : यह टाइम टेबल देख कर पता लगालें (हंसी)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : एक मुसाफिर जाता है तो रात को १२ बजे तक उसको पड़ा रहना पड़ता है जब कि कोटा हम ६ घंटो में पहुंच जाते हैं। माधोपुर से अगले स्टेशन तक जाने वाले को रात भर पड़ा रहना पड़ता है, दूसरे दिन १२ बजे तक पड़ा रहना पड़ता है। इस असुविधा को दूर करने के लिये राजस्थान सरकार ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा है क्या ?

श्री भीमसिंह : यह प्रयत्न किया जा रहा है कि यह असुविधा शीघ्रातिशीघ्र दूर की जा सके।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पत्र क्या लिखा है भारत सरकार को ?

श्री भीमसिंह : आप चाहें तो बतला दूं।

श्री भैरोंसिंह : चाहता यही हूं।

श्री भीमसिंह "The Ministry of Railway informed on 19-4-60 that they have been receiving requests, from time to time, for the construction of line from public members of Parliament as also from the State Governments and they desired, to enable the Board to examine the question in a proper perspective, within the limitations of funds available with the Central Government, a list of new lines in order of priority.

The following six Railway lines, in order of priority, were recommended on 18-7-60,

1. Bhatinda-Conversion into broad gauge.
2. Sawai Madhopur-Conversion into broad gauge.
3. Sambhar-Conversion into broad gauge.
4. Ratlam to Dungarpur via Banswara, Galihkot, Toda Rai Singh, Deoli, Bundi and Kota.
5. Chittorgarh to Kota.
6. Mathura to Gangapur via Karauli."

श्री भैरोंसिंह : इस लेटर को लिखने के बाद राजस्थान सरकार की तरफ से मैटर को पर्स्यू किया गया या नहीं ?

श्री भीमसिंह : दुबारा रिमाइन्डर दिया गया जिसका उत्तर अभी हाल ही में भेजा है सेन्टर ने जिस में यह लिखा है

"The Ministry of Railways intimated on 19-1-61 that owing to the limited allotment of funds for new lines during the third Plan, the construction of many projects had to be deferred."

श्री भैरोंसिंह : Many proposals have to be deferred. In many proposals राजस्थान के जितने भी प्रपोज़ल्स हैं वे सारे डेफर कर दिये क्या ?

श्री भीमसिंह : कम से कम चिट्ठी से तो ऐसा ही लगा ।

प्रश्न संख्या १६६

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७०

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन

(अनुपस्थित)

सांचोर सब-जेल की इमारत की मरम्मत

१७१. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि सांचोर सब-जेल की इमारत की मरम्मत पिछले सालों में नहीं कराई गयी है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण थे ?

(२) क्या यह सच है कि अगर सब-जेल सांचोर की इमारत की मरम्मत शीघ्र नहीं कराई गई तो इमारत गिरने का खतरा है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस बारे में शीघ्र निर्णय लेने का विचार रखती है? क्या नई इमारत बनाने में सरकार को खर्चा अधिक नहीं उठाना पड़ेगा ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) नहीं, यह सच नहीं है कि सांचोर सब-जेल की इमारत की मरम्मत गत वर्षों में नहीं कराई गई । पी. डब्ल्यू डी. द्वारा मार्च सन् ५८ में मरम्मत जेल इमारत की कराई और इसके अलावा १६६०-६१ में इस कार्यालय से भी ४५०) रु० की विशेष स्वीकृति से मरम्मत कराई गई थी ।

(२) इस वर्ष भी ६,०००) रुपये की विशेष स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है और अब निम्न कार्य चालू होने वाले हैं ।

(१) बरामदे में जंगला लगेगा ।

(२) चार दिवारी में कांटेदार तार सुरक्षा के लिये लगाये जावेंगे ।

(३) बंदियों की बैरकों में आवश्यक समय के लिये टट्टियों का निर्माण होगा ।

इमारत गिरजाने की कोई संभावना नहीं है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : १६६०-६१ में जो धन राशि बताई है वह इस मरम्मत में लगाई है ।

श्री मथुरादास माथुर : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

नारायण सागर परियोजना का निर्माण कार्य

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नारायण सागर परियोजना का कितना निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया गया और कितना ठेकेदारों द्वारा ?

(२) क्या यह सही है कि जुलाई सन् १६६२ में यह बांध टूट गया ? यदि हां, तो क्या इस बाबत कोई जांच की गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त बांध उस जगह से टूटा जहां का निर्माण कार्य विभाग ने किया था ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(४) क्या यह सही है कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व काम में ली जाने वाली मिट्टी टेस्ट कर ली गई थी और उपयुक्त पाई गई थी ?

(५) क्या यह सही है कि विभाग की ओर से जो निर्माण कार्य किया गया उस कार्य के निमित्त एक इंजीनियर उसी जगह रहता है ?

(६) इस बांध की मरम्मत में कितनी धन-राशि खर्च होने का अनुमान है ?

(७) क्या यह सही है कि जिस जगह से यह बांध टूटा है उसकी आजू-बाजू भी गुल्ले लगे हुए हैं और वहां से भी पानी का लीकेज हुआ है ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) नारायण सागर बांध पर कुल करीब ३२ लाख रुपये व्यय हुए हैं जिसमें ४ लाख विभाग द्वारा और करीब २८ लाख रुपयों का कार्य ठेकेदारों द्वारा करवाया गया है।

(२) जी हां। एक कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(३) जी हां। जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावेगी।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं। विभाग के द्वारा जो कार्य हुआ है उसी के निमित्त इंजीनियर नहीं रखा गया वल्कि पूरी योजना के लिए रखा गया है। जिसका हैडक्वार्टर समीप के गांव में है।

(६) मरम्मत में लगभग १५ हजार का खर्चा होगा।

(७) जी हां, पर अब वहां से पानी नहीं निकल रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कमेटी कौनसी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : यह कमेटी, जिसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इस प्रकार की कमेटी के आदेश हुए हैं। इसमें कलेक्टर, सुप्रिन्टेन्डिग इंजीनियर वी. एन्ड आर. होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कमेटी की नियुक्ति कब की गई।

श्री भीखाभाई : आपने मेरा उत्तर सुना नहीं। यह सरकार के स्टेन्डिग ऑर्डर हैं कि जहां कहीं ऐसा हो कमेटी बनाई जावे।....

श्री भैरोंसिंह (किशननोल, जयपुर) : हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं और आप भाषण दे रहे हैं।

श्री भीखाभाई : पांच-सात साल से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ब्रीच कब हुआ था और कमेटी कब बनाई गई ?

श्री भीखाभाई : ऐसा आदेश है कि जब कभी कहीं ब्रीच होता है तो सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर, वी. एन्ड आर. और कलेक्टर, पहले कमिश्नर थे अब कमिश्नर नहीं रहे इसलिए कलेक्टर हो गया है, कमेटी के सदस्य होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसका ब्रीच कब हुआ था?

श्री भीखाभाई : जुलाई में हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : कमेटी को अपनी रिपोर्ट कितने दिनों में पेश कर देनी चाहिये थी ?

श्री भीखाभाई : यह तो समय का प्रश्न है इसके लिये यह कहूंगा कि यह जुलाई में ब्रीच हुआ। टेकनीकल बातें हैं, इन पर विचार करना पड़ता है। एक साल में कर देना चाहिये।

Page No 14

एक माननीय सदस्य : क्या इसका नाम ऑटोमेटिक कमेटी है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बांध बन कर कब तैयार हुआ था ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक साल की मियाद आपने रिपोर्ट की बताई, यह एक साल का समय बहुत ज्यादा है। इस प्रकार की रिपोर्ट तीन महीनों में आ जानी चाहिये।

श्री भीखाभाई : मैंने यह नहीं कहा कि रिपोर्ट एक साल में होनी चाहिए। यह तो तो छोटा सा ब्रीच है। इसके संबन्ध में आप चाहते क्या हैं पूछना ? अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूं। इसकी टाइम लिमिट नहीं है। मैं समझता हूं कि रिपोर्ट जल्दी से जल्दी करने का सवाल है।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि इस ऑटोमेटिक कमेटी की एक भी बैठक अभी तक नहीं हुई है।

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिराम (तिजारा) : यह कमेटी कब से चल रही है और कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : अभी तो तीन महीने पूरे नहीं हुए हैं। इतनी जल्दी कैसे रिपोर्ट दे सकते हैं ?

श्री हरिराम : यह तो पहले ही टूट गया और पानी बिल्कुल नहीं लिया गया।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि जिस इंजीनियर ने वहां पर काम किया था और जिसके खिलाफ इन्क्वारी चल रही है उसको वहीं रखा गया है और दूसरे इंजीनियर उसको सहयोग दे रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिह : जिस इंजीनियर के काम में, ब्रीच हुआ है उसको वहां से क्यों नहीं हटाया जाता है ?

श्री भीखाभाई : यह आवश्यक नहीं है कि उसको वहां से हटाया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह प्रिलीमिनरी इन्क्वायरी किसने की ?

श्री भीखाभाई : मैं भी गया था। आप क्या पूछना चाहते हैं साफ साफ बता दें ताकि मैं आपको बता दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें जो साबित होता है वह साफ साफ बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या क्या बातें प्रीलीमीनरी इन्क्वायरी से मालूम हुई है ?

श्री भीखाभाई : ब्रीच के बारे में जो मेरी जानकारी है वह मैं आपको दे सकता हूं। इसका निर्माण ५८-५९ में हुआ और उस साल पानी बहुत पड़ा। ६॥ बजे के समय, ब्रीच हुआ और पाइपिंग शुरू हो गया। रात को इन्तजाम किया। ३ हजार गनी बेग्ज लगाए गये। मगर फिर भी पाइपिंग बढ़ गया। जो जाकर ७५ मील में शुरू हुआ। इसके बाद में सभी इंजीनियरों ने अपनी सारी की सारी ताकत लगाई और रोकने की कोशिश की गई। अब आप खास बात क्या जानना चाहते हैं सो आप बता दें।

(शोर गुल)

Page No 15

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप खास बात हो वह बता दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह बात सही है कि जितना काम निर्माण का विभाग द्वारा किया गया वह सब का सब बह गया।

श्री अध्यक्ष । नेक्स्ट, श्री कालाबादल।

हरिजन परिवारों को मकान हेतु जमीन

१७३. **श्री भैंरवलाल कालाबादल** (अकलेरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सन् १९६० में नगरपालिका, कोटा ने २३ हरिजन परिवारों को मकान बनाने हेतु जमीन के प्लाट देने की योजना बना कर सरकार के पास भेजी थी, तो उस योजना पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री चन्दनमल वैद) : जी हां, सन् ६० में हरिजन परिवारों के लिये १७० मकान बनाने की योजना नगर परिषद से प्राप्त हुई थी जिसको भारत सरकार के पास फरवरी, १९६१ में स्वीकृति हेतु भेजा गया। भारत सरकार ने उक्त योजना में कुछ टेक्नीकल आपत्ति कर संशोधन के लिये वापिस भेज दी जिसकी जांच की जा रही है।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : क्या हरिजनों पर भारत सरकार ही महरबानी करती है, राजस्थान सरकार नहीं कर सकती ? कहने का मतलब यह है कि कोटा में बड़े बड़े पैसे वालों को प्लॉट दिये जाते हैं और हरिजनों को नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) यह कांग्रेस सरकार की नीति का असर है।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : हरिजनों के बारें में राजस्थान सरकार की क्या नीति है?

एक माननीय सदस्य : बोट लेने की नीति है।

श्री हरिसप्राद (पाटन) : आपने फरमाया की जांच हो रही है। जांच किस की हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : भारत सरकार की ओर से क्या आपत्तिएँ उठाई हैं।

श्री चन्दनमल वैद : पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेंट की तरफ से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेंट।

श्री चन्दनमल : धन्यवाद इसके लिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There are Government orders that lands may be allotted to Harijans on a nominal annual rent of Re. 1 per bigha. I have applications with me.

श्री अध्यक्ष : यह भारत सरकार की योजना है। इसके अन्तर्गत यह योजना बनाई। उसके अनुसार बनानी पड़ी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : (छबड़ा) . अध्यक्ष महोदय, कोटा-चम्बल बांध बनने के बाद में आबादी बढ़ गई है। हरिजनों के लिये रहने को स्थान नहीं इसके लिये मैं नगर परिषद में चर्चा कर चुकी हूं। उनको बराबर आश्वासन दिए जा रहे हैं कि प्लॉट्स दिये जावेंगे। उनको या तो आश्वासन नहीं मिलना चाहिये था अगर आश्वासन मिलता है तो कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप आश्वासन मत देना उन लोगों को ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष-महोदय, जिस तरह का आश्वासन दिया उसको देखते हुए मैं तो यह कहूंगी कि सदन में आश्वासन देना ही नही चाहिये ।

श्री भैंरवलाल कालाबादल : यह योजना भारत सरकार से कब रिटर्न हुई और कब तक जवाब भेज दिया जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद : प्रायः तैयार है और भेजी जाने की स्थिति में है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सारे राजस्थान में हरिजनों के रहने के लिये मकान नहीं है और सरकार हरिजनों को जमीन देने का यहां उचित प्रबन्ध नहीं कर रही है ।

श्री चन्दनमल वैद : यह जमीन देने का प्रश्न नहीं, मकान देने का प्रश्न है ।

श्री जयनारायण (निवाई) : जमीन पर ही मकान बनते हैं, सरकार हरिजनों को जमीन नहीं देगी तो क्या वे आसमान में मकान बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द !

किशनगढ में नई सड़कें

१७४. **श्री बालचन्द डागा** (किशनगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्य में नई सड़कें बनाई जावेंगी ?

(२) क्या यह भी सही है कि किशनगढ़ में कई स्थानों पर नई सड़कें बनाने की मांग जनता ने की है ?

(३) अगर हां तो किशनगढ़, रूपनगढ़ व अराई तहसीलों व किशनगढ़ शहर खास में किस किस स्थान पर नई सड़कें बनाई जावेंगी ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) सूची प्रस्तुत है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री बालचन्द डागा : क्या जनता द्वारा मांग किये जाने पर किशनगढ़ में नई सड़कें बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिराम चौहान !

ग्राम चोरबसई में बांध

१७५. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील किशनगढ़, ग्राम चोरवसई में बांध बनाने हेतु सर्वे किया गया है ?

(२) यदि हां, तो सरकार की कब तक उक्त बांध का निर्माण कराने की योजना है ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी हां ।

(२) तखमीने की स्वीकृति के बाद ।

श्री हरिराम चौहान : कितने दिन योजना चलते हुए हो गये ?

श्री अध्यक्ष : कब एस्टीमेट का कार्य शुरू हुआ......

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : यह तो योजना के......

श्री अध्यक्ष : Order please!

क्या सरकार बता सकती है कि एस्टीमेट (तखमीना) बनाते हैं उसमें कितना समय आम तौर से लग जाता है ?

श्री भीखाभाई : इसमें समय की बात टेक्निकल चीज है......

श्री अध्यक्ष : मैं तो केवल तारीख पूछ रहा हूं कि कितने अर्से से विचार हो रहा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मेरे पास तारीख नहीं है ।

श्री भीखाभाई : तखमीना बना कर दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष : Since when has this Scheme been under consideration ?

श्री भीखाभाई : कब से विचाराधीन है, तारीख नहीं बताई जा सकती । तखमीना बन कर गया है ।

श्री अध्यक्ष : अब भी जल्दी करें ।

श्री तेजाराम !

स्टेट रोड़वेज की गाड़ियां

१७६. **श्री तेजाराम** (सोजत) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) स्टेट रोड़वेज की गाड़ियां स्टेट रोड़वेज की पोलिसी के लागू होने के बाद किन किन रूट्स पर टेम्परेरी परमिट्स से चली हैं ?

(२) उक्त रूट्स पर स्टेट रोड़वेज को कितना लाभ रहा ? हर साल का हर रूट के अनुसार बताया जावे ।

(३) उक्त रूट्स में से जोधपुर-रामदेवरा रूट पर इस साल टेम्पोरेरी परमिट्स लेकर स्टेट रोड़वेज की गाड़ियां न चलाने का क्या कारण है ?

(४) दि० १-८-६२ से १५-९-६२ तक स्टेट रोड़वेज के पास कितनी बसें पड़ी थीं जो किन्हीं रूट्स पर लगी हुई नहीं थीं और इस मसय के दौरान में कौन कौनसी गाड़ियां रूट्स पर लगीं व किस किस तारीख से लगीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उपमंत्री कृषि, (श्रीमती कमला बेनीवाल) :

(१) इन मार्गों पर टेम्पोरेरी परमिटों के आधार पर गाड़ियां चलाई गई :—

१. जयपुर नीम का थाना, पिलानी जून ६० से फरवरी ६१ ।

२. जयपुर-सीकर-पिलानी अगस्त, १९६० ।

३.	जयपुर-बीकानेर	.	सितम्बर-नवम्बर १९६० ।
४.	जयपुर-अलवर	.	सितम्बर, ६० से जनवरी, १९६१ ।
५.	जयपुर-कोटपूतली	.	सितम्बर, ६० से फरवरी, ६१ ।
६.	जयपुर-भरतपुर	.	सितम्बर, ६० से जनवरी, ६१ ।
७.	अजमेर-कोटा	.	सितम्बर, ६० से फरवरी, ६१ ।
८.	बीकानेर-नागौर	.	सितम्बर, ६० से नवम्बर, ६० ।
९.	बीकानेर-उदरामसर	.	सितम्बर, ६० से नवम्बर, ६० ।
१०.	जयपुर-मेड़	.	सितम्बर, ६० से जनवरी, ६१ ।
११.	रामदेवरा-जोधपुर	.	अगस्त, १९६० ।
१२.	रामदेवरा-जोधपुर	.	सितम्बर, १९६१ ।
१३.	अलवर-भतृहरी	.	अगस्त, १९६१ ।
१४.	अलवर-भतृहरी	.	सितम्बर, १९६२ ।

(२) उक्त मार्गों पर रोड़वेज को जो आय हुई उसकी सूची सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रख दी गई है। हानि-लाभ का ब्योरा कुल गाड़ियों का डिपोवार बनता है अतः यह डिपोवार दे दिया गया है।

(३) इस साल राजस्थान स्टेट रोडवेज के पास स्पेयर व्हीकल नहीं होने के कारण रामदेवरा मेले पर कोई गाड़ी नहीं लगाई जा सकी।

(४) दिनांक १-८-६२ से १५-९-६२ तक स्टेट रोड़वेज के पास केवल २६ गाड़ियां ही ऐसी थीं जो किसी भी रूट पर नहीं लग रही थी। इनमें से १२ गाड़ियां पांडव पोल के मेले में ३ से ५ सितम्बर, १९६२ तक लगानी पड़ीं और सभी गाड़ियां ५ से १० सितम्बर तक भतृहरी के मेले में लगाई गईं। ये दोनों मेले जयपुर-अलवर, राष्ट्रीय कृत मार्गों पर भरते हैं और नियमानुसार इस मार्ग पर रोड़बेज के अलावा किसी प्राइवेट गाड़ी को चलने का हक नहीं है। अतः इन बची हुई २६ गाड़ियों के अतिरिक्त और मार्गों की गाड़ियों को भी लगाकर मेलों का प्रबन्ध करना अनिवार्य था।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, सूची मुझे मिली नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि प्रश्न संख्या ३ में बताया, २६ गाड़ियां थीं तो वे गाड़ियां किन किन तारीखों को उन दिनों मेलों के रूट्स में लगी हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

गंगानगर में ड्रेनेज योजना

१७७. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री गंगानगर की जनसंख्या ६५ हजार से ऊपर है? यदि हां, तो क्या इस शहर में ड्रेनेज बनाने की योजना सरकार के पास विचाराधीन है? अगर है, तो किस स्टेज पर व कब तक निर्णय करने का विचार है?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री चन्दनमल वैद) : जी नहीं, आबादी सन् ६१ की मर्दुमशुमारी के मुताबिक ६४ हजार है। शहर की ड्रेनेज की योजना बन रही है। फैसला योजना बनने के बाद ही किया जा सकता है।

श्री केदारनाथ : अगर म्युनिसिपेलिटी गंगानगर मेकिंग ग्रान्ट के लिये मांग करे तो क्या सरकार नया दृष्टिकोण अपनायेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं निश्चितरूप से आश्वासन तो नहीं देता, पर अगर मेकिंग ग्रान्ट के लिये मांग की जाय तो मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

पुलिस द्वारा गोली चलाने के मामले

१७८. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) पुलिस द्वारा इस वर्ष डाकुओं के मुकाबले को छोड़ कर अन्य स्थानों पर कहां २ कब और क्यों गोली चलाई गई ?

(ख) पुलिस की गोलियों से कितने व्यक्ति मारे गये व कितने २ आहत हुए ?

(ग) क्या इन मामलों की मजिस्ट्रेट ने जांच की है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ?

कृपया जांच रिपोर्ट्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) :

(क) पुलिस को इस वर्ष (१९६२) सितम्बर के अन्त तक अशांत व दंगाई भीड़ को शान्त व तितर बित्तर करने हेतु ग्राम माजरा, जिला अलवर के जंगल में दिनांक २०-१-६२ को, ग्राम मांडली, जिला जालौर में दिनांक ५-३-६२ को, ग्राम बोरावड़ में जिला नागौर में, दिनांक २५-३-६२ को, ग्राम हेमासर, जिला चूरू में २५-५-६२ को, ग्राम झंझेऊ जिला बीकानेर में ४-७-६२ को तथा ग्राम कालियान, जिला गंगानगर में, दिनांक ९-७-६२ को गोली चलानी पड़ी।

(ख) पुलिस की गोलियों से ३ व्यक्ति मारे गये और १४ व्यक्ति घायल हुए।

(ग) इन घटनाओं के सम्बन्ध में पांच मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई जिनमें पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना न्यायपूर्ण माना गया। एक घटना में अभी जांच नहीं हो पाई है।

श्री कुमारानन्द (व्यावर) : पुलिस को इन स्थानों में गोली चलाने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री भैरोंसिंह : कौन से स्थान की जांच नहीं हुई है ?

श्री भीमसिंह : कालियान।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पांच कांडों की जांच कराने का फरमाया तो किन किन जगहों के कांडों की जांच कराई गई है?

श्री भीमसिंह : माजरा, मांडली, बोरावड़, हेमासर और झंझेऊ।

Page No 20

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या यह सही है कि झंझेऊ में लोग पुलिस को रिश्वत के पैसे नहीं देते थे, इस पर झगड़ा हुआ और पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। जिसकी कि जरूरत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह : जिन मजिस्ट्रेट्स ने इन मामलों की जाँच की है वे एग्जीक्यूटिव सर्विस के हैं या जुडिशियल सर्विस के ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : सेपरेशन के पहले तो एग्जीक्यूटिव सर्विस के ही थे। एक आध मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे। अब सब जुडिशियल सर्विस में काम कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या जिन स्थानों पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई इन मामलों की जाँच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कराई गई ?

श्री मथुरादास माथुर : अमूमन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स से ही ऐसी इन्क्वायरीज़ कराई जाती है, वो वहां नहीं हो तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एस. डी. एम. से इन्क्वायरी कराते हैं ? This is a magisterial Enquiry.

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि इन मामलों में से एक की भी जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कराई गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां, झंझेऊ में।

श्री भैरोंसिंह : क्या बाकी जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स उपलब्ध नहीं थे ?

श्री मथुरादास माथुर : झंझेऊ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जांच करवाई, बाकी जगह ऐसा है कि ज्यादा इन्टीरियर में हो, दूर हो एस.डी.एम. के नजदीक पड़ता हो तो एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस. डी. एम. से भी करा लेते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ६ जगह पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई और मंत्री महोदय की तरफ से बताया गया कि इन सब जगहों में कुल मिला कर १४ आदमियों को गोलियों की चोटे लगी हैं, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि अकेले झंझेऊ में पुलिस की गोलियों से २० आदमियों के गोलियों की चोटें लगी हैं, तो यह १४ की संख्या किस आधार पर बताई गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : उस आधार पर जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की जांच रिपोर्ट्स आई हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या पांचों इन्क्वायरीज़ की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : हम लॉ डिपार्टमेंट से जाँच करवा रहे हैं कि इस प्रकार की जांच रिपोर्ट्स को सदन की मेज पर रख सकते हैं या नहीं !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पुलिस द्वारा किये गये गोली काण्डों की जॉच रिपोर्ट्स को सदन की मेज पर रखने में सरकार को क्या ऐतराज हो सकता है ?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार विचार कर रही है ?

श्री भैरोंसिंह : जांच की रिपोर्ट्स सदन को देने से सरकार को ऐतराज क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : उन जांच रिपोर्ट्स के जो डिसीजन्स हैं वे सदन के सामने दे रहे हैं, पर पूरी कापी सदन की मेज पर रखी जाय या नहीं रखी जाय, इस बात को लॉ डिपार्टमेंट द्वारा एग्जामिन करवा रहे हैं। कभी यहां ऐसी कॉपी नहीं रखी गई, पार्लियामेंट में भी, जहां तक मेरा खयाल है, इस तरह की कॉपी नहीं रखी गई। अगर यह कन्वेन्शन है तो मैं समझता हूं किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर एग्जामिनेशन से यह पाया गया कि रखी जानी चाहिये तो रख दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन।

श्री मुरलीधर व्यास : १४ आदमियों के गोली लगने का जो जबाब दिया है वह बिलकुल गलत है ....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order Please !! Next Question.

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर ले देने दें। .....

श्री मुरलीधर व्यास : ये जो पांच-छः जगह गोलियां चलीं, अकेले झुंझुनू में २० आदमियों के गोलियां लगीं और उत्तर में कहा जा रहा है कि सब मिला कर सब जगहों पर १४ आदमियों के ही गोलियां लगीं, यह गलत उत्तर दिया गया है......

श्री अध्यक्ष : Order ! Order Please !! अगर आपको यह शिकायत है तो नियम के अनुसार मूव कीजिये, यहां क्या कह रहे हैं।

(विराम)

Next Question Shri Ramanand Agrawal.

अस्पताल में खराब दूध

१७९. **श्री रामानंद अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर के अलेक्जेन्ड्रा अस्पताल में फरवरी, १९६२ में जो दूध सप्लाई किया गया उसमें चर्बी (फैट) सामान्य औसत से बहुत कम पाई गई ?

(२) क्या यह सही है कि यह तथ्य अस्पताल के रेकार्ड में दर्ज है ?

(३) क्या अधिकारियों ने ठेकेदार के विरुद्ध खराब दूध सप्लाई करने के बारे में कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो क्या ?

उप-मंत्री स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां। सामान्य औसत से कम चर्बी वाले दूध की कीमत ठेकेदार के बिल में से इस प्रकार काटी गई है :—

कुल बिल की रकम २०८६.७४ न. पै.

जो रकम काटी गई है १७३४.८१ न. पै.

रकम जिसका भुगतान किया गया है ३५१.९३ न. पै.

Page No 22

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि अब भी वही ठेकेदार अस्पताल में दूध सप्लाई कर रहा है ? जिस ठेकेदार ने कि इस किस्म का दूध सप्लाई किया वह अब भी अस्पताल में दूध सप्लाई कर रहा है और उसका ठेका केन्सल नहीं किया गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अब तक ठेका केन्सिल नहीं किया है इसीलिये सप्लाई कर रहा है। एग्रीमेन्ट के अनुसार उसकी रकम काट ली गई है।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) ७५ नये पैसे का भाव होने पर ४५ न. पै. के भाव से ठेकेदार को ठेका दिया जाता है और ठेकेदार आधा पानी और पाउडर मिल्क को घोल कर दूध सप्लाई कर देता है और ठेकेदार आपके विभाग से अधिकारियों को पैसा आदि देकर खुश कर लेता है और इस प्रकार ज्यादातर अस्पतालों में रोगियों को पानी मिला दूध मिलता है ; तो क्या सरकार उचित नहीं समझती कि इस प्रकार की दूध सप्लाई की व्यवस्था की जगह बिल्कुल विशुद्ध दूध सप्लाई की समुचित व्यवस्था की जाय ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जिस अनुपात से फैट कम होती है उस अनुपात से एग्रीमेंट के अनुसार पैसा काटा जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि फूड एडल्टरेशन एक्ट के तहत उस ठेकेदार का चालान नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : आपका कॉन्ट्रेक्ट क्या यह है कि इतने परसेन्ट फैट होनी चाहिये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पूरा डिटेल्ड एग्रीमेंट में दिया हुआ है, उसके अनुसार जितना फैट कम होता है उस अनुपात से पैसा काट लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो उचित प्रतीत नहीं होता, दूध की प्योरिटी का माप दण्ड क्या है ? जितना फैट कम हो उतना पैसा काटे लिया जाता है पर रोगियों को तो शुद्ध दूध नहीं मिलता। कम से कम स्टैन्डर्ड तो होना चाहिये जिससे कहा जा सके कि दूध अच्छा है कि नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फूड एडल्टरेशन एक्ट के तहत मामूली दूध बेचने वालों पर दूध में पानी मिलाने पर दो दो सौ, चार चार सौ रुपया जुर्माना हुआ है और गवर्नमेंट होस्पिटल में जहां मरीजों के लिये इतने दूध की सप्लाई होती है उसमें पानी मिलाने पर ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एग्ज़ामिनेशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : तभी तो रुपया काटा है।

श्री भैरोंसिंह : कॉन्ट्रेक्ट के अनुसार दूध नहीं है तो डॉक्टर ने दूध लिया ही क्यों ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : और कोई साधन ही नहीं हो सकता था, मरीज़ों को दूध सप्लाई कहां से करते ?

श्री भैरोंसिंह : डॉक्टर ने एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट को देखा है, फिर भी उस दूध को क्यों लिया है। डॉक्टर का भी कुसूर है कि क्यों वैसा दूध लिया ?

श्री मुरलीधर व्यास : डॉक्टर दूध पहले ले लेता है । बाद में दूध आता है तो यह दिक्कत कैसे दूर हो ?

श्री अध्यक्ष : आप दिक्कत की बात ही हमेशा करते हैं । दिक्कत को दूर करने का कोई सुझाव तो दीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : उत्तर आने दें ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इन चीजों का ध्यान रखेंगे और कार्यवाही कराई जायगी ।

एक माननीय सदस्य : क्या ठेकेदार का चालान किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री लक्ष्मण प्रसाद

जयपुर से भरतपुर की बसें सिकराय होकर

१८०. **श्री लक्ष्मण प्रसाद** (सिकराय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार जयपुर से भरतपुर को जो बसें चलती हैं, उनको वाया सिकराय चलाने का है ?

(ख) अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या यह सही है कि ये बसें पहले सिकराय होकर ही चलती थी ?

उप-मंत्री कृषि, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जयपुर-भरतपुर मार्ग की दो बसे वाया सिकराय चलती है ।

२. जयपुर-भरतपुर मार्ग पर ५ मई, सन् १९६२ से दो बसें वाया सिकराय चलती हैं।

३. पहले राष्ट्रीयकरण से पूर्व इस मार्ग पर निजी मालिकों की एक गाड़ी जयपुर-भरतपुर वाया सिकराय चलती थी ।

श्री लक्ष्मण प्रसाद : जयपुर-भरतपुर रूट की कोई गाड़ी सिकराय से नहीं चलती है, वाया सिकराय कोई गाड़ी नहीं चलती ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि पहले एक गाड़ी प्राइवेट ओपरेटर्स की चलती थी, अब दो गाड़ियां चालू कर दी हैं ।

श्री मथुरेश बिहारी (बांदीकुई) : कब से चालू कर दी हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने पढ़ कर सुनाया । ५ मई से ।

श्री मथुरेश बिहारी : नहीं चालू है । क्या आप जांच करवा कर शुरु करेंगी ? क्यों नहीं चलती हैं, आप इसकी जांच करवाइये और जो सदन में इतला दी गई है वह सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : चलाने के आदेश हुए है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं जांच कर के बता दूंगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ।

सड़क तथा खुर्रे का निर्माण

१८१. **श्री उमरावसिंह** (बनेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No 24

(श्री उगरावसिंह)

(१) क्या सरकार की कोई योजना नन्दराय (तहसील कोटड़ी) से बिगोद तक सड़क बनाने की है ?

(२) क्या यह सही है कि नन्दराय से बीगोद होकर भीलवाड़ा जाने के लिये नन्दराय के बाहर ही एक नदी पड़ती है जिसकी वजह से मोटरें व अन्य वाहनों को आने जाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नदी पर एक खुर्रे का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री-भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं । केवल वर्षा के समय कठिनाई पड़ती है ।

(३) अभी यह कार्य इस योजना में स्वीकृत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द ।

विजयसागर बांध की मोरियां

१८२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अलवर के पास विजयसागर बांध की मोरियां न खुलने के कारण तेहडपुर, टोडियार, कड़की, डहरा आदि गावों की काफी भूमि गर्क रहती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस बान्ध की मोरियां खुल जाने से जट्टियाना, नागल, रायसीस आदि ७ गावों की जमीनों की सिंचाई हो सकती है ?

(३) क्या यह सही है कि लगभग २५-३० वर्ष पहले इस बांध की मोरियां खोली जाती थी ?

(४) क्या सरकार उक्त गांवों की जमीन गर्क होने से बचाने और जमीन की सिंचाई कराने की दृष्टि से इस बांध की मोरियां खुलवाने के लिए कोई कदम उठायेगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय-डांगी) : (१) साधारण वर्षा के सालों में इन गांवों की जमीन नहीं डूबती ।

(२) जी हां ।

(३) ऐसी सूचना है कि यह मोरियां केवल सन् १९१६-१७ में खोली गई थी ।

(४) यह तालाब अलवर महाराज की निजी सम्पति में है इस कारण इस विषय में विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जा सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार अपनी यह जिम्मेदारी नहीं समझती है कि किसी महाराजा की प्राइवेट प्रोपर्टी की वजह से किसी दूसरे आदमी की प्रोपर्टी को नुकसान न हो और महाराजा को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि अपनी सीमा में पानी को रखे और दूसरों की सीमा में न जाने दें ?

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय सदस्य, वहां के रहने वाले हैं । इतना जनता को समझा सकते हैं, तो महाराजा को भी समझा देते ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम तो सब को समझा सकते हैं और आप की इजाजत हो तो महाराजा को भी समझा दें ।

श्री अध्यक्ष : पहले आपको तो समझा दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इसको पब्लिक युटिलिटी के लिए एक्वायर करने का विचार करेगी ?

श्री दिनेशराय : अभी ऐसा विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

हिसाब की जांच

१८३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर नगर परिषद के हिसाब की जांच कब तक की हो चुकी है ? नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) अगर जांच नहीं हुई है, तो क्यों?

(३) सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री स्वायत शासन विभाग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) १९५९-६० के हिसाब की जांच हो चुकी है। ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

(३) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सामने ऑडिट रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाती हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार क्या करती है ?

श्री चन्दनमल वैद : कौंसिल को भेज दी गई कम्प्लायेन्स के लिए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कम्पलायेन्स न करने का कोई कारण......

श्री अध्यक्ष : Hypothetical question are not permitted.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९५१ से लेकर आज तक सैकड़ों ऑबजेक्शन्स हैं जिनकी आज तक कोई कम्पलायेन्स नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राजस्थान में मीटर किराया

१८४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : Will the Minister for water works Department be pleased to state:—

How much amount as meter rent is being charged per month in different cities of Rajasthan ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री-भवानीशंकर नन्दवाना) : The Metre rent as charged is as per enclosed list.

(कृपया परिशिष्ठ ४ देखिये)

श्री भीमसेन : बीकानेर में १।)रु० अधिक चार्ज करने का क्या कारण है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पहले के नियम बने हुए हैं उनके अनुसार चार्ज किये जा रहे हैं और सारे राजस्थान में एकीकरण के लिए नियम सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : सब जगह बढ़ा मत देना।

प्रश्न संख्या १८५

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर)

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का स्थान

१८६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं उसके उप केन्द्रों के स्थान का चयन करने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ? इस सबंध में विभाग तथा UNICEF ने क्या आधार निश्चित कर रखे हैं ?

उपमंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप केन्द्रों के स्थान पंचायत समिति द्वारा निश्चित किए जाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं उसके उपकेन्द्रों की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:—

(१) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां तक हो सके खण्ड के हैडक्वार्टर पर खोला जाना चाहिए। अगर पंचायत समिति स्वास्थ्य केन्द्र किसी दूसरे स्थान पर खोलना चयन करें तो उस गांव की जन संख्या ३००० या इससे अधिक होनी चाहिये और वहां पर आने जाने के साधन उपलब्ध हों और अगर उस पंचायत समिति में ३००० की जन संख्या नहीं हो तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उस खंड के सबसे ज्यादा आबादी वाले गांव में खोला जाना चाहिये।

(२) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थान का निर्णय करते समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि चुने गये स्थान से ५ मील के क्षेत्र में कोई दूसरी राज्य की डिस्पेन्सरी अथवा औषधालय नहीं हो एवं उसी विकास खण्ड से १०,००० रु० की धन राशि उपकेन्द्रों के निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध हो।

(३) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यदि ऐसी जगह स्थापित करना तय हुआ हो जहां पर राज्य की डिस्पेन्सरी अथवा औषधालय हो तो उस औषधालय को पंचायत समिति उसी खण्ड में किसी ऐसे स्थान पर स्थानान्तरित करने का निर्णय देगी जहां पर कि जनता १०,०००) रु० का दान देने के लिए तैयार हो।

(४) उप केन्द्रों के स्थान पंचायत समिति द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। जिसके लिए निर्णय लेते समय यह ध्यान रखा जाता है कि उप केन्द्र ऐसी जगह स्थापित किये जांय कि जिससे पंचायत के तमाम क्षेत्र को लाभ पहुंच सके।

(५) स्थान के चयन करने के बारे में यूनिसिफ की ओर से कोई आधार निर्धारित नहीं है

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

स्लाटर हाउसेज के बाईलॉज में संशोधन

१८७. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ ने अपने सक्यूंलर नम्बर एम. आई. एस/एफ९(२१०, डी.एल.बी./६१ के द्वारा सरकार द्वारा पत्र संख्या टेक्स (ए) एफ ४१५ डी. एल. बी. ता० ११ अप्रेल, सन् १९५७ के द्वारा स्लाटर हाउसेज़के लिए एप्रूव्ड बाइलॉज़ में निम्नलिखित संशोधन करने का आदेश दिया है।

"No female goats, cows, she buffaloes or any she animal would be slaughtered in any private slaughter house as long as the female animals are yielding milk; provided a certificate to that efect that female animals have ceased to yield milk would have to be obtained from the officer appoined by the Board for the purpose ....."

(ख) क्या इस प्रकार का संशोधन कर लिया गया है ? यदि हां, तो किस २ नगरपालिका में तथा कब २ ?

उप मंत्री स्वायत शासन (श्री चन्दनमल वैद) : (क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है। उपलब्ध होने पर माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि ऐसी गायों को मारने की सरकार इजाजत देती है जो ड्राई हैं और दूध नहीं देती हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : अमेन्डमेन्ट करने के लिए लिखा गया है। दूसरा आपने पूछा कि कहां कहां है मैंने बताया कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री भैरोंसिह : आप वह छोड़ दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद : उसके अलावा और कोई बात पूछना चाहें तो उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिह : मेरा प्रश्न यह स्पष्ट तौर से है कि क्या सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि जो गायें सूखी हैं और दूध नहीं देती हैं उनको स्लाटर हाउस में मारा जा सकता है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने आपको बताया...

श्री भैरोंसिह : मैंने स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टन एनीमल एक्ट के तहत गायें नहीं काटी जा सकती हैं। माननीय मंत्रीजी को यह मालूम होना चाहिये।

श्री भैरोंसिह : मैंने डेफिनेट स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है। क्या सरकार ने ऐसी गायों की जो दूध नहीं देती हैं और सूखी हैं उनकी हत्या करने की इजाजत दे दी है।

श्री चन्दनमल वैद : आपने जो पूछा है उसका जवाब मैंने दे दिया है। आपने यह पूछा है कि क्या इस प्रकार का संशोधन कर लिया गया है ? सूचना एकत्रित की जा रही है मैंने जवाब दिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का केटोगोरिकल ग्रान्सर मिलना चाहिये। The question is framed in precise and definite terms. There is no vagueness about it. He should give a complete answer.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि बाई लॉज में इस प्रकार का संशोधन होने के बाद राजस्थान के कट्टी घरों में जो गायें दूध नहीं देती है उनको कत्ल किया जा सकता है ?

श्री ग्रध्यक्ष : देखिये, किसी कानून या नियम का क्या मतलब निकलता है, उसको यहां नहीं पूछा जा सकता है। लीगल प्रश्न के इन्टरप्रिटेशन का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है ग्रत: यह प्रश्न डिस-ग्रलाऊ किया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जब डेफिनिट प्रश्न पूछा है तो उत्तर भी डेफिनिट ही मिलना चाहिये। 'हां' या 'ना' का उत्तर तो देना ही चाहिये।

श्री ग्रध्यक्ष : This is a question of interpretation of the Law.

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि डाइरेक्टर लोकल बोडीज़ ने सरक्यूलर इश्यू किया है, उसके पीछे सरकार की सेन्क्शन है।

श्री चन्दनमल वैद : ग्रापने जो प्रश्न पूछा है उसको पढ़ देता हूं :

"No female goats, cows, she-buffaloes or any she animal would be slaughtered in any private slaughter house as long as the female animals are yielding milk provided a certificate to that effect that female animals have ceased to yield milk would have to be obtained from the officer appointed by........"

श्री भैरोंसिंह.........

श्री ग्रध्यक्ष : जिस ग्रॉथोरिटी ने सरक्युलर भेजा है उसने किसी ग्रॉथोरिटी के ग्रन्डर भेजा होगा ग्रौर ग्रगर नहीं भेजा होगा तो बेकार है, इसलिए जवाब नहीं दे सकते।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछ रहा हूं कि सरकार की सेंक्शन से इश्यू किया है ?

श्री भीमसेन : (लूनकरणसर) : It is a legal issue.

श्री भैरोंसिंह : There is no legal interpretation......

श्री ग्रध्यक्ष : Was it referred to the Government before issuing.

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार के पास डाइरेक्टर ने भेजा था तो इस तरह का संशोधन करके भेजा था ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने कहा, 'जी हां'।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि जो मुख्य मंत्रीजी ने पिछले सत्र में ग्राश्वासन दिया था कि राजस्थान में गऊ की हत्या किसी प्रकार से नहीं हो सकती....

मुख्य-मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : ग्रभी भी स्थिति यही है।

श्री भैरोंसिंह : ग्रब तो सरक्युलर इश्यू कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस में लिखा है:

"No female goats, cows, she buffaloes or any she animal would be slaughtered in any private slaughter house as long as the female animals are yielding milk provided a certificate to that effect that female animals have to be obtained from the officer appointed by the Board for the purpose......"

जो दूध देती है उसको केवल स्लॉटर नहीं किया जा सकता, बाकी सबको किया जा सकता है, फीमेल गोट्स, काऊज सी बफेलॉज भी ।

श्री अध्यक्ष : इसमें सी बफेलो था....

श्री लक्ष्मणसिंह : Mr. Speaker Sir, it is specific and definite that dry animals are to be slaughtered.

श्री अध्यक्ष : फीमेल एनीमल का यह मतलब हो सकता है.. ....

श्री भैरोंसिंह : इसमें लिखा है काऊज । इसमें लिखा है : "No female goats, cows, she buffaloes or any she animals would be slaughtered......"

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे इसकी डिटेल्स मालूम नहीं हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इसके बाइलॉज में यह है तो भी काऊ स्लॉटर के बारे में स्पेशल लॉ है और उसमें प्रोहिबिट किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक काऊ स्लॉटर का सवाल है वह स्पेशल लॉ से प्रॉहिबिटेड है । इस वजह से, मैं समझता हूं, अगर बाइलॉज में कमी है तब भी परमिशन नहीं दे सकते । और यह देखने की बात है, इसकी डिटेल्स मैं नहीं जानता । बाइलॉज में यह बात कहीं आई है तो उसको एग्जामिन करेंगे कि किस वजह से आई है । वैसे उसको स्पेशल लॉ से प्रोहिबिट करते हैं और राजस्थान में यह मन्शा नहीं है कि काऊ स्लॉटर की इजाजत किन्हीं सर्कम्स्टान्सेज में दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह । १८८।

तालाबों की मरम्मत

१८८. श्री उमरावसिंह (बनेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि बनेड़ा व कोटड़ी तहसील में जागीरदारी उन्मूलन के बाद जागीरदारों के कब्जे में कुछ तालाब रह गये हैं ? यदि हां, तो कितने? उनकी सूची मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि उक्त तालाबों से सिंचाई होती थी ?

(३) क्या यह सही है कि इन तालाबों के पेटे जागीरदारों के खुद काश्त में है इसलिए इनसे पिलाई न कर इन तालाबों को खाली कर दिया जाता है?

(४) क्या यह सही है इन तालाबों की मरम्मत जागीरदार नहीं करा सकते इसलिए वहां के किसानों को पानी नहीं मिल सकता ?

(५) क्या सरकार इन तालाबों को अपने कब्जे में लेने का विचार रखती है ?

Page No 30

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर समय पर नहीं आने के कारण एक सप्ताह का समय और बढ़ाया जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, पहले हाउस में यह प्रश्न पूछा गया था जिसको करीब ५ महीने हो गये।

श्री अध्यक्ष: अब कृपया जल्दी नेक्स्ट टर्न पर उत्तर दे दीजिये।

श्री दिनेशराय डांगी: इस सवाल का जवाब देने को डिपार्टमेंट को भेजा गया, जिसने कलेक्टर भीलवाड़ा से सूचना मंगवाई है, उसमें देरी हो गई है।

श्री अध्यक्ष: आप कोई आदमी भेज कर मंगवा लीजिये।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

सड़क की मरम्मत

१८९. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तीसरी चौपड़ से सूरजपोल (गलता दरवाजे) तक जाने वाली सड़क की मरम्मत हो गई है? यदि हां, तो इसमें कितना खर्चा हुआ?

(२) क्या जयपुर नगर की गलियों की डामर रोड की मरम्मत की जवाबदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है? यदि हाँ, तो अक्टूबर १९६० के बाद कितनी ऐसी गलियों की व रोड्स की मरम्मत कराई गई?

(३) जयपुर नगर में भारी वाहन यातायात के दबाव को कम करने के लिये राष्ट्रीय मार्ग को जयपुर नगर के बाहर बनाने की योजना पर कितना कार्य हो चुका है?

(४) यह राष्ट्रीय मार्ग कब तक तैयार हो जायेगा?

(५) क्या इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय लिया है? और यदि हां, तो उस पर क्या अमल किया गया है?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नंदवाना): (१) जी हां, ५८,६०८ रु०।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चालू है।

(४) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त व चतुर्थ के प्रारम्भ में।

(५) जी हां। रिंग रोड बनाने के एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह अवाप्ति की कार्यवाही किस स्टेज पर है?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: कलेक्टर के यहां कागजात चल रहे हैं। इस साल तय हो जाय तो अवार्ड दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष: श्री भैरोंसिह।

सुजानगढ़ नगरपालिका को सब्सिडी

१९०. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सुजानगढ़ नगरपालिका किस श्रेणी की नगरपालिका है और कब से है ?

(२) सुजानगढ़ नगरपालिका को सन् १९६० से लेकर अब तक कितनी कितनी सब्सिडी मिली है और किस हिसाब से ?

(३) क्या नगरपालिकाओं को नगरपालिकाओं की श्रेणियों को आधार मान कर यह सब्सिडी दी जाती है ? यदि हां, तो फिर क्या सुजानगढ़ को भी इसी आधार पर दी जाती है ? यदि नहीं, तो इस नगरपालिका को सब्सिडी दिये जाने का क्या आधार है ?

उप मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद): (१) दिनांक ४-८-६० से सुजानगढ़ नगरपालिका, द्वितीय श्रेणी की नगरपालिका है।

(२) सुजानगढ़, नगरपालिका को १९६० से निम्न प्रकार सब्सिडी मिली है।

१९६०–६१

१. १२५०० रु० डेवलपमेंट वर्क्स के लिये।

२. ८४८० रुपये एडहोक डी. ए. के लिये।

१९६१–६२

१. ७५०० रुपये डेवलपमेंट कार्य के लिये।

२. ८४८० रुपये एडहोक डी. ए. के लिए।

डेवलपमेंट वर्क्स के लिये सब्सिडी इस हिसाब से दी गई है :-

१.	श्रेणी नगरपालिका	२०,००० रु०
२.	,, ,,	१२,५०० रु०
३.	,, ,,	१०,००० रु०
४.	,, ,,	७,५०० रु०
५.	,, ,,	५,००० रु०

सन् १९६१–६२ में इस निमित्त धनराशि की कमी होने के कारण नगरपालिका को केवल ७,५०० रु० ही दिये गये है।

एडहोक डी. ए. के लिये सब्सिडी एडहोक बेसिस पर दी गई है क्योंकि इनके वास्तविक खर्च के आंकड़े एग्जामिनर द्वारा वेरीफाई किए जाकर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(३) जी हां, सुजानगढ़ नगरपालिका को भी इसी आधार पर दी जाती है केवल १९६१–६२ में धन की कमी होने के कारण केवल ७,५०० रु० ही दिये गये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५००० हजार से अधिक कीआबादी वाले ग्रामों को सड़कों से जोड़ना

१९१. श्री केसरीसिंह (पाली) : Will the Minister for Public Works Department be pleased to state:—

Whether Government still intends to carry out its policy of connecting all villages having a population of 5000 and above by road during the Third Five Year Plan. If so, when does the Government intend to take up construction of a road to connect Kherwa village with Pali ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : Yes Since the population of village Kherwa is less than 5,000 souls hence the question does not arise.

श्री केसरीसिंह : क्या पांच हजार की आबादी नहीं है खेरवा की ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री केसरीसिंह : पांच हजार से ज्यादा है ?

श्री भवानी शंकर नंदवाना : १९६१-६२ के आंकड़े दिखवा लिये गये हैं, वहां की आबादी पांच हजार से कम है।

श्री अध्यक्ष : आबादी बढ़ाइये ज्यादा।

नगरपालिका पाली द्वारा क्रय

१९२. श्री छत्रसिंह (आहोर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज एक्ट-१९५९ की धारा ८० (५) के अनुसार कोम्पीटेन्ट ओथोरिटी की स्वीकृति लिये बिना एक मुश्त ५,००० रु० से अधिक व्यय के कितने कार्य अथवा कितनी वस्तुओं का क्रय वर्तमान नगरपालिका, पाली द्वारा किया गया है ?

(२) कुल कितनी धन राशि इस प्रकार अवैधानिक ढंग से खर्च की गई है और सरकार अब इस विषय में क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है।

उप मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) :

(१) केवल दो वस्तुओं की खरीद की गई है।

(२) रु० १६,४५५.९२ बगैर पूर्व स्वीकृति के व्यय किये गये। बिना स्वीकृति के खर्च करने के लिये जांच की जा रही है और जांच के फलस्वरूप आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

आसुधार शुल्क

१९३. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बांध बांकली, तहसील आहोर, जिला जालोर में सिंचाई के कारण वहां के काश्तकारों पर सरकार ने बटरमेन्ट लेवी लगाई है ? यदि हां, तो कब से और कितनी ?

(२) इस बाँध की सरकार ने मरम्मत करवाई है या नया बनवाया है ? इस मरम्मत या नये निर्माण में कुल कितना खर्चा हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मरम्मत कराने से पूर्व इस बांध से सिंचाई उतनी ही भूमि में होती थी जितनी अब होती है ? यदि नहीं, तो पहले कितनी भूमि में सिंचाई होती थी और अब कितनी में ?

(४) क्या यह सही है कि माननीय मंत्री महोदय ने दिनांक १७-८-६२ को बांकली में यह आश्वासन दिया था कि यह बेटरमेन्ट लेवी नहीं लगेगी ?

(श्री दिनेशराय डांगी)

श्री दिनेशराय डांगी (उप मंत्री, सिचाई):

(१) जी हां। ग्रासुधार कर चाही जमीन पर १५ रु०, बारानी पर ४५ रु० और सेवज पर ३० रु० प्रति एकड़ लगाई गई है। अगर यह कर किस्तों में अदा किया जावे तो दरें १६ रु०, ५४ और ३६ रु० क्रमश: होगी। यह कर संवत २०१७ की रबी फसल काटने के बाद से लिया जाना था।

(२) यह बांध टूटा हुआ था और इसको लगभग १० लाख रुपये की लागत से ठीक करवाया गया था।

(३) जी नहीं। यह बांध जोधपुर राज्य के समय में बनते ही फूट गया था इसके बाद फिर बांधने पर यह वापिस फूट गया। इस कारण इससे सिंचाई नहीं की जासकी थी। सिंचाई सन १९५६ में मरम्मत के बाद ही शुरू हुई थी।

(४) जी नहीं, माननीय मंत्री महोदय ने काश्तकारों को यही सलाह दी थी कि उन्हें जो ऐतराज हो उनको उजर के रूप में अधिशासी अभियन्ता को पेश करें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है जैसा कि आपने बताया था जोधपुर रियासत के समय कतई सिंचाई नहीं हुई थी?

श्री दिनेशराय डांगी : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन इस प्रकार का दिया था जो समाचर पत्रों में भी छपा है?

श्री दिनेशराय डांगी : समाचार पत्र तो वैसे ही छाप देते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

सड़क की मरम्मत

१९४. **श्री नाथूलाल करौल** (चाकसू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा सांगानेर हवाई अड्डे से सांगानेर रेल्वे स्टेशन तक जो २ माइल का सड़क का टुकड़ा है उसमें से १ माइल के टुकड़े की मरम्मत कराई गई है?

(ख) यदि हां, तो जो सड़क का बचा हुआ टुकड़ा है, क्या उसकी मरम्मत विभाग द्वारा कराने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण : (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) जी हां।

जी हां। इसी वर्ष। (ख)

म्यूनिसिपल बोर्ड, पाली

१९५ **श्री केसरीसिंह** (पाली): Will the Minister for Local Self Government be pleased to state:—

Whether Government is aware of the fact that the Municipal Board, Pali has been trying to encroach upon P.W.D land that lies within the boundary of the main road (from Jodhpur to Pali) near the Railway Station, by selling or

(श्री केशरीसिंह)

leasing it out to people, with permission to construct shops etc. on it ? Will this not make the narrow and usually crowded road still more narrow and increase the hazard of accidents which are already, quite common on this road ? Will the Government really take some effective and immediate action in this connection ?

उप मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद): The Government is not aware that the Municipal Board Pali is trying to sell or lease land with permission to construct shops on land that lies within the boundary of main road (Jodhpur to Pali) near Railway Station. The matter is being enquired into.

श्री केशरीसिंह: क्या यह सही नहीं है कि म्युनिसिपेलिटी ने पहले इस जगह की जमीन को ऑक्शन करने के लिये रिजोल्यूशन पास किया था किन्तु कलेक्टर ने इण्टर्वीन करके ऑक्शन नहीं होने दिया। जब म्युनिसिपैलिटी अलोटमेन्ट करने लगी तब भी कलेक्टर ने इण्टर्वीन किया। अब ९९ साल के लिये लीज आउट करके with permission to construct pucca building - as a matter of fact...मैंने पी. डब्लू डी. मिनिस्टर को यह सवाल एड्रेस किया था क्योंकि यह जमीन पी. डब्लू ड़ी. की है और म्युनिसिपैलिटी एन्क्रोच कर रही है। इस बारे में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री चन्दनमल वैद: आपने तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एड्रेस किया था।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिशचन्द्र): यह बात मेरे सामने कही थी, वहां के कलेक्टर से इस बारे में इन्क्वायरी कराई है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

हत्या के सम्बन्ध में गिरफ्तारी

१९६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १६-७-६१ को ग्राम भंवाड़ा में दो बच्चों की हत्या कर दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि हत्या की रिपोर्ट थाना किशनगढ़ (जिला अजमेर) में की गई ?

(३) यदि हां, तो इस मामले तफतीश का क्या परिणाम रहा ?

(४) क्या किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो किन किन और कब ?

उप मंत्री गृह (श्री भीमसिंह): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) तफतीश से तीन व्यक्ति अपराधी पाये गये अतः उनके विरुद्ध चालान अदालत में पेश किया गया।

(४) जी हां, उक्त तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, श्री हनुमानसिंह

(श्री भीमसिंह)

राजपूत व श्री मोहनियां दरोगा को दिनांक ११-११-६१ को तथा श्री रूपसिंह राजपूत को दिनांक २५-११-६१ को।

श्री भैरोंसिंह : यह केस चालान हुआ है क्या ?

श्री भीमसिंह : अदालत से फैसला भी हो गया है।

एक माननीय सदस्य क्या फैसला हुआ ?

श्री भीमसिंह : तीनों को बरी कर दिया है।

जंगलात का रकबा

१६५. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, भदेसर तथा छोटी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ तहसीलों में जंगलात का रकबा सन् १९५२ में कितना था और सन् १९६२ में कितना बढ़ गया ?

(२) जंगलात का रकबा बढ़ाने का क्या कारण है ?

(३) क्या जंगलात का रकबा बढ़ाने की कोई स्कीम सरकार ने पास की है ? यदि हां, तो कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री वन (निरंजननाथ आचार्य) : (१) जिस कदर रकबा बढ़ा व घटा है उसका नक्शा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) जागीर जंगल रिज्यूम होने से रकबा वेसी हुआ।

(३) जी नहीं। जंगलात का रकबा बढ़ाने की सरकार ने कोई स्कीम पास नहीं की है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री अब्दुल जब्बार : यह जो डिमार्केशन लाइन गांव तक आगई है वह किस प्रकार से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह अलग नियम के अन्तर्गत है, वह इससे संबन्ध नहीं रखती।

श्री अब्दुल जब्बार : प्रश्न जंगल से संबन्धित था, गम्भीरी प्रोजेक्ट के कारण जो जमीन डूब में आई थी उसको ज्यादा बढ़ा दिया गया; गांव तक डिमार्केशन कर दिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : फोरेस्ट से ही यह संबन्धित है।

श्री अब्दुल जब्बार : यह जमीन आगे कैसे बढ़ गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अपने आप बढ़ी है।

(प्रश्न संख्या १६६)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६८

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७०

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

(१२.१० म० प०)

जिला बांसवाड़ा में अनावृष्टि के कारण फसल नष्ट होने सम्बन्धी स्थगन–प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : जिला बांसवाड़ा में अनावृष्टि के कारण फ़सल नष्ट हो जाने एवं उसमें कीड़े लग जाने के बारे में श्री हीराभाई, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन–प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला इतना अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर विचार किया जाय। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं। माननीय मंत्री महोदय चाहें तो स्थिति का स्पष्टीकरण कर दें।

उप–मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती-कमला बेनीवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अकाल के संबन्ध में गंभीरता जाहिर करते हुए स्थगन–प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि इस प्रकार की कोई सूचना बांसवाड़ा जिले की किसी तहसील में अकाल की संभावना हो, हमारे पास नहीं आयी है। रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में भी इस प्रकार की सूचना नहीं है। कलेक्टर से कोन्टेक्ट करने पर भी यही मालूम हुआ कि रेवेन्यू ऑफिसर्स के जरिये या पंचायतों के जरिये ऐसी कोई सूचना कलेक्टर के कार्यालय में नहीं आई है। माननीय सदस्य के कहने से ऐसा पता चलता है कि जिले की कई तहसीलें अभाव ग्रस्त हैं लेकिन हमारे पास सरकारी तौर पर किसी भी विभाग में सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैं समझती हूं इस तरह से इस समस्या को इतनी गंभीरता देकर गलत रिप्रेजेन्ट करना सही नहीं है।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्री महोदया ने बताया कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, आपके विभाग के पास इस प्रकार के प्रस्ताव पास कर के आये हैं कि कीड़ों से वहां फसलें नष्ट हुई हैं। लोग झुन्ड के झुन्ड कलेक्टर के पास गये फिर भी मंत्री महोदय कहते हैं कि कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कौन-कौन से गांवों में हुआ है बता दीजिये।

श्री हीराभाई : बांसवाड़ा, घाटोल, बागीडोरा, कुशलगढ़ में यह स्थिति है। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि कीड़ों की रोकथाम वास्ते के पंचायत समितियों के लोगों ने इसके राहत के लिये १,६०० रुपयों तक की दवाइयां बांटी गई। माननीय कृषि मंत्रीजी को मैंने लेटर लिखा। चार तारीख को कलेक्टर साहब के पास शिकायत की। झुन्ड के झुन्ड लोग जलसा लेकर गये। अध्यक्ष महोदय, वहां की फसलें साफ हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष: आखिर क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे ?

श्री हीराभाई : मैं यह चाहता हूं कि सरकार रिलीफ के काम खोले या तालाब बन्ध वगैरह का काम प्रारम्भ करे और जिनके ऊपर दावे डिग्री आदि हो गये हैं वे जब तक उनकी आर्थिक हालत ठीक न हो, तब तक मुल्तबी रक्खे ।

श्री नाथूराम मिर्धा (अकाल सहायता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने जिस तरह से कहा कि सारी भूमि में कीड़ा हो गया और सारी फसल बरबाद हो गई इसके बारे में तो अभी हमारे उपमंत्री महोदय ने सदन के सामने तथ्य रक्खे ।

श्री हीराभाई : सात आठ तारीख को एक लैटर भी इस बात का मैंने मंत्री महोदय को भेजा था कि उनको रिलीफ दें और वहां अकाल की स्थिति जैसी हालत पैदा हो गई है, फसल समाप्त हो गई है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके लैटर लिखने से ही सारा काम थोड़े ही हो जाता है ।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये तो सही उनको।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बाद कीड़े कुछ जगह लगे यह हमें मालूम हुआ तो उन कीड़ों को नष्ट करने की हमने चेष्टा की । नष्ट हो भी गये । पर सब जगह हो गये हों ऐसी बात भी नहीं कहता । पर अब इस समय गिरदावरी चल रही है । अक्टूबर नवम्बर में गिरदावरी रेवेन्यू ओथोरिटी करते हैं । अब कहां कहां कितना क्या क्या नुकसान हुआ यह उनको वे रिकार्ड करावें, यह उनके लिये प्रोपर अवसर है । रिकार्ड होने में जहां कहीं इस प्रकार का नुकसान हमारे सामने आवेगा, वहां जैसे नियम हैं उनके मुताबिक कार्यवाही होगी और इसके अनुसार वहाँ कितना क्या रिलीफ वर्क जरूरी है इसकी जानकारी अपने आप मिल जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : Now श्री भीमसेन ।

श्री हीराभाई : थोड़ा माननीय अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां जितना नुकसान हुआ है उसे आप गिरदावरी में दर्ज करवा दें । यह उपयुक्त अवसर है । आप अपने इलाके में जहां इस तरह की हालत है वहां उन से कहिये कि वे गिरदावरी में उस नुकसान को लिखावें ।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं और मंत्री महोदय कहते हैं वह कहने के लिये तो बहुत सुन्दर और अच्छा लगता है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है । होता यह है कि ये पटवारी और गिरदावर तहसील में आते हैं, गांव में जाते हैं पर पूरा नुकसान जानते हुए भी दर्ज नहीं करते, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से दबाव पड़ता है कि वे कम नुकसान ही दर्ज करें । जहां दस आना हुआ है वहां छः आना ही करें । तो इस की डाइरेक्ट जांच होनी चाहिये। पटवारी लोगों को सरकारी अधिकारियों का आदेश दिया जावे कि वे सही रिपोर्ट करें । वरना मुझे तो विश्वास नहीं । ऐसी घटनाएं रोज घटती आ रही हैं । सरकारी अफसर ऊपर से उनको इशारा कर देते है कि नुकसान दस आना के ऊपर हो तो छः आना ही बतावें क्योंकि दस आने से ऊपर बतावेंगे तभी राहत और सहायता मिलेगी । पर अगर किसी तहसील पटवारी ने सही रिपोर्ट कर भी दी तो उसे तहसील और कलेक्टरी में बदल दिया जाता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): सरकार की तरफ से तो सही रिपोर्ट देने का आदेश है। यही मानकर चलना चाहिये।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री हीराभाई : वे हमारी आपकी तरह पढ़े-लिखे नहीं हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमारी तरफ से गिरदावरी के बारे में ये भी नियम बने हुए हैं कि जो सरपंच वगैरह हैं पंचायत के उनको भी गिरदावरी करते समय शरीक रखा जावे। अब गिरदावरी होने का सिलसिला चल रहा है। इस मौके पर कहीं भी ऐसी कठिनाई की स्थिति हो तो आप जाकर अपने हल्के के उन पंच सरपंचों को सतर्क करें कि सही स्थिति बताने के लिये पटवारी की मदद करें और अगर उनकी राय में मतभेद हों तो तुरन्त इसकी रिपोर्ट ऊपर करें ताकि आगे जाकर मामला ठीक हो जाय।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : Point of order, Sir.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : गिरदावरी करते समय सरपंच का सहयोग पटवारी प्राप्त करें, अगर इस तरीके को अपनाया जावेगा तो मेरे ख्याल में बहुत सी आपत्तियाँ हल हो जावेंगी।

मेरा अनुभव है कि इस तरीके को अभी तक अपनाया नहीं गया। यह परम आवश्यक है कि इसको अपनाया जावे। पटवारी और सरपंच के दरमियान तालमेल स्थापित हो। कुशलगढ़ भीलक्षेत्र है जहां पर खास करके मक्का की फसल उजड़ गई है इन कीड़ों के द्वारा तो उस आदिवासी क्षेत्र को कुछ न कुछ राहत मिलना, मेरे ख्याल से परम आवश्यक है क्योंकि आदिवासियों का स्टेपल फूड (मुख्य खाद्यान्न) मक्का ही है और जहां मक्का की फसल बिगड़ चुकी हो या नष्ट हो चुकी हो वहां पर आदिवासियों के लिये राहत पहुंचाना सरकार के लिये परम आवश्यक है।

दूसरी बात यह भी साथ साथ है......

श्री अध्यक्ष : आदेश तो अब भी है कि कोई गिरदावरी सही नहीं मानी जाती जिसमें पंच-सरपंच सम्मिलित न हों।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा अनुभव बिलकुल नहीं है। पटवारी गांव में जाता है, आराम से खाट बिछाकर किसी आम या नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और दो चार आदमियों को अपने रोब से बुलाकर और उनकी सलाह मशविरा से आर्बिट्ररी फैशन में इन्द्राज करता है। जो कभी सही और ठीक नहीं हो सकती, वह वहां बैठे बैठे ही आदमियों को पूछ-ताछ करके गिरदावरी भरता है। तो यह कभी सही नहीं हो सकती। और यह गिरदावरी ही बुनियाद है हमारे सारे स्टेटिस्टिक्स की जिसकी बुनियाद पर हमारी प्लानिंग और फूड प्रोडक्शन के आंकड़े आप निकालते हैं और प्लान तैयार करते हैं। तो जिसकी बुनियाद गलत है वहां आपके प्लानिंग और फूड प्रोडक्शन के आंकड़े भी अनिवार्य रूप से ही गलत हैं। जो फाउन्डेशन है गिरदावरी, वही ठीक नहीं है, गलत है तो सच क्या है ? इसलिये जैसा माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया है कि सरपंच और पंच पंचायत में और पटवारी के बीच में तालमेल स्थापित हो और इस को-आपरेशन से जो गिरदावरी तैयार होगी तो उससे बहुत कुछ आपत्तियां और गलतफहमियां इस सम्बन्ध में जो आज पैदा हो रही है, वे हल हो जावेंगी, आगे से पैदा ही नहीं होंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : Order! Order plese. !!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पटवारी को कम से कम सरपंच और पंच के दस्तखत प्राप्त करने चाहिये कि उनका सहयोग उसे प्राप्त हुआ या नहीं। नहीं तो उनमें तालमेल है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : असल में इन्स्ट्रक्शन्स है कि गिरदावरी करने जावे तो वहां के सरपंच को सूचना देने का नियम है। अब ऐसे कुछ केसेज हो सकते हैं कि कहीं पर सूचना देने के बाद भी समय पर पंच-सरपंच न आवे तो ऐसी सूरत में तो मजबूरी हो जाती है। पर इस बात के बारे में जरूर देखा जावेगा कि उनको निश्चित तौर से सूचना पहुंच जावे और इसके बाद भी वे न आवें तो इस लैप्स को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। पर सूचना उनको मिले इसके लिये और सरकूलर हम निकाल देंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सारी पंचायतों के मार्फत वितरण हों और पंचायतों की तस्दीक हो जावे तो आपको क्या ऐतराज है?

ग्राम खियेरा, तहसील लूणकरणसर में पुलिस चौकी की स्थापना सम्बन्धी ध्यान आकर्षित करना

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत ग्राम खियेरा, तहसील लूणकरणसर में डाकुओं की हलचलें रोकने के लिये एक पुलिस चौकी की स्थापना की आवश्यकता की ओर मैं माननीय गृह मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (गृह-मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, ग्राम खियेरा, तहसील लूणकरणसर में पुलिस चौकी कायम रहे और नेक्स्ट छः मन्थ तक रहे, इसके आदेश सरकार ने भेज दिये हैं।

श्री अध्यक्ष दूसरा आपका वक्तव्य ?

ग्राम बसाई नवाब में डाकूओं द्वारा लूटपाट करने सम्बन्धी गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री मथुरादास माथुर : दो एडजोर्नमेन्ट मोशन्स धोलपुर में एक डकैती और डकैती के फलस्वरूप वहां जो आंतक पैदा हुआ इसके सिलसिले में माननीय दो सदस्यों ने सदन में पेश किये। माननीय अध्यक्ष, इस बारे में सरकार की तरफ से बयान देने के लिये कहा गया और मुझे इस पर यह कहना है कि करीब तीस डकैत खाकी यूनीफार्म में बसाई नवाब गांव में ५-१०-६२ को करीब चार बजे पहुंचे और गांव में करीब करीब १६-१७ मकानों में वहां पर लूटमार की जिसके फलस्वरूप एक लाख आठ हजार सात सौ रुपये के कुल जेवरात और दीगर सामान डकेती में गया।

सामाचार मिला है कि यह डकेत जग्गा ठाकुर और माधोसिंह, आगरा डिस्ट्रिक्ट, यू० पी० के रहने वाले डकैतों के गेन्गस के

(श्री मथुरादास माथुर)

थे और उन्होंने डकैती क़रीब चार बजे शुरू की। पुलिस स्टेशन कोलारी को सूचना मिलने पर शाम को ६ बजे वहां से सब-इन्सपेक्टर, पुलिस और ५ आदमी जो उस वक्त थाने में मौजूद थे उनको लेकर घटना स्थल पर पहुंचे और पहुंचकर पुलिस और डकैतों के बीच में मुकाबला हुआ। क्योंकि शाम हो चुकी थी इसलिए डाकू गांव से निकलकर और जो स्टेंडिंग क्राप थीं, फसलें थीं उनमें छिपते हुए चम्बल के रेवीन्स की तरफ चले गये। उसके बाद में जब डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स को सूचना लगी तो एस० पी० भरतपुर और डी० एस० पी० धौलपुर दोनों अपने अपने आदमी लेके वहां पर पहुंचे और तब तक डकैत लोग काफी रेवीन्स में आगे निकल चुके थे, इस लिए मुकाबला नहीं हो सका। यह सूक्ष्म में डकती के वाकैयात है।

धौलपुर सब डिवीजन भरतपुर जिले का वह हिस्सा है जो आगरा और मध्यप्रदेश के इलाकों से मिलता है। उस तरफ ४-५ बड़े बड़े गेंग्ज जिनमें ३० से लगाकर ४०-५० आदमी तक हैं। वहां पर वे आपरेट कर रहे हैं और कभी कभी राजस्थान की तरफ भी वे लोग बढ़ते हैं और साल में औसत तौर से ४-५ डकैतियां की, इस धौलपुर के इलाके में और भरतपुर से मिलते जुलते बोर्डर पर, वारदातें हो जाती है। वहां राजस्थान की तरफ से अभी पूरी एक बटालियन धौलपुर, कोटा के कुछ इलाकों में, सवाई माधोपुर के इलाके में आर० ए० सी० की है। जगह जगह पर पोस्ट्स कायम किये हुए हैं। कुछ पोस्ट्स तो ओपरेशनल पोस्ट्स हैं और कुछ पोस्ट्स प्रोटेक्शनल पोस्ट्स हैं। अभी जब यह वकुआ हुआ तब हमारी फर्स्ट आर० ए०सी० भारत सरकार की ड्यूटी में राजस्थान से रवाना हो चुकी थी, १ तारीख को और यह वकुआ ५ तारीख को हुआ। उस वक्त रेग्यूलर सिविल पुलिस के स्टेशन पर पोस्टें तो लगी हुई थीं, मगर कई इलाकों में पोस्टों पर जितने आदमी होने चाहिये, क्योंकि बटालियन मूव हो चुकी थी उस वक्त नहीं थे। फिर भी दो कम्पनी इस बटालियन के हटने के बाद में ओपरेट कर रही थीं। अब उसके बाद में ७ तारीख के बाद एक हफ्ता मूवमेंट में लग गया है, मेवाड़ भील कोर और ए० ए० सी० और कुछ गंगानगर इलाके से आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी वहां से भेजी जा चुकी है और गवर्नमेंट ने माकूल इन्तजाम किया है। इसलिए माननीय सदस्य जो श्री रायसिंहनगर से आये हैं उन्होंने जो स्थगन-प्रस्ताव रखा था कि वहां पर फोर्स की कमी के कारण लोगों में आतंक है तो मेरा निवेदन है कि कोई फोर्स की कमी नहीं है, कोई फोर्स कम नहीं की गई है, कोई पुलिस स्टेशन कम नहीं किया गया है। जैसे पहले थे वैसे ही चले आ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां पर घबराहट और आतंक की जो आशंका है उसकी कोई गजायश नहीं है। डकैतियां होती हैं तो वहां पर बड़े बड़े गेंग्ज हैं उनसे एन्काउन्टर होकर उनका लिक्विडेशन हो तो यह मसला हल हो सकता है। वैसे औसत में ४ से लगाकर ६ तक, कभी ५ और कभी ६, यह ४-५ साल के फिगर्स है, डकेतियां इस इलाके में होती हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या यह सही है कि अब तक इतनी बड़ी डकैती धौलपुर के इलाके में नहीं हुई, क्योंकि वहां पर आर० ए० सी० की पोस्टिंग थी और जब उनको यह पता लगा कि आर० ए० सी० चली गई तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए डाकुओं ने सोचा ।

श्री मथुरादास माथुर : इसका तो जवाब डकैत ही दे सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं ? डाकुओं से पूछने तो आप भी नहीं जायेंगे और मैं भी नहीं जाऊंगा ।

श्री मथुरादास माथुर: ऐसी बात नहीं है । आर० ए० सी० की पोस्टिंग होते हुए भी साल में ५-६ वाकेआत होते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इतना बड़ा डाका कभी नहीं पड़ा कि वे ४-५ घन्टे तक लूटते रहे । वे वैल ड्रेस्ड थे और मिलिट्री की ड्रेस के अन्दर थे । इतनी बड़ी डकैती धौलपुर में कभी नहीं हुई । उसका कारण यह था कि वहां पर आर० ए० सी० की पोस्टिंग थी । आर० ए० सी० हटी और उनको पता लगा कि उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं और सिविल पुलिस के सिपाही कुछ नहीं कर सकते तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया ।

श्री मथुरादास माथुर : वहां उस वक्त दो आर० ए० सी० की कम्पनी लगी हुई थी; उन्हीं पोस्टों पर ।

श्री भैरोंसिंह : कौन कौन सी पोस्ट्स पर ?

श्री मथुरादास माथुर : पोस्टों के नाम तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता ।

श्री भैरोंसिंह : वहां पर नहीं थी ।

श्री मथुरादास माथुर : वहां थी मगर फोर्स जितनी रहती थी उतनी नहीं थी । वह ७ तारीख को पूरी पहुंची है । वह मैंने साफ अपने स्टेटमेंट में कह दिया है । दो कम्पनियां धौलपुर एरिया के अन्दर थीं और वर्तमान सिविल पुलिस स्टेशन पर जितने आदमी थे तो वहां पर जब इत्तिला पहुंची तो वहां से वे लोग चल दिये । फिर एस० पी० और डी० एस० पी० फोर्स लेकर चले गये । हो सकता है कि उनके दिमाग में यह हो कि आर० ए० सी० हटी है इसलिए बढ़ जाय, हो सकता है कि चम्बल का पानी इस वक्त कम हुआ है इसकी वजह से इधर बढ़ पाये । हो सकता है कि आगरा में डकैती करके आये थे तो वहां पर भी साथ साथ कर दी गई । अलावा इसके और क्या मोटिव था यह तो वे ही कह सकते हैं । मगर यह फाइंडिंग निकालने की जरूरत नहीं, डकैती हुई । उनका मुकाबला करने के लिए पुलिस बढ़ी थी फिर कभी मौका आयेगा तो मुकाबला किया जायगा ।

और मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो इन्सीडेन्ट ऑफ क्राइम बोर्डर पर आगरा और इधर मध्यप्रदेश को देखते हुए हमारे यहां वन-टेन्थ भी नहीं है, मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए, मगर फिर भी आर० ए० सी० के जवान और हमारी पुलिस सतर्क है । इसलिए आतंक की आवश्यकता नहीं है । डकैती कर डाली और वक्त का फायदा उठा लिया हो तो यह सिचुएशन हो सकती है या और भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यह फाइंडिंग सरकार ने नहीं दी है और न दे सकती है कि डकैतों ने क्यों किया है । एक फोर्स चली गई थी और दूसरी फोर्स मूवमेंट में थी, इस ट्रांजिशनल पीरियड में फोर्स की कमी रही इसको मैं कबूल करता हूं । अब लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है ।

Page No 42

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे पास जैसी इन्फोर्मेशन है उससे ऐसा लगता है कि डाकू लोग लगातार ५ घन्टे तक लूटते रहे और फोर्स अगर पोस्टिग पर होती तो ५ घंटे तक वह फोर्स क्यों न पहुंची ?

श्री मथुरादास माथुर : ४ बजे डकैत आये थे और ६ बजे हमारे आदमी पहुंच गये और मुकाबला हो गया। वहां पर रेविन्स इस तरह से हैं कि अगर डकैत सामने खड़ा होकर आवाज देता रहे तो भी आप उस डकैत को नहीं मार सकते हैं। उस जगह की ज्योग्राफिकल (टोपोग्राफिकल) कन्डीशन्स की वजह से फोर्स जो थी वहां पर ५ आदमी पहुंचे थे तो उन्होंने फायर किया और रिटर्न में डाकुओं ने भी फायर किया न हमारे आदमी मारे गये और न डाकू मारे गये और वे निकल गये।

श्री भैरोंसिह : मेटेरियल क्वश्चन तो यह है कि आर० ए० सी० को इसलिए वहां पर एलाट कर रखा था कि मध्यप्रदेश और यू० पी० के डाकू वगैरह धौलपुर के क्षेत्र में घुस आते थे और यह एप्रिहेन्शन था, इसलिए यह पोस्ट कर रखी थी। जैसे ही आर० ए० सी० हटी तो उसका फायदा उन लोगों ने उठाया और आपने उसी दिन दूसरे आदमी भेजने का प्रबन्ध नहीं किया।

श्री मथुरादास माथुर : आर्डर्स तो उस दिन दे दिये थे, लेकिन मूवमेंट में ३-४ दिन का गेप हो जाता है। यह कोई आटोमेटिक स्विच से तो नहीं होता कि झट स्विच दबाया कि एक आदमी के बजाय दूसरा आदमी वहां पर आजाय।

श्री हरिशंकर (धौलपुर) : गृह मंत्री ने यह कहा कि वहां पर ४-५ गेंग्ज ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर १८ गैंग्ज ऑपरेट कर रहे थे; धौलपुर, मध्यप्रदेश और यू० पी० के बोर्डर पर। अभी तक धौलपुर में इतनी बड़ी डकैती नहीं हुई तो उसका कारण यह था कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में आर० ए० सी० थी। और जैसा कि आपने फरमाया, कि २७ तारीख को वहां पर शाम को ४ बजे डकैती पड़ी, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि वहां पर लोग कन्टिन्युएशन में ५ घन्टे तक लूटे गये हैं। इतने बड़े कस्बे को लूटा गया है जो कि नामुमकिन है। आज से ८ वर्ष पहले इस तरह का वाकेया हुआ था। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आयन्दा भी पर्याप्त मात्रा में आर० ए० सी० भेजने की कृपा करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की पुलिस में इस संबंध में कोई ताल-मेल इन्टर-स्टेट बेसिस पर कोई को-ऑपरेशन है ?

श्री मथुरादस माथुर : जी हां।

एक सदस्य : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि धौलपुर में चंबल ७० मील के बोर्डर पर बहती है और कुछ राजस्थान में उसका हिस्सा है, कुछ यू० पी० में है और कुछ मध्यप्रदेश में है और सारे के सारे हिस्से में रेविन्स हैं। अब तक आर० ए० सी० के १३०० आदमी रहा करते थे, लेकिन इस समय कुल २०० आदमी मौजूद हैं और मंत्रीजी ने बताया है कि कुछ फोर्स और भेज रहे हैं लेकिन जो फोर्स भेजी गई है वह

(एक सदस्य)

पर्याप्त नहीं है। यदि आदमी नहीं आते हैं तो इस तरह का वाकेया फिर हो सकता है। बसई गांव वह गांव है जिसमें ३००० वोटर्स हैं और ७००० की आवादी का कस्वा है मंत्रीजी ने बताया है कि बाद में पुलिस वाले वहां पहुंचे लेकिन पुलिस वाला वहां कोई नहीं पहुंचा। यह बिलकुल गलत है कि पुलिस वाला वहां पहुंचा. स्वयं एस० पी० दो दिन बाद पहुंचे हैं।

(१२-५० म० प०)

राजस्थान जन-सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन पर विचार

श्री अध्यक्ष : जन सेवा आयोग का प्रतिवेदन।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जन-सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन पर, जिसकी प्रति दिनांक ४ मई, १९६२ को सदन की मेज पर रखी गई थी, विचार किया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय.........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इससे पहले मैं जानकारी चाहूंगा कि शायद मुझे ही नहीं मिली है या सब को नहीं मिली, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर गवर्नमेंट के कमेन्ट्स आने चाहिये थे, वे नहीं मिले।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यदि डिफर करते हों तो कवर अप होता, वरना अलग से करने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जो ओब्जेक्शन्स कमीशन ने किये हैं उन पर गवर्नमेंट के क्या कमेन्ट्स हैं वे हाउस को दिये जाते तो उन पर डिबेट होती।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, जन-सेवा आयोग की जो रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनके संबंध में मुझे बहुत कुछ कहना होगा। लेकिन इसके पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन प्रशासन का एक निष्पक्ष संरक्षक है, गार्जियन ऑफ इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, यह भी इसे कहा जाय तो अतिरंजन नहीं है। जनतंत्र के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन का होना और निष्पक्ष रूप से उसका संचालन होना परम आवश्यक है। वर्तमान स्थिति के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन परमानेन्ट या मुस्तकिल नहीं हैं, वे ऑफिशियेटिंग चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं और उनके साथ एक और मेम्बर है। मैं यह नहीं कहता कि इस कमीशन की न्युमेरीकल स्ट्रेन्थ कितनी हो, कितने सदस्य इस आयोग के अंदर हों, लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि चेयरमैन अस्थायीरूप से होना और एक ही दूसरा मेम्बर कमीशन में होना पर्याप्त नहीं है। इस महत्वपूर्ण कमीशन में कम से कम ३ सदस्यों का होना परम आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, जब संयुक्त राजस्थान की स्थापना उदयपुर में हुई उस समय हमारे माननीय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलालजी संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने उदयपुर आये थे। उस समय भी वर्तमान सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष यह समस्या रखी कि राजस्थान के शासन को सुचारू-रूप से चलाने के लिये उन्हें किसी बाहर के व्यक्ति की आवश्यकता नहीं हैं; वे कोई आई० सी० एस० लोगों को नहीं चाहते; बल्कि मैं नाम नहीं लूगा, लेकिन वहां के एक गणमान्य नेता जो लोक नायक के नाम से सुप्रसिद्ध हैं, उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री से यह माँग की कि जितने भी आई० सी० एस० ऑफिसर्स राजस्थान के अंदर उस वक्त थे उन्हें हटा लिया जाय, राजस्थान के शासन को स्वतंत्र रखने के लिये। ये लोग प्रतिक्रियावादी हैं, उनका रहना अहितकर होगा और जितना जल्दी उन्हें हटा दिया जाय उतना ही प्रशासनिक-रूप से अच्छा होगा मैं यह तो नहीं कहता कि आज भी राजस्थान सरकार की इस हद तक संकीर्ण नीति है, या संकीर्ण बुद्धि है। हमारा देश विशाल है और इस विशाल देश के अंदर हमें योग्यता द्वारा जितना भी लाभ मिल सके उसका लाभ हम अवश्य लें और लेना चाहिये।

मैं यह तो नही कहूंगा कि कोई व्यक्ति विशेष के संबंध में मैं छिद्रान्वेषण करूं, लेकिन खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ता है और यह भावना बहुत विस्तृत भी है कि जन-सेवा आयोग का चेयरमैन,हमारे राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी और मुख्य मंत्री महोदय एक ही क्षेत्र के, एक ही शहर से आये हों, यह मेरे ख्याल से प्रशासन के लिये भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसके सम्बन्ध में हम कॉन्फिडेन्स इन्सपायर कर सकें, हमारे विश्वास की भावना बढ़ा सकें, हमारी यह भावना बन सके कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है वह ठीक है और निष्पक्ष रूप से हो रहा है। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की चेष्टा करता हूं कि पी० एस० सी० के कम से कम तीन सदस्य हों और यथा शक्ति इसका चेयरमैन कोई न कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति हो जो राजस्थान का यथा शक्ति, यथा संभव न हो। बाहर से हो और यथा संभव वे अनुभवी हों यदि रिटायर्ड आई० सी० एस० ऑफिसर हों, तब भी बहुत अच्छा, यह असंभव नहीं है।

राजस्थान के अन्दर पहले भी बहुत योग्य दीवान रह चुके हैं और उन्होंने निश्पक्ष रूप से उनकी समझ के अनुसार, उनके सिद्धान्त के अनुसार और उस समय के अनुसार शासन प्रणाली यहां पर स्थापित की। आज भी जनतंत्र के सिद्धान्त के अनुसार हमें निश्पक्ष रूप से सर्विसेज को डिमोरेलाइज नहीं होने देना है और हमारे पी० एस० सी० को इस रूप से मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना है जिसके द्वारा जनसाधारण का विश्वास शासन में बढ़े और शासन निष्पक्ष हो, शासन के अंदर भ्रष्टाचार कम हो। ये सब बातें नियंत्रण आदि की शासन में कभी नहीं आ सकती जब तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन गार्जियन ओफ इम्पार्शियल, फर्म एंड साउन्ड एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व अपने ऊपर न ले।

इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, जो कमियां हैं, जो लेकुनाज़ हैं, जो बातें ऐसी हैं कि जो मेरे समझ में नहीं आई उन बातों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण इलूसिडेशन चाहूंगा, उनका भी मैं संक्षिप्त रूप में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वर्णन करना चाहूंगा। आर. ए. एस. की पोस्ट्स के लिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सम्बन्ध में ५३० उम्मीदवार इस परीक्षा के अन्दर सम्मिलित हुए। परीक्षा २४-१०-५६ से ११-११-५६ तक चली परन्तु इस रिपोर्ट की अवधि की समाप्ति की ३१-३-६० तारीख है, तब तक परीक्षा-फल डिक्लेयर नहीं हो पाये हैं। चेप्टर २, पेज ३, अपेंडिक्स ३ यदि देखा जाय तो इसमें स्पष्ट उल्लेख है। यदि मेरी जानकारी में या समझ में कुछ फर्क हो तो माननीय मुख्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें। फिर है एमर्जेन्सी, ६० एमर्जेन्सी पोस्टस के लिए आर. ए. एस. के सम्बन्ध में एडवरटाइजमेंट किया गया और उस एडवरटाइजमेंट के अधीन ३००५ एप्ली-केशन्स पेश की और ३००५ उम्मीदवार इस इम्तिहान के अन्दर बैठे। इम्तिहान २४-१२-५६ से ३०-१-६० तक जारी रहे और अभी तक इस इम्तहान का कोई भी परिणाम, यानी ३०-३-६० को जो कि इस रिपोर्ट की समाप्ति की अवधि है, तब तक कोई भी रिजल्ट, कोई भी परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। आर. जे. एस. एग्जा-मिनेशन के सम्बन्ध में ८० उम्मीदवार २६-१२-५६ से ३०-१-६० तक परीक्षा में बैठे। उनका भी परीक्षाफल ३०-३-६० तक नहीं डिक्लेअर हुआ है। मैं यह समझता हूं कि इस सम्बन्ध में भी सरकार की ओर से ढिलाई रही हैं और जो उम्मीदवार आर. ए. एस. और आर.जे.एस. के इम्तहान में बैठे हैं, उन्हें कोई न कोई रूप से उत्तर दिया जाना परमावश्यक था ताकि कम से कम उन्हें कोई अन्दाज बन सके कि उनके परीक्षाफल के सम्बन्ध में क्या फाइनेलिटी हुई। शीघ्रलिपि कर्मचारी, क्लर्क्स और हिन्दी टाइपिस्ट्स ४२१ और १८ क्रमशः इम्तहान में बैठे परन्तु रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है कि ये किस रूप में बैठे? क्या इनकी एप्लीकेशन्स किसी एडवटाइजमेंट के द्वारा इनवाइट हुई थीं या बिना इनवाइट किये किसी दूसरे आर्बिट्रेरी तरीके को अख्तियार करके यह इम्तहान लिया गया था, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं है जिसकी, मैं समझता हूं, आवश्यकता है। (अपेंडिक्स ३, पेज २०)

अध्यक्ष महोदय, ४२ उम्मीदवार ऊंची जगहों के लिए भरती करने की आवश्यकता हुई क्योंकि ४२ स्थान रिक्त हुए। पी. एस. सी. के द्वारा सरकार को यह इत्तला मिली कि इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए रिक्विजिट एबिलिटी और योग्यता का कोई उम्मीदवार उनके सामने या नजर में नहीं है इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिपार्ट-मेंटल हेड्स को यह सूचना दी कि वे इच्छा के अनुसार इन रिक्त स्थानों को भरें और पब्लिक सर्विस कमीशन की मंजूरी प्राप्त करें ये शब्द हैं, "to obtain concurrence of the Commission subsequently." अब वस्तुस्थिति क्या है, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इससे यह भी कल्पना हो सकती है कि सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच में कोई ऐसी अन्डरस्टेंडिंग है कि सर-कार को किसी व्यक्ति विशेष को रखना हो तो पब्लिक सर्विस कमीशन सिद्धान्ततः अगर रखने की भी सिफारिश न कर सके तो डिपार्टमेंटल हैड्स उस व्यक्ति को रखें और रखने के पश्चात कॉन्सीक्यूएन्सल सेंक्शन एज ए मेजर ऑफ फारमेलिटी प्राप्त करें। अगर यह भावना मात्र किसी में पैदा होती है तो मेरे ख्याल में यह एक घृणित बात है, It is most reprehensible thing,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल एक स्वतंत्र सत्ता है, एक अलग सत्ता है, उसको अलग सत्ता रहना चाहिए और सरकार और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच में इस रूप से यदि गठबन्धन की सम्भावना हो तो मैं आशा करता हूं—वैसे मैं कह रहा हूं कि वह गलत है, लेकिन यदि ऐसी सम्भावना हो और इस सम्बन्ध में कोई स्पटीकरण कोई सेटिसफेक्ट्री इलूसिडेशन हमें प्राप्त नहीं होता तो मैं कम से कम यह समझूंगा कि गठबन्धन है और अवश्य है और ऐसी हालत में यह एक बुरी चीज है। इस सम्बन्ध में भी मैं मंत्री महोदय का पेज ३, चेप्टर ४ के सम्बन्ध में भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसके विपरीत, अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिफारिश की कि १०४, १०६ व्यक्तियों को राजस्थान गवर्नमेंट सर्विसेज में एबजोर्ब किया जाय। यह सिफारिश इस रिपोर्ट में पहले की थी परन्तु इस

(१२-५७ म. प.)

(श्री केशरीसिंह, सभापति, पदासीन)

सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने इस सिफारिश पर कोई ध्यान नहीं दिया और न इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम लिया। इन नियुक्तियों को, जहां तक कि मैंने देखा है, निलम्बित रखा गया और इस सम्बन्ध में अपेंडिक्स ११, पेज ८० से ८६ तक जो विवरण है उसको देखने से भी एक हद तक स्पष्टीकरण होगा।

रीएम्प्लॉयमेंट के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि ३३ रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन्हें एक्सटेन्शन के द्वारा रिएम्प्लॉय किया गया। मैं समझता हूं कि सिद्धान्ततः यह रिएम्प्लॉयमेंट एक अच्छी चीज नहीं है। जो व्यक्ति, जो कर्मचारी रिटायर होता है उसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेशन के सम्बन्ध में आने वाला है, उसका एक तरह से रास्ता रोकना सिद्धान्ततः ठीक नहीं है परन्तु यह भी इसके साथ में अनुभव करता हूं कि अनुभवी व्यक्तियों की कमी के कारण ट्रेंड इन्जीनियर्स, हाइली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हाइली क्वालिफाइड फोरेस्ट ऑफिसर्स इत्यादि की, यदि अत्यन्त आवश्यकता हो तो केवल इस सूरत में उन्हें एक्सटेंसन दिया जाय परन्तु वह एक्सटेंशन यदि दिया भी जाय तो दो वर्ष तक एक्सटेंसन नहीं दिया जाय। सिद्धान्ततः वह एक्सटेंसन एक ही साल के लिए इन दी फर्स्ट इन्सा-टान्स देना उचित होगा। यदि आवश्यकता हो तो आप उस एक्सटेंशन को एक साल के लिए और फिर रिन्यू करा सकते है लेकिन दो साल के लिए एक साथ एक्सटेंशन देना, मैं समझता हूं, अनावश्यक है और सिद्धान्त के विपरीत है। इस सम्बन्ध में पेज ८, चेप्टर ११ को यदि आप देखेंगे तो इस पर प्रकाश पड़ेगा। पेज ८, चेप्टर ११ के सब क्लॉज (२) को अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा :

(ii) Appointment of P. A. to the Revenue Secretary as Assistant Forest Settlement Officer.–A detailed mention of this case was made in the Report for the year, 1956-57 as to how the P. A. to the Revenue Secretary was appointed as Assistant Forest Settlement Officer without consulting the Commission. The

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

Government was informed that the appointment of a member of the Ministerial Service to a State Service post, which was also technical one, was not in order.

They were, therefore, advised to revert him to his substantive post of Steno and to replace him either by (1) the seniormost qualified member of the Service eligible for appointment or (2) by a Member of the Rajasthan Tehsildars' Service or a Naib Tehsildar, etc., of the Settlement Department with the concurrence of the Commission. The concurrence to the continuance of the P. A. upto 15th April, 1959, was, however, accorded. The Government again requested the Commission to reconsider their decision and to agree to the appointment of the incumbent. The Commission did not agree to it although they agreed to the extension of the term of his appointment upto 30th November, 1959, on the distinct understand that no further extension would be agreed to in any case. The Government finally reverted him to his substantive post with effect from the same date".

इस सम्बन्ध में मुझे और कोई विशेष बात कहने की आवश्यकता नहीं है, मगर यह भी मेरे ख्याल से सरकार की हठधर्मी का नमूना है। इसके अन्तर्गत क्लॉज (३) के बारे में मेरे बाद वाले स्पष्टीकरण करेंगे। मैं इसके हैडिंग को ही पढ़ देता हूं;

" Appointment of Finisher, Woollen Dyeing and Finishing Centre, Jodhpur."

इस सम्बन्ध में, मैं विशेष विवेचन नहीं करना चाहता परन्तु ये दोनों ऐसी नजीरें हैं कि जिसके द्वारा सरकार के लिये, मैं समझता हूं कि कोई क्रेडिट की बात नहीं।

पेज ६, चेप्टर १३ के सम्बन्ध में भी माननीय अध्यक्ष, मैं सदन का इस एब्सट्रेक्ट को पढ़ कर ध्यान आकर्षित करूंगा:-

"Government accepted the advice of the Commission in 3 cases and their decision in 5 cases was not communicated to the Commission upto the close of the year under report.

Of the five cases, in which the decision of the Government was awaited last year, the acceptance of the advice of the Commissien in one case and that of non-acceptance in another was intimated by the Government. Their reactions in the remaining 3 cases had not been received".

इन तीनों केसेज के सम्बन्ध में भी सरकार को विचार करना चाहिये। अपील्स के सम्बन्ध में है :

Cases pending from previous year 31. Cases received during the year under report 34, Total 65. Balance of cases which remained pending at the close of the year 62.

ये ४ कॉलम जहां तक मेरा ट्रेनिंग से सम्बन्ध है, जहां तक मेरा टूटा फूटा

Page No 48

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अनुभव है, इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूंगा कि Cases pending from previous year ३१ थे बेलेन्स cases pending at the close of the year ६२ हैं यह बहुत बुरी बात है। अगर ३१ के संबंध में २६ हो तो अच्छा है। २६ की जगह ३५ या ४० हों तो अच्छी बात है मगर ६२ पेंडिंग हों तो यह तो कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं और मैं यह नहीं कह सकता कि यह सरकार की एफिशियेन्सी का द्योतक है ?

मैंने यह भी सुना है और इसमें तथ्य है कि सिनियोरिटी के फिक्सेशन का प्रश्न अभी तय नहीं हो पाया है। सिनियोरिटी के फिक्सेशन का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सरकार का पुरजोर तौर से ध्यान आकर्षित करूंगा कि अगर वे एफिशियेन्सी चाहें और स्थिरता और संतोष ओफिसरों में चाहें जो होना आवश्यक है, सुशासन के लिये, तो मेरा यह निवेदन है कि फिक्सेशन के इस पोइन्ट को हल करें और सीनियोरिटी का जो बर्निंग पोइन्ट है उसे सोच विचार कर हल निकालें।

गवर्नमेन्ट ने कायदा बनाने के अख्तियार के अन्तर्गत कुछ कायदे बनाये और पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी सिफारिशों के साथ वे रूल्स सरकार को वापिस लौटाये और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जहां पर सरकार ने उन लौटाये हुए रूल्स की अवहेलना की है और उनको प्रकाशित नहीं किया। इस सम्बन्ध में भी सभापति महोदय, मैं रिलेवेन्ट एक्सट्रेक्ट को पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

"A number of Draft Service rules were referred to the Commission for their advice in the years 1955, 1956 and 1957 and comments and suggestions of the Commission to these rules had also been communicated to the Government. Neither these rules had been published nor had any communication been received from the Government in respect of them upto the end of the year."

यह भी बड़ी भद्दी बात है और पब्लिक इन्टरेस्ट में ऐसा नहीं होना चाहिये।

राजस्थान में यह आम भावना है सर्विसेज में कि अधिकांश रूप से लोग नेताओं से दबते हैं, डरते हैं और उनका कहना मान कर बहुत सी ऐसी अनुचित बातें करते हैं जो शासन के सिद्धांतों के विपरीत हैं और न्याय के विरुद्ध होती है।

कल ही एक माननीय सदस्य, जो बनेड़ा से आये हुए हैं उन्होंने प्रश्न संख्या १४८ में पूछा कि खेती की जमीन में किसी ने या किन्हीं व्यक्तियों ने मकान बना लिये हैं तो कहा गया कि उस पर कार्यवाही करके लगान का सात गुणा जुर्माने की वसूली की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अध्यक्ष महोदय, यह केवल बनेड़ा का ही प्रश्न नहीं है, यह बहुत से अन्य क्षेत्रों का भी सवाल है और कम से कम जहां तक मुझे मालूम है उदयपुर डिविजन में ऐसी वसूलियां और जुर्माने हुए हैं। बड़े ताज्जुब की बात तो यह है कि बहुत से किसान और मजदूरों ने खेती की जमीन पर मकान बनाये हैं उनको पंचायतों से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। और स्वीकृति होने के उपरान्त यदि उनके ऊपर जुर्माना किया जा रहा हो तो मेरे ख्याल से शासन को इस बारे में पूर्ण ध्यान......

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, यह सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह इससे सम्बन्धित है । मैं मानता हूं कि यह सम्बन्ध इतना निकटतम है कि यदि सर्विसेज के डिमोरेलाइजेशन के सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डाला जाय तो पब्लिक सर्विस कमीशन की अक्षुण्णता और पवित्रता के कोई मायने नहीं। मैं समझता हूं कि इस बारे में प्रकाश डालना हितकर होगा, सरकार के लिए हितकर होगा और सदन की जानकारी के लिए भी कोई अहितकर नहीं होगा । सभापति महोदय, यह जुर्माना सात सात गुणा हो रहा है । मुझे तो पहले कोई अनुभव नहीं था लेकिन अब पंचायत समितियों की बैठकों में जाया करता हूं तो मुझे यह मालूम हुआ कि ऐसी बात हो रही है । तो मैंने जिला के कलेक्टर से यह कहा कि कम से कम पंचायत समिति से तो पूछना चाहिए कि जुर्माना क्यों हो रहा है ? तो यह नीति वैसी ही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे । पंचायत समिति ने स्वीकृति ले ली है कि उन पर जुर्माना नहीं होना चाहिए तो कम से कम पंचायत से पूछना चाहिए कि यह स्वीकृति कैसे दी गई ? अगर गलत स्वीकृति दी गई तो पंचायत समिति का उत्तरदायित्व है । लेकिन उन गरीबों को सजा देना, मेरे ख्याल में, सर्वथा अनुचित है । मैं यह समझता हूं कि इस बारे में सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिये क्योंकि मेरी बातचीत के दौरान मुझे तो भास हुआ है, वह स्पष्ट रूप से भास हुआ है कि जो कर्मचारी थे वे दबे हुए थे और बहुत से राजनैतिक कारणों के द्वारा उन लोगों को सताया जा रहा है, इन लोगों के ऊपर जुर्माना किया जा रहा है ।

भूमि अलाटमेंट के सम्बन्ध में और पशु-पालन के सम्बन्ध में हम बहुत से कानून लाये—पशुओं के इलाज के संबंध में हमने बहुत सी बातें लम्बी-चौड़ी कही, लेकिन अगर गोचर भूमि नहीं रही तो पशु कैसे सुरक्षित रह सकते हैं । यदि गोचर बिल्कुल समाप्त हो गये या गोचर का रकबा नाम मात्र को रह गया तो वेटेरीनरी, वेटेरीनरी बिल्स, वेटेरीनरी व्यवस्था वेटेरीनरी बोर्ड्स निरर्थक हो जायेंगे । मैं सरकार को स्पष्टतया कह देना चाहता हूं, या वार्निंग देता हूं कि जिस तरह जंगलों को ठेके द्वारा समाप्त किया गया, जंगली जानवरों को समाप्त किया गया, उसी तरह गोचर भूमि समाप्त करने के बाद मेरे ख्याल में गाय, भैंस, बैल, ऊंट इत्यादि के लिए विषम समस्या पांच साल से उत्पन्न हो गई है और गर्मियों में हजारों की तादाद में ढोर और मवेशी मरेंगे और हमारी सरकार कुछ भी करे तब भी कुछ नहीं होगा......

श्री सभापति(श्रीकेशरीसिंह): मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आप जो फरमा रहे हैं उसको इस रिपोर्ट से डाइरेक्टली लिंक करने की कोशिश करें ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : रिपोर्ट से, सभापति महोदय, मैं डाइरेक्टली लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं । सर्विसेज के डिमोरे-लाइज होने का प्रश्न है उसके लिए सर्विसेज इम्पार्शियल हों, यह नितान्त आवश्यक होगा; और तभी मेरे ख्याल से पब्लिक सर्विस कमीशन का रहना सार्थक होगा । नहीं तो पब्लिक सर्विस कमीशन का रहना या न रहना,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मेरे ख्याल में समान है। उसके उपरांत भी जो चेअर की रूलिंग होगी, वह मुझे सर्वथा मान्य है। मैं इस सम्बन्ध में सदन का विशेष समय नहीं लूंगा परन्तु ऐसी दो तीन बातें और भी मेरे दृष्टिगोचर हुई हैं, उस सम्बन्ध में मैं संक्षिप्तरूप से प्रकाश डालना अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूं।

मेरे पास कल एक दस्तावेज पेश किया गया, जिसके अन्दर एक पटवारी का हिसाब है। मैं व्यक्तिगत किसी का अहित नहीं चाहता लेकिन उस पटवारी के हाथ का लिखा लेखा-जोखा, जिसमें तनख्वाह वगैरह का व्योरा था, कि इतने रुपये तनख्वाह के मिले, इतने इतने रुपये फलां फलां व्यक्ति से प्राप्त किये, यह था। एक आदमी जिसकी तनख्वाह ७८ रुपये हैं उसने सवा सात सौ रुपये प्राप्त किये। उसकी फोटो एस्ट कॉपी, अगर आवश्यकता हो तो बताई जा सकती है। परन्तु उस सम्बन्ध में एक व्यक्ति कलेक्टर महोदय के पास गया। उन्होंने उसको देखा, लेखा-जोखा देखा और उस सम्बन्ध में कार्यवाही करने से इन्कार किया और कुछ दिन के बाद कहा कि पटवारी का तबादला कर सकता हूं, और कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वे क्या कर सकते हैं ? जब सर्विसेज डीमोरेलाइज हो जायेंगी तो क्या कर सकेंगे ?

दूसरा उदाहरण इस तरह का मिला है कि १ रु० की जमीन चार आना में बेची गई है और वह भी शासनारूढ दल के पिट्ठू आदि लोग हैं उन्हें वितरित की गई है। इस तरह तब तक होता रहेगा जब तक कि हमारी सर्विसेज इन्डिपेन्डेन्ट नहीं होंगी। सर्विस कमीशन जब तक स्वतन्त्र रूप से फंक्शन नहीं करेगा तब तक सर्विसेज के अन्दर कोई फ्रीडम और इन्डिपेन्डेन्स की भावना उत्पन्न नहीं होगी।

तो माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पब्लिकसर्विस कमीशन का चेयरमैन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो राजस्थानी नहीं हो, और दूसरे यह कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ३ आदमी बैठने परम आवश्यक हैं। यदि यह होगा तो मेरे ख्याल में विश्वास की भावना शासन में बढेगी और राजस्थान के शासन में कहीं न कहीं पर्याप्तरूप से सुधार हो सकेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, जो रिपोर्ट मुख्य मंत्रीजी ने सदन के सामने रखी है उसके सम्बन्ध में सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि पिछले वक्त भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि जनसेवा आयोग की रिपोर्ट प्रतिवर्ष हमें मिलनी चाहिये। संविधान के अन्तर्गत इसका स्पष्ट उल्लेख है और उस उल्लेख को मैं खासतौर से इसलिये पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी मैंने इस चीज का उल्लेख किया था और मांग की थी कि लेटेस्ट हर वर्ष की रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिये। हमारे संविधान के अनुच्छेद ३२३ है उसमें स्पष्टरूप से दिखाया गया है; उसमें लिखा है,

"राज्य आयोग का कर्त्तव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के जिनकी

(श्री मुरलीधर व्यास)

आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल को उस राज्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा इनमें से प्रत्येक अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर राज्यपाल उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिनमें कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवायेगा।"

जब कि संविधान में स्पष्ट है कि हर वर्ष सेवा आयोग की रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिये और गत वर्ष भी इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था उसके बावजूद भी ५९–६० की रिपोर्ट पर हम विचार कर रहे हैं। जब कि स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि उसका ज्ञापन भी अगर किसी मामले में आयोग एग्री नहीं होता, सरकार की नीति से असहमति प्रकट करता है तो उन मामलों के बारे में आवश्यक कर्तव्य होता है कि पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। संविधान के अन्तर्गत पूरी रिपोर्ट आनी चाहिये, पर मुझे खेद है कि मुख्य मंत्री ने जो रिपोर्ट रखी वह संविधान के प्रावधानों की मंशा के माफिक पूरी नहीं है, जिस पर हम डिस्कशन करें। संविधान जिसको बड़ा भारी महत्व देता है, उसकी पूर्ति नहीं होती है तो इसके लिये मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा और खासतौर से सभापति महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप अपनी ओर से स्पष्ट आदेश दें कि कम से कम अगले समय में आयोग की रिपोर्ट ठीक उसी वर्ष की मिले जिस वर्ष की चाहिये और जिन मामलों में आयोग की सरकार के साथ असहमति हो उसका ज्ञापन साथ में आना चाहिये था तो हम समझ सकते थे कि कॉन्स्टीट्यूशनल तरीके से ठीक तरह से रिपोर्ट रखी गई है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात रखी कि इसके साथ ज्ञापन नहीं है तो मुख्य मंत्री ने फरमाया कि किसी मामले में डिसएग्रीमेंट नहीं है इसलिये ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है

(१.१४. म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

परन्तु मैं उस सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा जैसा कि इसमें स्पष्ट है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी ओर से सरकार पर आरोप लगाये हैं। यह भी बताया है कि सरकार ने ढीलापन बताया है, उनके द्वारा सुझाये गये मामलों में सरकार ने कोई जबाब नहीं दिया है और बार बार पत्र लिखने के बावजूद भी सरकार ने कोई अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आयोग बार बार सरकार को लिखता है लेकिन सरकार जवाब नहीं देती है। मान भी लिया जाय कि जबाब दिया हो लेकिन सरकार का कर्त्तव्य है और मंत्री महोदय का यह कर्त्तव्य है कि अपनी स्थिति को एक ज्ञापन के रूप में सदन के सामने रखना चाहिये। आज हमारे सामने एक पक्ष है जिसके द्वारा सरकार पर आरोप लगाये गये हैं। दूसरा पक्ष सरकार का है जिसकी ओर से किन कारणों से उन्होंने जवाब नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

दिया है, ऐसे कौन से कारण थे कि बिना एडवरटाइजमेन्ट्स के ही पोस्ट पर अपोइन्टमेन्ट कर दिया गया इस ओर सदन के सामने ज्ञापन देना चाहिये जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। इस रिपोर्ट में इररेगुलरिटीज के बारे में आया है। आयोग कहता है कि इररेगुलरिटीज हुई हैं। वह यह बताता है कि प्रमोशन्स में और ट्रान्सफर्स में गड़बड़ियां हुई हैं। जिन जिन मामलों में वह इररेगुलरिटीज बताता है और रिपोर्ट रखता है तो आयोग ने अपना काम किया है और दूसरी ओर सरकार आयोग के काम में हस्तक्षेप करती है, उनकी सिफारिशों को मान्य नहीं करती है और मनमाने तरीके से काम करती है यह इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है। सरकार की ओर से अपनी इस ओर कोई रिपोर्ट होती तो हम उसको पढ़ लेते कि सरकार ने भी अपना ज्ञापन दे दिया और उससे सरकार को और माननीय सदस्यों को संतोष हो जाता और शंकाओं का समाधान होता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में अपनी ओर से ऐसे आदेश देंगे कि जिससे सरकार की ओर से ज्ञापन सहित सदन को सम्पूर्ण रिपोर्ट मिल सके और कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा पूरी हो सके। मुख्य मंत्रीजी कहेंगे कि वे इस मामले में डिसएग्रीमेन्ट नहीं करते हैं। अपोइन्टमेन्ट्स के सम्बन्ध में, ११ इररेगुलर मामले हैं वे मैं सदन के सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं;

"Promotion of a Senior Field Assistant, Mines and Geology Department as Mines Foreman, Grade II. It was mentioned in the report of the previous year that the Director of Mines and Geology had promoted a Senior Field Assistant as Mines Foreman, Grade II on substantive basis alongwith three other persons of the same category whose promotion as such had been agreed to by the Commission in the course of integration. Since the Commission had not agreed to the promotion of the incumbent even to the post of Senior Field Assistant, they asked the Director to revert the incumbent. The Director in reply informed that he had been promoted and confirmed as Mines Foreman under instructions of the Government in the Mines and Labour Department.

अब ये कहते हैं कि गवर्नमेन्ट के आदेश के अनुसार हमने ऐसा किया है। वे कहते हैं कि दूसरों को प्रमोशन मिल गये हैं, जिनको मिलना चाहिये उनको नहीं मिले हैं, जिन पोस्टों के लिए उनको प्रमोशन्स मिलने चाहिये थे उनको प्रमोशन्स नहीं मिले हैं। ये आदेश गवर्नमेन्ट ने किस आधार पर दिये हैं ? यदि अपनी सफाई इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट नहीं प्रकट करती है तो यह इससे स्पष्ट होता है कि गवर्नमेन्ट पक्षपात करती है, किसी आदमी को प्रमोट कर देती है और दूसरों के राइट्स छीन लेती है। आप किस कारण से इसको डिसएग्री करते हैं इसका स्पष्टीकरण आपको इसके साथ देना चाहिये। और भी कई बाते इसमें आई हैं जिनकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार सदन में अपनी ओर से ज्ञापन

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रस्तुत नहीं करती है तो सदन वास्तविक वस्तु स्थिति को नहीं समझ सकता क्योंकि यह एक पक्षीय है। यह तो एक बात इस सम्बन्ध में कही इस दृष्टिकोण से कि भविष्य में सरकार के ज्ञापन द्वारा हमें जानकारी हो सके।

अब इस सम्बन्ध में कुछ अन्य बातों की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। इसमें सब से पहले आयोग के खर्चे के बारे में, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, कहूंगा। आयोग का खर्चा २।।-३ लाख का है जैसा कि इसमें है। पहले गत वर्ष में जो खर्चा होता था उससे कम दिखाया गया है। मैं मानता हूं कि पहले से ज्यादा काम कमीशन के पास बढ़ा है। पहले से ज्यादा एप्लीकेशन्स आई हैं और उस आधार पर कुछ न कुछ अवश्य बढ़ा है। जहां तक खर्चे का सम्बन्ध है मैं ऐसा महसूस करता हूं कि करीब आधा खर्चा तो सिर्फ कमीशन के सेक्रेटरी और चेयरमैन के आवागमन और उसमें होता है। आधे से ज्यादा खर्चा उसका है और दूसरा सारा एस्टेब्लिशमेन्ट का है, जो लोग वहां काम करते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार यदि इस बात की ओर ध्यान करेगी कि अगर किसी प्रकार से इस खर्चे में कमी की जाय क्योंकि लाखों रुपया कमीशन के पास एप्लीकेशन और परमीशन फीस आदि के आते हैं वह उसी में खर्च हो जाय और ऊपर से सरकार की ओर से अधिक न लिया जाय, जैसे आजकल इकोनोमिक मेजर्स लिये जा रहे हैं, कुछ खर्चा कट किया है तो इसमें मेरे ख्याल से और भी खर्चा कम किया जा सकता है।

इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि (२,५४७) फीस आदि का हमें प्राप्त हुआ है जब कि गये साल इतना ही मिला था जब कि इस साल १,५७ हजार मिला। फीस की रकम हमारे पास बढ़ी है इस बात की खुशी है। २,८४,४११) पहले और इस वर्ष २,७१,२२६.६१ खर्च हुए हैं। थोड़ी अवश्य कमी हुई है लेकिन इस मामले में थोड़ा और ख्याल किया जाय तो बहुत कुछ खर्चे की कमी की जा सकती है। इसमें बताया गया है कि १८१ सिटिंग्स हुई हैं और जो भी मामले आये हैं, इन्टरव्यू आदि के, उनकी संख्या देखने से पता चलता है उनकी संख्या अधिक बढ़ी है। इस वर्ष २,२८६ पोस्टों का ज्ञापन दिया गया और ६,६०२ दरख्वास्तें आई जिनमें से २,३७७ को बुलाया गया और उनमें से भी केवल १,५७५ को सिलेक्ट किया गया और दूसरे लोग रह गये। हर आदमी चाहता है कि जिस योग्यता की जहां कहीं भी पोस्ट हो उसके लिए हर आदमी को मौका मिले लेकिन मुझे ऐसे समाचार मिले हैं कि आयोग ने स्वयं ने, कई ऐसे डिपार्टमेन्ट्स हैं, जिनमें लोग इन्टरव्यू के लिये जाना चाहते थे, नहीं बुलाया। यहीं के माइनिंग डिपार्टमेन्ट के ड्राफ्ट्स मैन हैं, गत वर्ष चार पोस्टों के लिए आवेदन पत्र आये और सब को इनवाइट किया गया, इन ड्राफ्ट्समैन ने सरकार से इन्टरव्यू में जाने के लिये परमीशन मांगी और उन्होंने दरख्वास्त भी पी० एस० सी० को भेजी लेकिन पी० एस० सी० ने उनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया।

मैं यह समझता हूं कि एक आदमी जो वहां से इन्टरव्यू होने के बाद में पक्का हो

(श्री मुरलीधर व्यास)

सकता है उसको प्रमोशन आदि के राइट मिल सकते हैं । इन्टरव्यू में कुछ लोगों को बुलाना, कुछ को नहीं बुलाना उसका नतीजा यह होता है कि एक आदमी के राइट्स को मार दिया जाता है तो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का सवाल हो जहां तक उनके राइट्स का सवाल है, सब को समान अवसर मिलना चाहिये । उसी प्रकार का एक दृष्टान्त मेरे सामने आया है जिस व्यक्ति को पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बुलाया जाना चाहिये था उसकी दरख्वास्त को रिजेक्ट किया गया । दूसरे जो चार जूनियर थे उनको बुला लिया गया । पुराने आदमी को बुलाया नहीं गया, वह प्रमोशन से वंचित रह गया । इस तरह से जो मौका सब को मिलना चाहिये उसमें कुछ को वंचित कर दिया जाता है और कुछ को देते हैं यह नहीं होना चाहिये । सब को मौका देने का सवाल है उसके लिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह इस मामले पर पूरा ध्यान देगी ।

इसके अलावा मैं समझता हूं जहां पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल है, मेडिकल डिपार्टमेंट का सवाल है, कई पोस्टें आज तक पब्लिक सर्विस कमीशन से मन्जूर नहीं हुई हैं । ढ़ाई ढ़ाई साल से कमीशन के पास उनके मामले पड़े हुए हैं । इससे जिन डॉक्टरों को ठीक तरह से मौका मिलना चाहिये वह नहीं मिला । बीकानेर मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में कमीशन के पास में बहुत से डॉक्टर्स की दरख्वास्तें मौजूद थीं जिनको रिकमण्ड करके भेज देना चाहिये था ताकि ठीक समय पर उनको मौका मिल सके और अपने स्थान पर अपोइन्ट हो जाय वह तो किया नहीं । कुछ डॉक्टर्स के बारे में कमीशन ने अपनी तरफ से इस प्रकार की रिपोर्ट दी है हमने इन लोगों को मन्जूरी दे दी है लेकिन सरकार ने अपोइन्ट नहीं किया, सरकार ने कनफर्म नहीं किया । इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि यह परस्पर विरोध है । इतने अरसे तक किसी भी मामले को रोका नहीं जाना चाहिये । कमीशन ज्यादा समय तक दरख्वास्तों को रोक लेता है तो उन लोगों को मौका नहीं मिलता है । कमीशन की तरफ से जब सरकार को भेज दी जाती है तो उनको नियुक्त कर दिया जाय, उनको कनफर्म कर दिया जाय । उसके बाद भी सरकार नहीं करती है तो यह सरकार की ढिलाई है । इससे आम लोगों को जो सर्विसेज में सेवा करने वाले लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलता, इस सम्बन्ध में सरकार अपनी तरफ से इस बात का ख्याल रखेगी ।

परीक्षायें जो ली जाती हैं उसके अन्दर लोग गलत सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं । हालांकि कमीशन ने इस बारे में कुछ केसेज़ को पकड़ा है उसके बावजूद भी कुछ केसेज़ इस प्रकार के हैं जो गलत सर्टिफिकेट लेकर इन्टरव्यू में चले जाते हैं और उनकी नियुक्ति भी हो जाती है । सरकार भी इस मामले में ध्यान रखे और मामले सामने आ जायं तो उन लोगों को सर्विस से निकाल दिया जाना चाहिये । कमीशन के सामने जब कभी ऐसी बात आयी है तो कमीशन ने किसी को पांच साल के लिये डिबार कर दिया; इस प्रकार से सरकार को भी कदम उठाना चाहिये ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

अब मैं थोड़ा सा ध्यान फोर्थ क्लास सरवेन्ट्स की ओर भी खींचना चाहता हूं । उनकी सर्विस–सुरक्षा का अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं है । आज ये लोग इस प्रकार की स्थिति के अन्दर पड़े हुए हैं; कोई भी ऊपर का अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी मनमाने तौर से बिना किसी प्रकार के नोटिस से बाहर कर देते हैं, बिना उनके एक्सप्लेनेशन कॉल किये नौकरी से मोअत्तिल कर देते हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि फोर्थ क्लास कर्मचारियों से वे मनचाहा काम लेना चाहते हैं और अगर वे मनचाहा काम नहीं करते हैं तो उनको निकाल कर दूसरों को रख लिया जाता है । ये जो परिस्थितियां हैं, जो अधिकार हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और अधिकारियों को मिला हुआ है उसका दुरुपयोग होता है । मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स की सर्विसेज के बारे में भी कोई कमीशन हो जिससे वे अपनी सर्विस को सुरक्षित समझ सकें, उनके प्रमोशन आदि की व्यवस्था हो यही मेरा निवेदन है । इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि इस बारे में काफी माननीय सदस्य बोलने वाले होंगे अतः १५ मिनट का समय प्रत्येक सदस्य लेंगे और उसके बाद ४॥ से सरकार का जवाब होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन के दसवें प्रतिवेदन पर बहस कर रहे हैं मुझे खेद है कि जो प्रतिवेदन आज से दो वर्ष पहले इस सदन में बहस के लिये आना चहिये था वह दो वर्ष बाद इस सदन में बहस के लिये आया है। अपने संविधान के विशेष प्रावधान हैं जिनको हम मेन्डेटरी प्रावधान कह सकते हैं । उसके अनुसार हर साल पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रतिवेदन को गवर्नर साहब के सामने पेश करके सदन के सामने लाने का प्रावधान रखा गया है । इसी प्रावधान के उल्लंघन के तौर पर यह कार्य हो रहा है । जहां तक मेरी जानकारी है इस सदन में पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रतिवेदन पर दूसरी बार बहस हो रही है पहले जब बहस हुई उस समय इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया, सरकार की आलोचना की गई थी कि इस पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पर्सनल है, उसको जो काम दिया गया है उसकी जिम्मेवारी को देखते हुए हमारे संविधान के अनुच्छेद ३१९ में यह पाबन्दी रखी गई है । इस कमीशन के सदस्य इस प्रकार के लोग होने चाहियें जो इस कमीशन के मेम्बर रहने के बाद उनको सरकारी नौकरी न दी जाय। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इस सदन में तीव्र आलोचना के, उनकी इस बात का ध्यान नहीं रखा गया । उसके बाद इस कमीशन के माननीय सदस्य जो चेयरमैन भी रह चुके थे उनको हायर सैकेन्डरी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया । उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में इस अनुच्छेद का समावेश इस दृष्टि से किया गया था कि कमीशन के सदस्य इतने निष्पक्ष हों कि उनको किसी प्रकार का भी आकर्षण, सर्विस आदि का, गवर्नमेंट की ओर से नहीं दिया जाना चाहिये ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस कमीशन के सदस्य इस प्रकार के दृढ़ लोग हों जिनके बारे में गवर्नमेन्ट की एग्जीक्यूटिव को किसी प्रकार के फेवर के किये जाने की कल्पना भी लोग दिमाग में न लाएं।

पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पर्सनल हैं, जो इसके मेम्बर नियुक्त किये जाते रहे हैं, यह एक परम्परा रही है कि या तो ऐसे सर्विसेज के लोगों को इसमें लिया गया है जो कि रिटायर हो चुके हों। उनको एक रिएम्प्लोयमेन्ट के तौर पर, आकर्षण के तौर पर उनको नियुक्त किया जाता है या उनकी पी० एस० सी० में अवधि समाप्त होने के बाद भी संविधान की धाराओं के प्रतिकूल, चाहे वे बहुत स्ट्रिक्टली कानून के अन्तर्गत न भी आते हों, क्योंकि पिछले सदन में माननीय राजस्व मन्त्री ने इस बात को कहा था कि हमने लीगल तरीके से इस बात को जान लिया है पर अगर स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशन को देखा जावे तो इसमें कोई सन्देह नहीं होगा कि ये धाराएं इस दृष्टिकोण से रखी गई हैं कि जिसमें मेम्बर को लालच न रहे। इसके बाद भी इस सरकार को अपने आदमियों को फेवर देना था इसलिये इस प्रकार की नियुक्तियां कीं जिस प्रकार कि अभी भी श्री लक्ष्मीलालजी जोशी की की गई है। वह नियुक्ति इस संविधान की धाराओं के प्रतिकूल है, उसकी मंशा के प्रतिकूल है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारे मौजूदा डेमोक्रेटिक सेट-अप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से एक स्टेट के प्रशासन में जुडिशियरी का महत्व है, हाई-कोर्ट का महत्व है, इसी तरह इन सेवाओं को भी इन्डिपेन्डेन्ट रखने और इम्पार्शियल रखने की आवश्यकता है। इसके लिये उनकी नियुक्तियां भी निष्पक्ष रहें, स्वतंत्र रहे और सबके साथ समान न्याय बरता जाता रहे और इसके अन्तर्गत वे अपना काम नियमों के अनुसार करते रहें इस प्रकार की, देख-रेख रख सकें इसके लिये ऐसी बॉडी का निर्माण इसके लिये किया गया था। अगर हम इस दृष्टि से राजस्थान का पिछला पन्द्रह वर्षों का इतिहास देखें और इसकी तमाम दस रिपोर्टें देखें जो समय समय पर इस सदन में इस कमीशन की प्रस्तुत होती रही हैं, तो मुझे इस बात को कहना पड़ेगा कि यह इस पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्टों का इतिहास ऐसा इतिहास है जो सरकार की फेल्योर को बताती है, यह बताती है कि सरकार ने इसके निर्णयों को नहीं माना, सरकार ने अपनी इच्छाएं उस पर थोपीं। यह इतिहास लगातार इस तरह का रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल से केमिटेड है वे भी संविधान के नीचे स्थापित नियमों को नहीं मानती है, उसकी स्पिरिट को नहीं मानती, यह सही है कि इस संविधान में इस प्रकार की कोई धारा नहीं है कि इन नियमों को नहीं मानने वाली सरकार के खिलाफ क्या किया जा सकता है, तो फिर से डेमोक्रेटिक सरकार कहना जनता को धोखा देना है। संविधान में इन नियमों के तोड़ने वालों के लिये कोई दण्ड की व्यवस्था नहीं है, इसी कमजोरी के कारण आज यह सरकार खुले तौर पर इस विधान की धाराओं का उल्लंघन कर रही है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, आज इसका नतीजा भी हम स्पष्ट तौर से देख रहे हैं। आज सरकार ने ऊंचे से ऊंचे पद पर कर्मचारी की नियुक्ति में, उसके तबादले में अपनी मनमानी की है, लोगों के दिमाग पर, सर्विसेज के दिमाग पर यह असर उसने छोड़ा है कि यह सरकार जब चाहे तब तुम्हारा बिगाड़ कर सकती है, अगर खुश हो जाय तो निहाल कर सकती है, जहां चाहे वहां बिठा सकती है और अगर नाराज हो जाय तो चाहे जहां फेंक सकती है। यही कारण है कि इस सरकार का ऊंचे से ऊंचा अधिकारी और नीचे से नीचा अधिकारी अपने आपको स्वतन्त्र महसूस नहीं करता, नियमों के अनुसार काम करने के लिये। यह रोजमर्रा देखने का हमारा तजुर्बा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की स्थिति किसी भी दल के लिये कुछ समय के लिये सह्य हो सकती है, अपने लिये फायदेमन्द मालूम हो सकती है परन्तु इस प्रकार से शासन तन्त्र चलाने से जनता का लाभ नहीं हो सकता, जनतन्त्र की नींव मजबूत नहीं हो सकती। और मैं तो यह भी कहूंगा कि वह दल जो ये तरीके अपनाता है उसके स्वयं के लिये भी हितकर नहीं हो सकती क्योंकि उनके दल में भी आपस में मतभेद है। जो मनमाने तरीके, वे एक ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वे ही तरीके दूसरा ग्रुप उनके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है जो कि हमारे राजस्थान में कोई अनहोनी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने क्या क्या किया है इसे विस्तृततौर से बाद में बयान करूंगा, पर इसके पहले आपके द्वारा इस कमीशन के सदस्यों से उनके कार्य करने के तरीकों के बारे में बहुत अदब के साथ कहना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रतिष्ठित स्थान इस पी० एस० सी० को हमारे संविधान के अन्दर दिया गया है, मुझे अदब के साथ कहना पड़ता है कि हमारी पी० एस० सी० उस डिग्निटी के साथ उस दृढ़ता और निष्पक्षता के साथ अब तक अपने काम करने में असफल रही है और इसकी साक्षी देने के लिये और कहीं जाने की जरूरत नहीं यदि हम इस रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ जायं तो खुद उनकी कमजोरियां, अपने आपको एसर्ट करने की कमजोरियां, अपने निर्णयों को दृढ़ता से मनवा सकने में शिथिलता साफ जाहिर है। अभी एक माननीय सदस्य ने रेफेरेन्स दिया था एक सरकारी अफसर का जो एक रेवेन्यू सेक्रेटरी का पी० ए० था और जिनको असिस्टेन्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर, फोरेस्ट डिपार्टमेंट नियुक्त कर दिया था हमारे इस आयोग ने इसकी ५५ में हुई नियुक्ति की कटु आलोचना अपनी ५६–५७ की रिपोर्ट में की। लेकिन साथ ही उसको कन्डोन करके उसको एक्सटेन्शन भी दे दिया और इस तरह से वे पी० ए० महाशय असिस्टेन्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर, नवम्बर ५९ तक चलते रहे। हर साल हमारा यह कमीशन अपनी रिपोर्ट में ऐतराज करता रहा कि यह नियुक्ति इररेगुलर है। पर इसके साथ ही साथ यह भी कहता रहा कि हम इसे एक्सटेन्ड करते हैं इतने पिरियड तक और अब आश्चर्य करेंगे आप कि इसका उल्लेख इस रिपोर्ट में भी है। आखिर में अब गवर्नमेन्ट मजबूर हुई है और उसको वापिस रिवर्ट किया है।

Page No 58

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जब कमीशन ने इतनी ग्रोस इररेगुलेरिटी पकड़ी तो फिर कौनसी उनकी मुसीबत थी कि उसके एक्सटेन्शन को भी साथ में मन्जूर कर लिया और चार साल तक लगातार अपनी कलम से एक्सटेन्शन देता रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ही इस तरह का मसला नहीं है। इस रिपोर्ट के हर पृष्ठ पर इस तरह के उदाहरण मिलेंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि यह कमीशन कैसी एक असहाय बोडी है, अबला बोडी है जिसके हाथ में कोई शक्ति नहीं है जिसका कहना कोई मानता नहीं, जिसके हुक्म पर कोई गौर नहीं करता और जो इसी में बहादुरी मानकर सब्र कर लेता है कि अगर तुम्हारी बात कोई नहीं मानता है तो चलो तुम्हीं उनकी बात मान लो।

यह एक इतिहास है, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन का। और अगर इस दस वर्ष के इतिहास में हम देखें तो यही मिलेगा बजाय उसके साल ब साल यह पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी कमजोरियों से हटकर सरकार की इस मनमानी को कम करती जाती, ऐसी बात न होकर हालत बिल्कुल दूसरी तरह की है, और पब्लिक सर्विस कमीशन लगातार अपनी उन कमजोरियों का शिकार होता रहा और अब तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वे बजाय अपने आइडियल को रियेलाइज करवाने के वास्तविकता को आदर्श मानकर चल रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि हमारी सरकार जिस तरीके से आज इस पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमन्डेशन्स को लेती है, उसके प्रति जो हमारी सरकार का रुख है, वह नितान्त अनुचित है। सरकार ने एक तरीका अपनाया है टेम्पोरेरी एप्पोइन्टमेंट्स करने का। टेम्पोरेरी एप्पोइन्टमेंटस ६ महीने तक की और फिर उनको रेग्युलेराइज कराने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेज दिया। इस तरीके के एप्पोइन्टमेंट्स बजाय हर साल घटने के बावजूद कि इसकी रिपोर्ट हर साल पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं जहां ५५-५६ में यह टेम्पोरेरी एप्पोइन्टमेंट्स ६५६ थे वहां ५६-५७ में १४६८ हुए, ५७-५८ में २१६७ हुए, ५८-५९ में २९८४ हुए और ५९-६० में ३११८ हो गये। क्या नतीजा निकला इस लिखे जाने का? क्या नतीजा निकला इस पब्लिक सर्विस कमीशन के इस तरह से शिकायत करने का कि इस प्रकार के एप्पोइन्टमेंट्स नहीं होने चाहिएं। इसका सरकार के दिमाग पर कोई असर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इतना ही नहीं कि ६ महीनेके लिये टेम्पोरेरी एप्पोइन्टमेंट्स किये जा रहे है, बल्कि सरकार ने उनको सर्कमवेन्ट करने का एक यह तरीका भी अपनाया है कि ६ महीने के बाद और उनको एक्स्टेन्शन दे देते हैं और साल, डेढ़ साल, दो साल तक का, कितने ही केसेज हैं कि जिनमें एक्स्टेन्शन दे दिया गया है और कह दिया गया है कि अपने हस्ताक्षर टेक दे, अपना अंगूठा टेक दें। इस तरह की रिपोर्ट्स पब्लिक सर्विस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कमीशन के पास जाती है। कई हैड्स आॅफ डिपार्टमेंट्स तो यह जरूरत भी नहीं समझते कि पब्लिक सर्विस कमीशन को यह बताया जाय कि क्या आवश्यकता है, इसको एक्स्टेंशन देने की। इसको कन्कर कर दें महज इतना सा लिखकर भेज देते हैं, इनको एक्स्टेन्शन दे दिया है। इसकी जरूरत है। इसकी कन्करेन्स दे दें, और इस तरह की कन्करेन्स उनकी मान ली जाती है। इस प्रकार के उदाहरण इस रिपोर्ट में कई मौजूद हैं।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से कई बार इस तरह के निर्णय दिये जाते हैं, इस तरह की सिफारिश गवर्नमेंट को दे दी जाती है जिनसे कि यह मालूम पड़ता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपनी मजबूरियों से बेजार होकर सरकार के सामने सरेन्डर कर दिया है और जिस तरीके से सरकार करती है उस तरीके से करने को तैयार हो जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिसाल मैं आपको दूं। सादूल पब्लिक स्कूल के एक प्रिंसिपल की नियुक्ति करनी थी उसके लिए एडवरटाइजमेंट किया गया। उसके लिए इन्टरव्यू किये गये और इन्टरव्यू करने के बाद एक शख्स को सिलेक्ट कर लिया गया, और सिलेक्ट करने के बाद वहां के हैड आॅफ दी डिपार्टमेंट लिखते हैं कि इस समय जो टेम्पोरेरी काम कर रहे हैं वे एक इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे बहतर काम कर सकते हैं। इतना लिखने पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने हैड आॅफ दी डिपार्टमेंट की बात को मंजूर कर लिया और जो आदमी सिलेक्ट हुआ था उसको सेकण्ड प्रायोरिटी दे दी, और बाद में उस हैड आॅफ दी डिपार्टमेंट ने कहा था उसके कहने पर उसको फर्स्ट आल्टरनेटिव के रूप में मंजूर कर लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे अधिक और ज्यादा सरेन्डर उसके सामने क्या हो सकता है। इससे साफ मालूम होता है कि हैड आॅफ दी डिपार्टमेंट किसी तीसरे आदमी में इन्टेरेस्टेड था इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन को मामला भेजा गया। जिस आदमी में वह इन्टेरेस्टेड था जब वह आदमी सिलेक्ट नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि इससे बहतर तो यह आदमी ही है, उसी को औप्लाइज करो और जो मौजूदा हैं उन्हीं को मंजूर कर लो।

ऐसी एक मिसाल मौजूद है, उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में जहां कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक आदमी को सिलेक्ट कर लिया एक लेक्चरार के पद के लिये मगर फिर किसी कारण से, जो कारण इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया, अपनी रिकमन्डेशन को कुछ दिनों के बाद खुद ही केन्सिल कर दी। आखिर क्या वजह थी? इससे साफ मालूम है कि पब्लिक सर्विस कमीशन इस गवर्नमेंट के कुछ आफिसर्स और कुछ हैड आॅफ दी डिपार्टमेंट्स के हाथों में पूरी तरह से खेलती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मामूली मामूली बातों में जो सच्चाई इतनी बड़ी आॅगस्ट बोडी में होनी चाहिए, जिस

(श्री रामानन्द अग्रवाल) .

तरह का रवैया हम उनसे उम्मीद करते हैं वह इस पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कर दिया कि अपनी उम्र तक गलत बता दी। अपनी उम्र थोड़ी होने के बावजूद ज्यादा बता दी उसका इन्डेक्स में जिक्र है। कोई वजह नज़र नहीं आती है कि उसमें जितने लोग हैं उन सब लोगों में से करीब करीब सब को पूरे वर्ग को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने किसी भी सिलेक्शन में आने से मना कर दिया गया है, लेकिन दो व्यक्तियों के साथ में खास रियायत बरती गई है। एक केस को एक साल के लिए और दूसरे को ५ साल के लिए मना किया गया है। आखिर इस ऑगस्ट बाडीसे-हम एक इम्पार्शियल जजमेंट की उम्मीद करते हैं, ऐसे जजमेंट की उम्मीद करते हैं कि जिससे कि उनकी रिपोर्ट को हम सही तरीके की समझ सकें और पब्लिक सर्विस कमीशन एक इम्पार्शिल बॉडी है, यह विश्वास बना सकें।

(२ म० प०)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक और तरीका हमारी सरकार द्वारा सिलेक्शन में अपनाया जाता है कि कुछ लोग जिनको टेम्पोरेरी तौर पर लिया जाता है वे उसमें भाग लें तो उनकी जो क्वालिफिकेशन्स होती हैं उसी प्रकार का एडवरटाइजमेंट निकाल दिया जाता हैं कि जिसमें उसी प्रकार की क्वालिफिकेशन के लोग आ सकें। जिन लोगों को ६ महीने के लिए टेम्पोरेरी लिया जाय उनकी एक क्वालिफिकेशन यह लिख दी कि केन्डीडेट को कम से कम ६ महीने का एक्सपीरियन्स होना चाहिए, केन्डीडेट हिस्ट्री में एम० ए० होना चाहिए। एक मिसाल तो ऐसी मिली है जो कि इस रिपोर्ट में नहीं है, परन्तु एक हिस्ट्री के प्रोफेसर को लिया जाना था तो एक पर्टीक्यूलर पर्सन मिडीवियल पीरियड की हिस्ट्री में एम० ए० थे तो एडवरटाइजमेंट यह निकलता है कि मिडीवियल पीरियड के अन्दर हिस्ट्री में एम० ए० हो। इस तरह के केसेज हैं पर्टीक्यूलर आदमी को लेना है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके मुताबिक एडवरटाइजमेंट करके उसी आदमी को एडजस्ट करने का वह तरीका अपनाना उचित बात नहीं है।

यह तरीका भी अपनाया गया है कि पर्सनल कान्टेक्ट से लोगों की भर्ती करें और पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी इस बात की इजाजत दे दी। कम्पाउन्डर्स और नर्सेज के बारे में यह है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मान सकता हूं कि टेक्निकल जोब्स के लिए लोग तुरन्त नहीं मिलते हैं उनकी इस प्रकार से भर्ती कर ली जाय, एकाध आदमी इस प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन २५ नर्सेज कम-कम्पाउन्डर्स उनकी भर्ती पर्सनल कान्टेक्ट के जरिये की गई। इसी तरह से ५ लेडी सोशियल वर्कर्स जन-कल्याण विभाग के लिए पर्सनल कॉंटेक्ट के जरिये भर्ती की गई। इसको तो मैं बहुत ही खतरनाक मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि लेडीज को पर्सनल कान्टेक्ट के जरिये भर्ती करने की व्यवस्था की जाय और उस हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को इस प्रकार की सुविधा दी जाय तो किस तरह का वातावरण फलेगा जिसकी कि रोज़मर्रा आलोचना अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं।

Page No 61

(रामानन्द ग्रग्रवाल)

मैं यह समझता हूं, कि इस तरह की जो ये बातें हैं वे ग्रवांच्छनीय है, इस प्रकार की चीज समाप्त होनी चाहिये।......

श्री दलपतसिंह (ग्राबू) : What do you mean by personal contact ?

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल: पर्सनल कांटेपट का जो मतलब है वह ग्राप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं।...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) ये समझते ही नहीं बल्कि इसके माहिर हैं।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है रीएम्पलॉयमेन्ट के बारे में। हर कमेटी की हर रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। मैं समझता हूं सैद्धान्तिक तौर से सरकार को इस बात की नीति निश्चित करनी चाहिये। ग्राज के जमाने में जब इतनी बेरोजगारी है, इतने लोग दरख्वास्त लिये रोजगार के लिये फिर रहे हैं ऐसी हालत में रिएम्पलीयमेन्ट की नीति ग्रपनावें तो यह कैसी नीति है। इस बात को माना जा सकता है कि जहां कोई ग्रादमी इतना क्वालिफाइड हो कि वैसा दूसरा मिलता नहीं हो, ग्रलंभ्य हो ऐसे लोगों को रिएम्पलॉय करने की बात हो तो वाजिब माना जा सकता है लेकित एक ग्रसिस्टेन्ट टीचर नहीं मिले, उसको रिएम्पलॉयमेन्ट दिया जाय, ग्रकाउन्टेन्ट को रिएम्पलॉयमेन्ट दिया जाय, हर डिपार्टमेन्ट में एक रिएम्पलॉयमेन्ट की बीमारी इस रिपोर्ट में मिलती है ग्रौर ग्राम तौर से तजुर्बे की बात है कि जो ग्रादमी रिटायर होता है वह दो वर्ष पहले से ही पदचंपी करना व पोल्सनिग करना शुरू करता है इसलिये कि मुझे एक्सटेन्शन मिल जाय ग्रौर ग्राज हालत यह है कि जिसको न मिले वही नाराज है क्योंकि वह रिएम्पलॉयमेन्ट को ग्रपना बर्थ राइट मानता है ग्रौर ग्रब तो ग्राा ग्राथिक संकट हल करने का एक ग्रौर भी हल सोच बैठे हैं, कोई ग्रॉनरेरी काम करना पसंद करे तो उसे काम करने का मौका दो। हमारे ग्रलवर में एक सर्जन हैं, उनको ग्रॉनरेरी काम करने का मौका दिया है फिर वे पब्लिक से कितनी ही फीस लूटें, उनसे पैसा लें। गरीब लोगों को सरकारी सर्जन से इलाज मुफ्त में मिलता था, सुविधा मिलती थी वह खत्म हो जाय इसकी चिन्ता नहीं। वे स्वयं कहते हैं ग्राखिर मेरा भी पेट है उसे किस तरह भरें। यदि सरकार इस तरह का तरीका ग्रपनाना चाहती है, ग्रॉनरेरी सर्विसेज कराना चाहती है तो बहुत से थानेदार थे जो बेरोजगार बैठे हैं वे ग्रापको चंदा दे देंगे ग्राप उनको ग्रॉनरेरीली लगा दीजिये, वे ठेकेदारी का पैसा देने को तैयार हैं। यदि सरकार ग्राथिक संकट हल करने का यह तरीका ग्रपनाती है ग्रौर जनता पर उसका क्या ग्रसर पड़ेगा इस ग्रोर ध्यान नहीं दे तो बुरा नतीजा होगा।

ग्राखिर में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर खत्म करूंगा। हमारा जन सेवा ग्रायोग सर्विसेज के ग्रपोइन्टमेन्ट के बारे में ध्यान देता रहा है। यदि हमें सर्विसेज को वास्तव में निश्पक्ष रूप से काम करने वाला बनाना है तो यह ग्रावश्यक है कि यह ग्रायोग इस बात का ध्यान रखे कि जहां रूल्स के मुताबिक ट्रान्सफर्स होने चाहियें, प्रमोशन्स होने चाहियें वे ट्रान्सफर्स ग्रौर प्रमोशन्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रूल्स के माफिक होते हैं या नहीं। जो रोज-मर्रा ऑफिसर्स के ट्रान्सफर्स हो रहे हैं या दूसरे कर्मचारियों के हो रहे हैं उनमें कहां रूल्स के मुताबिक ब्रेक किया गया है, कहां इमरजेन्सी थी इसलिये किया गया है इसकी रिपोर्ट भी सदन के सामने आनी चाहिये। मैं नहीं चाहता कि सर्विसेज पर सरकार का अंकुश न हो, मैं नहीं चाहता कि सर्विसेज को शक्तिशाली बनानेवाला अंकुश न हो लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव पर इन सर्विसेज को डिमोरेलाइज होने से रोकने के लिये सदन का अंकुश होना चाहिये। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को जिसने एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की एन्टी करप्शन में कि वह दवाइयां खरीदने में गड़-बड़ करता है। बजाय इसके कि उस डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्यवाही होती बल्कि वहां जितना स्टाफ था उसका तबादला कर दिया और उनको वाजिब शिकायत करने की यह सजा मिली। उनके लिये यह चार्जशीट थी कि तुमने डाइरेक्टली एन्टीकरप्शन डिपार्ट-मेन्ट को हमारे डिपार्टमेन्ट की शिकायत क्यों की ? इस तरह की बातें हमें रोजमर्रा देखने को मिलती है।

अतः मैं इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहूंगा कि यह सदन इस बात का निर्णय ले और सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि जो संविधान के जरिये पब्लिक सर्विस कमीशन को प्रतिष्ठित स्थान दिया है, जो प्रावधान रखा है; मेन्डेटरी 'शैल' शब्द यूज किया है, उसकी सालाना रिपोर्ट आनी चाहिये। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी जिम्मेदारी को निभावेंगे तभी वह प्रतिष्ठा, इज्जत प्राप्त कर सकेंगे, वे संविधान के द्वारा जो जिम्मे-दारियां दी गई हैं उनको वे समय में और ठीक तौर से निभावें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार भी सदन के सदस्यों द्वारा आग्रह करने पर यह रिपोर्ट पेश हुई है। मैं मुख्य मंत्रीजी से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि जब संविधान में इसका समावेश है तो यह उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि सदन के सामने बहस करने के लिये हर साल रिपोर्ट आनी चाहिये और राज्यपाल महोदय के द्वारा पी. एस. सी. पर इम्पोज कराना चाहता हूं कि वे कांस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी को समय पर अवश्य निभावें और हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि हम राज-स्थान में जिस प्रकार का एक इन्डिपेन्डेन्ट हाई कोर्ट है, हमारे पास उसी प्रकार का एक पी. एस. सी. ऐसा कायम करें जो इस प्रकार की जिम्मेदारियों को निभावे। वह वास्तव में मजबूत, दृढ और इम्पार्शियल सर्विसेज का निर्माण कर सके जिसके दिमाग में यह नहीं हो कि इन बैंचेज पर कौन बैठता है और उन बेन्चेज पर कौन बैठता है, इसका ख्याल किये बगैर वे उसूल, न्याय और कानून के मुताबिक अमल कर सकें तभी हम राज-स्थान की जनता की सही सेवा कर पाएंगे और प्रजातंत्र की नींव दृढ कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैंने जन-सेवा आयोग की जो रिपोर्ट है उस सम्बन्ध में चर्चा सुनी।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

उसे सुनने के बाद एक ही बात दिमाग में आती है कि जब कभी सरकारी पक्ष से या सरकार की रिपोर्ट प्रकाशित हो उसके अन्दर छिद्रान्वेषण करें और करने के बाद जो सही पहलू है, जो काम अच्छा हुआ है उस तरफ ध्यान नहीं दिलाकर जो मामले विपरीत उनको मालूम देते हैं उनको बहुत चढ़ा-बढ़ा कर किस प्रकार सदन के सामने रखा जाता है; जैसे मानलो कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया है और जनमानस इस प्रकार का बनाना चाहते हैं कि इस देश की व राजस्थान की कोई शासन व्यवस्था नहीं है, ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं, सदन के अन्दर भी और बाहर भी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बात रखना चाहता हूं कि अभी मेरे से पहले बोलनेवाले माननीय सदस्य ने इस बात को रखा कि पहले भी ऐसा होता था कि दीवान लोग बड़े चतुर हुआ करते थे। उनके दिमाग में. हो सकता है कि दीवान चतुर हों, अच्छी हुकूमत करने वाले हों यह उनके दिमाग की बात है। लेकिन आज डेमोक्रेसी का तरीका है, प्रजातंत्र का तरीका है। इसमें किस प्रकार का शासन चलाना चाहते हैं वह तरीका अख्तियार करना है और उसकी तहत हमने जो पी. एस. सी. कायम किया है हिन्दुस्तान में और राजस्थान में उसको चलाना चाहते हैं। आपने सुना होगा स्वतंत्र पार्टी के नेता महोदय ने कहा कि कुछ रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि किस तरह से लगा दिया जाता है एक बात को। उन्होंने रिजल्ट्स की बात कही। मैं कह रहा था कि कुछ इमरजेन्सी रेक्रूटमेंट के लिये इम्तिहान हुए और वे कितनी तारीख तक हुए, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं; ३०-१-६० तक हुए और यह रिपोर्ट ३१-३-६० तक की है, जिसके डेढ़ माह पहले इम्तिहान हुए जिसमें कितने आदमी बैठें ? ३००५ आदमी बैठे और वहां बैठने के बाद यदि महीने डेढ़ महीने में, जो जैसा कि आपका प्रोसीजर कहता है, लोग बैठते हैं, उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो कौनसा बड़ा गुनाह हो गया एक महीने के अन्दर। उससे क्या इन्टेन्शन जाहिर करना चाहते हैं ? वे चाहते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, उनके अन्दर किसी प्रकार किसी के द्वारा इन्टरफियरेन्श हों ? यह बात कहना चाहते हैं कि जो इम्तिहान देते हैं, जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, उनकी परीक्षा मार्च में होती है लेकिन जून, जुलाई तक उनका रिजल्ट निकलता है। तो क्या तरीका है रिजल्ट निकालने का, क्या तरीका है इन्टरव्यू करने का, उस तरीके को न समझ कर इस प्रकार की बातों से उसे अतिरंजित किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह उसकी कमी नहीं है, यह सदन के माननीय सदस्यों की कमी है। सदन के माननीय सदस्यों का फर्ज है कि जो इन्टरफियरेन्स है, जो कमियां हैं, उनको रोकें कैसे, यह बतायें। उनको रंग देकर यहां नहीं रखें। लेकिन ऐसा ख्याल है नहीं, यह इच्छा कहीं है नहीं। फिर आखिर आप चाहते क्या हैं ? प्रजातंत्र की सर्विसेज से क्या कराना चाहते हैं ? क्या आप पब्लिक सर्विस कमीशन को मान्यता नहीं देना चाहते ? आप क्या कहना चाहते हैं ? जो काम हुआ है राजस्थान में, उसके लिए आप कल कह रहे थे कि राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

राजस्थान में स्टेट्स का विलीनीकरण हुआ है इसलिए राजस्थान पिछड़ा हुआ है। आप जाकर भारत सरकार से कहें कि सहायता में दी जाने वाली राशि में कटौती नहीं होनी चाहिए; इस प्लान में कटौती हो गई तो राजस्थान की तरक्की नहीं होगी। दूसरे प्रान्त यू. पी. वगैरह के लोग हैं वे इस के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि राजस्थान के अन्दर स्टेट्स का विलीनीकरण हुआ, उनकी सर्विसेज एक हुई। इसके लिए आयोग बनाया गया, इसकी रिपोर्ट के अन्दर हमने देखा कि सर्विसेज़ का किस प्रकार सिलेक्शन किया गया है। आपको इन आंकड़ों को देखने से मालूम होगा कि कितनी पोस्ट्स का एडवरटाइज़मेंट किया गया, कितनी पोस्ट्स उसके अन्दर भरी गई। आप देखिये कि २२९६ पोस्ट्स का एडवरटाइज़मेंट किया गया, उसके अन्दर से १५७५ पोस्ट्स के लिए उम्मीदवार दिये गये। इसी प्रकार से आप दूसरी तरफ देखिये जो आंकड़े हमारे सामने हैं, इनसे मालूम होगा कि हम राजस्थान में जो यह सर्विस कमीशन चला रहे हैं, यह पब्लिक सर्विस कमीशन दिनों-दिन तरक्की की तरफ जा रहा है। उसमें जो कमियां हैं, उनको अपन दूर करना चाहते हैं, वे दूर होनी चाहिएं क्योंकि प्रजातंत्र के अन्दर जो सबसे बड़ी जड़ होती है वह यह है कि उसकी सर्विसेज निडर हों, उनको काम करने का मौका मिले, उनके दिल और दिमाग में पार्टी विशेष के लिए महत्व नहीं हो। यह हम सब चाहते हैं, प्रजातंत्र के अन्दर हर नागरिक इस बात को चाहता है क्योंकि हुकूमत के अन्दर पार्टी तो बदलती रहती है लेकिन उसकी जो सर्विसेज़ हैं, वे वहीं रहती हैं। यह कोई नहीं चाहता कि जो सर्विसेज़ हैं उन पर किसी विशेष पार्टी का कोई विशेष प्रभाव रहे। दूसरी तरफ वे कह रहे थे कि सर्विसेज़ में डिमोरेलाइज़ेशन नहीं आना चाहिए। मैंने तो इस सदन के इस सत्र में पहले सत्र में और इस सत्र में देखा कि बड़े बड़े माननीय सदस्य इतने कारीगर हैं कि ऑफिसेज़ के रिकार्ड यहां पेश करते हैं। यहां बहुत बड़ी बड़ी रिसीट्स पेश करते हैं, कि ये पार्ट्स फलां जगह से खरीदे गये और उसकी रिसीट यह रही, उसका रिकार्ड यह रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार सर्विसेज़ से रिकार्ड लाते हैं, इस प्रकार सर्विसेज़ को बुला कर बात करते हैं, यह उनको डिमोरेलाइज करने का सबसे बड़ा कारण है। सर्विसेज़ से लाकर इस प्रकार के जो रिकार्ड हैं, जो कॉन्फीडेंशियल हैं, उनको सदन के सामने पेश करते हैं। आप कोई जादूगर नहीं हैं और न ही कोई ज्योतिषी हैं, फिर यह कहां से लाते हैं.........

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) यह सरकार की कमजोरी है।

श्री जयकृष्ण : ठीक है। फिर यह डिमोरेलाइज़ेशन कहां से पैदा होता है? इसमें सबकी जिम्मेदारी है। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, आप इस चीज के लिए चिल्लाते हैं। ठीक है, आप कमियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं लेकिन जब आप सर्विसेज़ में खुद कमियां पैदा करना चाहते हैं तो फिर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

सरकार से क्या कहना चाहिए, किन कमियों के बारे में कहना चाहते हैं। जब आप में खुद में कमियां हैं और आप खुद कमियों के शिकार होते हैं, जब कि दूसरों को आपके बारे में कहने का मौका मिलता है लेकिन फिर भी अपनी कमियों की तरफ नहीं देखना चाहते। आप देखिये कि यह सब क्यों होता है ? यह इसलिए होता है कि हम सब, आप और हम, इस बात के शिकार हो गये हैं, हम केवल थोड़ी सी चीज को बढ़ा कर रखते हैं, चीप पोपुलेरिटी गेन करने के लिए, सदन में यह दिखाने के लिए कि हम कितने जागरूक हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : क्या आपके ये शब्द उचित हैं कि सदस्य चीप पोपुलेरिटी गेन करना चाहते हैं ?

श्री जयकृष्ण : अगर आपको दुःख हुआ तो मैं वापिस ले लेता हूं। मेरा मतलब यह नहीं था। आपको बुरा लगा तो मैं वापिस ले लेता हूं। मेरे कहने का जो मतलब है, वह निकल जाना चाहिए और मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं वापिस ले लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरंभ रखिये।

एक माननीय सदस्य : यह आप पर ही घटित होता है।

श्री जयकृष्ण : यह आप पर घटित होगी या मुझ पर होगी; होगी जरूर किसी न किसी पर।

तो मैं समझता हूं कि यह जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की सबकी है। यह बात सबसे पहले कह देता हूं। इसके बाद इस स्टेटमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा तोड़-मरोड़ कर कहा। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दो आदमियों को डिबार किया गया है। मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इसमें आठ नजर आते हैं। क्या मालूम कि उनके पास जो रिपोर्ट है, वह गलत है या मेरे पास है इसमें गलती है, लेकिन मैंने इसमें आठ आदमी देखे हैं। इस प्रकार जो स्टेटमेंट्स हैं, जितनी बातें हैं उनको देखते हुए हमें ध्यान देना होगा कि जो दिक्कत हमारी है, उनकी तरफ हम ध्यान दिलायें। ठीक है, आपने एक बात रखी, उस बात के हम हामी हैं। मैं भी वह बात रखना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन को हम ज्यादा से ज्यादा बलशाली बनायें। इसकी स्ट्रेन्थ कम है, दो की स्ट्रेन्थ है तो जब तीन की स्ट्रेन्थ का मौका आये तो तीन की बनायें। चार की स्ट्रेन्थ का मौका आये तो चार की बनायें क्योंकि राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है और इसकी सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज का पब्लिक सर्विस कमीशन से ताल्लुक हो जाता है तो इसकी ज्यादा स्ट्रेन्थ होनी चाहिए। परन्तु दूसरी ओर माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि इसका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, दो सदस्यों ने ही बहुत खर्च कर दिया है। १८० मीटिंग ३६५ दिन के अन्दर की हैं। उसके सम्बन्ध में एक मेंबर का खर्च है एक लाख ४६५ रुपये। यह २ लाख, ७१ हजार हो गया है। आखिर शासन को चलाने वाली सर्विसेज हैं, उसके लिए सब कुछ सर्विस कमीशन की मार्फत ही किया गया है और उसके अन्दर इतना खर्च हुआ है, तो एक तरफ तो आप बहुत मितव्ययता की तरफ जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ पब्लिक

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

सर्विस कमीशन को बहुत बलशाली और मजबूत बनाना चाहते हैं कि इसके अन्दर इन्टरफियरेन्स किसी प्रकार का नहीं हो, इसके लिए सुझाव देना चाहते हैं। आपका सब तरफ मन ललचता है। इससे साफ जाहिर होता है। मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की टेन्थ रिपोर्ट आपके सामने आई है और इस पर, इन बातों पर चर्चा करने का मौका मिला है। सब माननीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार का स्वरूप पब्लिक सर्विस कमीशन का है, किस प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन काम करे, यदि कोई गलतियां हैड्स ऑफ डिपार्टमेंन्ट्स से होती हैं तो उनको दूर करें और उन्हें प्रकाश में लाना चाहिए, कोई अनियमितता है अपॉइन्टमेंट्स में, तो उनको जरूर प्रकाश में लाना चाहिए। मैं समझता हूं, कि जो जो कमियां इसके अन्दर आई हैं, वे दूर हुई हैं और दूर होंगी क्योंकि यह कमीशन है, यह तब जब कि हम ध्यान दिलाते हैं, सदन के माननीय सदस्य ध्यान दिलाते हैं और दूसरी कमेटी के द्वारा ध्यान दिलाया जाता है, उनके ऊपर गौर करने के लिए है और उनको दूर करने के लिए है। यह मेरा विश्वास है और इसको मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जो स्ट्रेन्थ का सवाल है, वह ठीक है। इसकी स्ट्रेन्थ ज्यादा होनी चाहिए और जो भी पोस्ट ऐसी हैं जिनके लोग मिल सकते हैं, उन पर री-एम्पलॉयमेंट नहीं देना चाहिए। यह सदन के माननीय सदस्यों का और सबका एक ही विचार हो सकता है। परन्तु दूसरी तरफ जो ऐसी पोस्ट्स हैं, जिनके आदमी नहीं मिलते हैं, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले इस सदन में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें डॉक्टरों की बात थी। बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे यहां डिस्पेंसरी हैं लेकिन डाक्टर नहीं हैं। हमारे यहां इन्जीनियर नहीं है और बहुत से कहते हैं कि हमारे यहां ओवरसियर नहीं हैं। तो ऐसी जो टेक्निकल पोस्ट्स हैं, जिनके लिए लोग नहीं मिल पाते हैं, उन पोस्ट्स पर जरूर एक्सटेंशन दिया जाय। दूसरे जिन पोस्ट्स के लिए लोग मिलते हैं उनके लिए एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है और मैं समझता हूं कि हमारी राज्य सरकार ने इस ओर कदम उठाया है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको इस साल एक्सटेंशन नहीं दिया गया है और उनको रिटायरमेंट दे दिया गया है। इससे मालूम होता है कि राज्य सरकार की मन्शा है कि जो लोग टेक्निकल नहीं हैं उनको एक्स्टेन्शन नहीं दिया जाय और यह मंशा साफ इससे प्रकट होती है।

दूसरी तरफ, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों का सवाल है, मैं समझता हूं कि ये सदन के अन्दर आनी चाहिएं परन्तु साथ में जैसा एक भाई, माननीय सदस्य ने बात रखी कि ट्रांसफर जो होते हैं, वे सदन के अन्दर डिस्कस होने चाहिएं। मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक कन्ट्री नहीं हैं जिसके अन्दर सर्विसेज के ट्रांसफर डिस्कस होते हों। इसका मतलब है कि आप सर्विसेज को सर्विसज रखना नहीं चाहते, सदन के अन्दर ट्रांसफर्स को डिस्कस करके। मैं कहूंगा कि इससे एक

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

अधिकारी का सवाल आयेगा, उसके लिए आप कहेंगे कि यह अधिकारी खराब है, इसका ट्रांसफर इस वजह से हुआ है कि वह कांग्रेस का आदमी है। मैं कहूंगा कि इसका ट्रांसफर इसलिए हुआ है। आप ट्रांसफर की बात लाकर सदन में डिस्कस करना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप प्रशासन नहीं रखना चाहते और जिन सर्विसेज को हम सुदृढ़ बनाना चाहते हैं उनको आप कमजोर बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरी मान्यता है कि हमें इस प्रकार की बातें रखनी चाहिए जिससे हमारी सर्विसेज जो कमजोर हैं, बलशाली हों।

तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है उसमें कितनी स्ट्रेन्थ होनी चाहिये, किसी प्रकार से जो भी कमियें हों वे दूर होनी चाहिय। इस प्रकार की कल बहस हो रही थी, मुझे कल बोलने का मौका नहीं मिला। मैं भी बोलना चाहता था, मगर बहस में बोलने का मुझे अवसर नहीं मिला; फिर भी जो बहस हो रही थी, उसको मैंने सुना और देखा कि जो सुझाव आने चाहियें वे नहीं आए। विरोधी पक्ष वाले कहते हैं कि आप चाहे जैसा कर लीजिये, आप बहुमत में है। मैं यह कहूंगा कि आप किस लिये कहना चाहते हैं। आप भी इसीलिये कहना चाहते हैं कि सरकार में जो गल्तियें हैं वे दूर हो सकें। इसलिये जो माकूल सुझाव हों वे देने चाहियें।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये) खड़े हुये

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानसिंह।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के १० वें प्रतिवेदन पर बहस के लिये मुख्य मंत्रीजी ने सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सरकार का ध्यान बहुत ही ओजस्वी भाषण द्वारा आकर्षित किया। मैं नहीं समझता उपाध्यक्ष महोदय, कि जो वाजिब बात इस सदन में कही जायेगी, उसके लिये मेरे मित्रों के ऐसे विचार होंगे कि लोग यह कहें कि चीप पोपुलेरिटी गेन करने के लिए कहते है। मैं यह समझता हूं कि हमारे यहां जो भी बोलने वाले हैं वे चीप पोपुलेरिटी की बात नहीं सोचते हैं। हमारे दिमाग में इस प्रकार की कोई बात नहीं है।

श्री भेरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : ये चीप पोपुलेरिटी के लिये नहीं बल्कि फ्लेटरी कर रहे थे।

श्री मानसिंह महार : मैं बता रहा हूं। आप चिन्ता न करें। हमारे लिये चीप पोपुलेरिटी कुछ नहीं है।

वे अपनी तरक्की की तरफ अग्रसर होने की कोशिश करते हैं। शुरू से आखिर तक बहस सुनी और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ बेक बैन्चेज के लोग वहां से हट कर आगे दो-तीन बैन्चों में आकर बैठना चाहते हैं। इसलिये उनकी बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं दूंगा।

राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो कुछ भी कहा जाय बहुत कम

(श्री मानसिंह महार)

होगा। राजस्थान की सर्विसेज के बारे में मैं कहूंगा कि कहने के लिये यह पब्लिक सर्विस कमीशन है। मैं सर्विसेज की कोई बुराई करना नहीं चाहता। मगर आज कागजात रोकना, सर्विसेज को डीमोरेलाइज करते जा रहे है। यह हमारे मुख्य मंत्रीजी को मालूम है। आज किसी भी सेक्रेटेरियेट के व्यक्ति से आप पूछें, सेक्रेटेरियट के लोग ऊपर से नीचे तक यही कहते हैं कि जिसका खूंटा है, उसको प्रमोशन मिलता है। आप नीचे से ऊपर तक यही बात सुन लीजिये। इस प्रकार से आप देख लीजिये कि किस प्रकार से आज डीमोरेलाइजेशन हो रहा है। मैं यह आपको दावे के साथ कहता हूं कि किसी एम० एल० ए० के व्यक्तिगत काम के लिये सीकर के एडिशनल कलेक्टर को सिफारिश की.........

एक माननीय सदस्य : किस एम० एल० ए० का कह रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं मिसाल दे रहा हूं आप लोगों में मैं भी हूं।

मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि एक ऐडिशनल कलेक्टर, सीकर जिले में एक एम० एल० ए० साहब ने सिफारिश की कि इस काम को करो। उस गरीब ने यह कह दिया कि आप कोर्ट में इस प्रकार की सिफारिश करेंगे तो मैं आप पर कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट लगा दूंगा। उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उसकी तरक्की रुकवा दी, ट्रान्सफर करवा दिया और फादर की डेथ होने पर भी उसको नहीं आने दिया। उसको राजस्थान के इस कोने से उस कोने में जा कर पटक दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : ये कौन हैं ?

श्री मानसिंह महार : नाम लूंगा अगर आप कहेंगे तो।

मेरे साले साहब ही हैं। श्री मानधातासिंहजी।

श्री भैरोंसिंह : आप उनकी सिफारिश कर रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूं। लेकिन फेक्ट बता रहा हूं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, वे आपके कृपा पात्र नहीं हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी आपको बता देना चाहता हूं कि वे बहुत जल्दी इस्तीफा दे रहे हैं।

श्री मानधातासिंह, सीकर में एडिशनल कलेक्टर थे। सीकर के एम० एल० ए० ने कहा कि अमुक मुकद्में में इस प्रकार का फैसला कर दीजिए। उसने कहा कि अगर आप ऐसा कहेंगे तो कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट आपके खिलाफ कर दूंगा। इस पर उसका ट्रान्सफर कर दिया गया और उसको कहीं नागौर डाला गया।

श्री भैरोंसिंह : आॅन ए पोइन्ट आॅफ इन्फोरमेशन सर, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एम० एल० ए० के कन्डक्ट को रेफर किया गया है। सामूहिक रूप से यह कह देना कि एम० एल० ए० ने इस प्रकार की सिफारिश की, यह सभी एम० एल० एज० पर रिफ्लेक्शन डालता है। इसलिये मैं आपकी मारफत निवेदन करूंगा कि किसी एम० एल० ए० ने ऐसा किया हो तो उसका नाम बताया जावे ताकि दूसरे बाकी के व्यक्ति तो इस दोष से परे रहें।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम बताना नहीं चाहता। मुख्य मंत्रीजी कहें तो बता सकता हूं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि वे नौकरी छोड़ने वाले है।

श्री भैरोंसिह : माननीय उपाध्यक्ष, या तो जो चार्ज उन्होंने लगाये हैं उनको वापिस लें या उनका नाम बतावें।

श्री मानसिंह महार : मैं कभी अपने शब्दों को वापिस नहीं लूंगा।

चीफ मिनिस्टर कहेंगे तो मैं नाम बता सकता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह कहूंगा कि मेरी जानकारी में यह नहीं है।

श्री मानसिंह महार : आप नहीं जानते ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please आपने सारे एम० एल० एज० पर यह दोष लगाया है, यह उचित नहीं है। इसलिये आप या तो उस एम० एल० ए० का नाम बतायें या अपने शब्दों को विथड्रा करें।

श्री मानसिंह महार : मैं अपने शब्दों को कभी विथड्रा नहीं करूंगा। मुझे निश्चित रूप से मालूम नहीं मगर यह कहूंगा कि शीशराम ओला थे या रामदेवजी थे।

श्री निरंजननाथ अचार्य (राजसमन्द) : The Hon'ble Member is naming the two. He should fix the liability on one.

श्री मानसिंह महार : श्री शीशरामजी ओला थे। और कुछ कहना चाहते है आप ?

मैं नही चाहता था कि ऐसी बात कहूं और मैं यह कहूंगा कि उनको और दूर डाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात का ध्यान रखें कि जिन माननीय सदस्य के लिए कहा हैं; अगर अवसर आया तो उनको साबित करना होगा कि जो एलिगेशन लगाये जा रहे हैं वे दुरुस्त है।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सारी भलाई-बुराई को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इसके कोन्सीक्वेन्सेज़ को भी बहुत अच्छी तरह से समझता हुआ ही कह रहा हूं। मैं यह भी समझता हूं कि मेरे पर इससे क्या क्या आपत्ति आ सकती है। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं और मुख्य मंत्री को आपके द्वारा सचेत करना चाहता हूं कि फालतू उन्होंने इस कॉन्ट्रोवर्सी को बढ़ाया। कह दें तो बुरा, न कहें तो बुरा। पहले रेवेन्यू मिनिस्टर जो इसी कुर्सियों पर बैठते थे, उन्होने कहा कि ऐसी शिकायत है। मगर अब आप रहने दीजिए और भी बातें खोल सकता हूं। यह तो मैंने एक कोन्क्रीट उदाहरण आपके सामने रखा है।

श्री भैरोंसिह : आपके साले साहब की आप परवाह कर रहे हैं या आप उनको नुकशान पहुंचाने के लिये ऐसा कह रहे हैं। कहीं आपके और उनके टर्म्स खराब हों ?

श्री मानसिंह महार : मैंने पहले ही कह दिया कि उन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही से तंग आकर नौकरी छोड़ने का करीब करीब ९० प्रतिशत विचार तय कर लिया है। उनका कहना है कि इस राज्य में ईमानदार अफसरों की जरूरत नहीं है इसलिये नौकरी छोड़ दी जावे।

श्री निरंजननाथ अचार्य : अगर मांग की जावेगी तो ?

श्री मानसिंह महार : आपके लिये तो मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आपने जयपुर का ऐसा काम किया है कि आपने जयपुर वालों की इज्जत रख ली, आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप जो कहेंगे सुन लूंगा। इतनी ही बात कह सकता हूं कि मुख्य मंत्रीजी तीन चार वर्ष तक शिक्षा मंत्री रहे, वे वह कार्य नहीं कर सके; हालांकि ऐसे ऐसे लांछन उन आदमियों के खिलाफ रखे थे; पर उन्होंने कुछ नहीं किया आपने एक दम हमारी सेवा कर दी कि कभी नहीं भूल सकते जन्म-जन्मान्तर तक इस सेवा के लिये ऋणी रहेंगे। आप जो कहेंगे सुन लेंगे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्विसेज के बारे में निवेदन कर रहा था। राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन है। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि रियासतों में ऐसा था, रियासतों में वैसा था। मैं दंग रह गया। रियासतों में बड़े काबिल आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन में थे। हमारे जयपुर राज्य में पहले पब्लिक सर्विस कमीशन में बड़े काबिल काबिल आदमी थे और यह गर्व की बात है कि उनमें से एक मेम्बर राजस्थान, पब्लिक सर्विस कमीशन के भी कई वर्षों तक चैयरमैन रहे हैं। पर मेरा निवेदन करने का मतलब यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि आज पब्लिक सर्विस कमीशन को जो महत्व देना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा काम यह है, मैं तो एक ही बात पर डट कर रहता हूं वह यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने सदस्य हों वे दूसरे राज्यों से बुलाये जायं। चाहे बोम्बे से मंगायें, चाहे मद्रास से मंगायें, बाहर से मंगवा लीजिये ताकि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर का यह झगड़ा खत्म हो जाय। हमें यह कहने का मौका नहीं मिले कि जयपुर को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है, उदयपुर को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है या जोधपुर को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है।

दूसरा यह है कि आप चेयरमैन को परमानेन्ट रखिये। पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन दो तीन वर्ष के लिये परमानेन्ट बाहर से बुलाकर रखिये जो इम्पार्शियल हो। सर्विसेज के मामले में आपके ऊपर चार्ज है। ४५ रुपया माहवार पाने वाला उदयपुर का आदमी, मेवाड़ का आदमी राजस्थान में ९० रुपया पाने लग गया और जयपुर वाला है उसके सौ के सौ ही रह गये। जब से राजस्थान बना है तभी से मैं डिटेल्स में इन बातों की स्टडी करता आ रहा हूं। मैं जानता हूं कि सर्विसेज के साथ राजस्थान में कितना अन्याय हुआ है। यह सब वर्तमान मुख्य मंत्रीजी के युग में ही हुआ हो यह बात नहीं है, यह राजस्थान बना तभी से है।

आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस० का बोर्ड आता है तो हमें कह दिया जाता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आदमी बैठता है। पर होता यह है कि जिन लोगों को लेना होता है उनकी कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट को जो एड्वर्स हो, उसको निकाल लिया जाता है, दूसरे एडवर्स रिमार्क्स हों उनको निकाल लिया जाता है और उनका अच्छा अच्छा रेकार्ड रखा जाता है, ताकि आइ० पी० एस० या आइ० ए० एस० में लेने में दिक्कत न हो।

मैं इस सदन में मुख्य मंत्रीजी को चैलेंज करता हूं, एक बार चैलेंज फेंकता हूं...

Page No 71

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह जानकारी आपके पास कहां से आई, आप उस तरह के पद पर तो काम करते नहीं फिर यह भीतर की जानकारी आपके पास कहां से आई ?

श्री मानसिंह महार : जिनके गले पर छुरी चलती है तो वे लोग अपने आप आकर कह देते हैं। आपकी कांग्रेस से निकलने के बाद हमारे पास मदद के लिये आते हैं और कहते हैं कि स्वतन्त्र पार्टी अच्छी है, हमको भी टिकट दिलवा देना मानसिंह महार। वैसे ही सरकारी नौकरों का गला काटते हैं तो हमारे पास आते हैं और सब आपकी इनर बातें बता देते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो यह है कि आप सरकारी अफसरों से मिल कर......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके पास कांग्रेस वाले आये उनका शायद आप यह कह कर अपमान तो नही कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : अपमान नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिसे कोई टिकट नहीं मिले और आपके पास भिक्षा लेने आये हैं, उनका आप इस तरह कह कर अपमान तो नहीं कर रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : हम तो बड़े उदार हैं, कोई आये उनको शरण ही देते रहें हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बिलकुल शरणार्थी बना दिया है, उनको आपने जनता में।

श्री मानसिंह महार : वह तो आप भी बनने वाले हैं। क्या हूं ? पर मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमेन को किस तरह से धोखा दिया जाता है इसका एक तरीका है, कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट होती है......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो १० मिनट ही हुए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का कह कर रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी का नाम, इधर उधर बता दिया जाता है और उसमें भी पक्षपात होता है। लोगों की कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट्स छिपा ली जाती है। अगर मुख्य मंत्रीजी कहेंगे तो नाम साइट कर दूंगा। यह भी वाकफियत रखता हूं आपके सेक्रेटेरियेट के इनर वर्किंग की, चाहे सब कुछ घर बैठे ही कर लेता हूं। तो आपके जो सेलेक्शन्स होते हैं वे ठीक नहीं होते, पचासों तरह की सिफारिशें और पक्षपात उनमें होते हैं, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। मुख्य मंत्रीजी कह देंगे कि यह भी नहीं होता, जैसे अभी कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं। मुख्य मंत्रीजी कह देंगे कि दूध से धुले हुए योग्यतम आदमी आते हैं तो मैं मान लूंगा क्योंकि उनकी हर बात को मानने को तैयार हूं, वे कोई बात गलत नहीं कह सकते।

इसके बाद सर्विसेज के सलेक्शन के बारे में, नौकरियों के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन को ओवर राइट करने का तरीका है वह भी सदन को बता देना चाहता हूं। इसके लिये यह किया जाता है कि किसी आदमी को किसी सरकारी पद पर लगाना

(श्री मानसिंह महार)

होता है तो टेम्परेरीली काम पर लगा दिया जाता है, छः महीने, बारह महीने के लिये फिर एक्स्टेन्ड कर दिया जाता है और फिर कह देते हैं कि दो वर्षों का तजुर्बा हो गया है, बहुत योग्य हो गया है इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन की कन्करेंस चाहते हैं कि... He may be confirmed.

यह तरीका है उपाध्यक्ष महोदय, किसी पर्टीक्यूलर पोस्ट पर किसी आदमी को रखना होता है तो यह तरीका ईजाद कर रखा है। तो आपके जरिये मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि छः महीने से ज्यादा किसी को न रखा जावे।

यह तो हुई ऊंची सर्विसेज की बात, अब मैं नीचे के तबके की सर्विसेज के बारे में कहना चाहता हूँ......

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

एक दो बात और निवेदन कर दूं। फोर्थ क्लास की बात आती है तो उसकी उम्र, तन्दुरुस्ती की तरफ कोई ख्याल नहीं; सेमीब्लाइन्ड हो तो कोई ख्याल नहीं किया जाता पर उसको कहा जाता है कि हमारे घर का धंधा करेगा क्या? घर का धंधा करने को तैयार हो तो फिर चाहे वह ५० वर्ष का बूढ़ा है तो भी बाईस तेईस वर्ष की उम्र का दर्ज करके भर्ती कर लिया जाता है। इसके लिये मुख्य मंत्रीजी को खुला चैलेंज है, अगर वे मुझे कॉन्फिडेन्स में लें तो मैं कई केसेज; १५–२० केसेज बता सकता हूं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप तो कॉन्फिडेन्स में हो ही।

श्री मानसिंह महार : ५०, ५५ वर्ष का बुड्ढा होगा, माइनस टेन नम्बर का चश्मा होगा, यहां से लेकर रिपोर्टर्स बैठे हैं वहां तक भी नहीं दिखता होगा पर अधिकारियों के यहां पर काम कर देता है इसलिये ले लेते हैं। तो आज सर्विसेज में डीमीरेलाइजेशन सेट इन हो गया है। मैं कई दफा सोचता हूं कि यह नैया चल कैसे रही है? यह तो वही हालत है कि एक ईंट होती है......

(घंटी)

कन्क्लयूड ही कर रहा हूं।

एक ईंट होती है और उसके नीचे छोटीसी कंकरी रहती है, जब दीवाल का चारों ओर से चूना गिर जाता है तो कुछ भी नहीं होता किन्तु कंकरी को जिस रोज कोई हटा देगा तो ईंट गिर जाने से सारा मकान ही गिर जायगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन इसी तरह से सारा एडमिनिस्ट्रेशन ही पैरेलाइज़ हो जायगा। इससिए इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हुए चन्द बातें कह कर माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना पड़ा। जो अनियमिततायें हो रही हैं उनको दूर करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय का आदेश है कि अधिक बातें न करूं। ये चन्द बातें कह कर ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन सेवा आयोग का यह १०वां प्रतिवेदन मुख्य मंत्रीजी ने सदन में प्रस्तुत किया है। मैं ऐसा समझता था कि इस प्रतिवेदन के साथ साथ हमारी सरकार की ओर से सरकार के कमेन्ट्स जो संविधान के द्वारा उन्हें प्रस्तुत करने चाहिये वे किये जावेंगे लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कह कर उस पर अपनी इन्कारी प्रकट कर दी कि हमने किसी भी मसले पर पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवाइसेज से डिसएग्री नहीं किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस मसले पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दिया है। अगर वे शायद ध्यान देते और कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेवेन्ट पोर्शन जो इस सम्बन्ध में दिये हुए हैं उनको पढ़ते तो शायद यह अनुभव होता कि इस प्रतिवेदन के साथ हमें अपनी रिपोर्ट सदन के अन्दर प्रस्तुत करनी चाहिये थी। मैं उसकी दो लाइनें संविधान में से पढ़ कर सुनाना चाहूंगा :

'.....Shall on receipt of such report cause a copy thereof together with a memorandum explaining as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State.'

अब मुख्य मंत्रीजी का केवल यह कह देना कि हमने कोई ऐसे मसले पर उनकी एडवाइस को अमान्य नहीं किया हो ऐसी बात नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिए इस रिपोर्ट के पेज ९ जिसका हैड है Disciplinary Cases and Appeals उसके नीचे के पैरेग्राफ में लिखा है वह पढ़ देता हूं :—

"Out of the five cases in which the decision of the Government was awaited last year, the acceptance of the advice of the Commission in one case and that of non-acceptance in another was intimated by the Government."

अब मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपने किस आधार पर सदन के सामने यह बात कह दी कि इस रिपोर्ट के किसी मसले पर पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवाइस को अमान्य नहीं माना है। या तो आप यह स्पष्ट करें कि जो आपने बात कही है वह सही है और जिस पब्लिक सर्विस कमीशन की बातों की चर्चा मैं कर रहा हूं वह रिपोर्ट में दी हुई बातें सही नहीं है। अब मैं तो यह मानकर चलूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ये सब बातें अपनी अनभिज्ञता के आधार पर सदन में कह दी। वास्तव में सही बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवाइस को स्वीकार नहीं किया है और स्वीकार न करने के कारण उनको सदन में बताने चाहिये थे जिस पर माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर सके। ऐसा क्यों नहीं हुआ वे स्वयं जब उत्तर देंगे तब ठीक ढंग से स्पष्ट कर पायेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि सरकार की इस सम्बन्ध में जिस प्रकार की भावना प्रकट की गई है वह उचित नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है कि हमारे यहा संविधान के अन्तर्गत पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ है। यह बात भी सही है कि यदि हम मेरिट्स पर न जायं तो सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी हैं, वे चाहें

(श्री भैरोंसिंह)

कि उनको रिएम्प्लोय करना सही है, हम उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य बनाते हैं । वर्तमान सदस्य हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के या पहले थे उनके विषय में इस समय कुछ नहीं कहना चाहूंगा किन्तु इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन को जितना हम इन्डिपेन्डेन्ट बना सकें उसी प्रकार की हमें चेष्टा करनी चाहिये और पब्लिक सर्विस कमीशन को इन्डिपेन्डेन्ट बनाने के लिए इस संविधान में कुछ डायरेक्टिव प्रिन्सिपल हमारे इस संविधान के बनाने वाले लोगों ने इसके अन्दर रखे हैं और सरकार के द्वारा उन डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के अगेन्स्ट आचरण किया जाता है तो यह मान कर चलना पड़ेगा कि सरकार की अन्तर्निहित नीति यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को इन्डिपेन्डेन्ट न रखें। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात से सहमत होंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में, चेयरमैन के सम्बन्ध में इस संविधान में व्यवस्थायें हैं । उसके आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने एल्योरमेन्ट रहते हैं तो यह मानकर चलिये कि जिस व्यक्ति में ह्युमन वीकनेस होती है, कम ही व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनमें ह्युमन वीकनेस न हो, लेकिन वे बहुत कम, तो वहां जाकर उनको एक्स्प्लोइट करने का उनके लिए चान्स क्रीयेट करते हैं तो यह उचित नहीं कहा जा सकता है । पब्लिक सर्विस कमीशन के एक चेयरमैन थे जिनको हमने अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया । इसके सम्बन्ध में सरकार ने जांच करवा ली और जांच कराने के बाद एटोर्नी जनरल सीतलवाड़ की ओपीनियन के आधार पर सरकार ने स्वीकार कर लिया कि स्टेट में उनको दूसरी जगह नहीं दी जा सकती । एक यह ही उदाहरण नहीं है । एक होता तो अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूतपूर्व चेयरमैन के त्याग पत्र से ही यह मसला ठीक हो गया होता । मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने ऐसी परम्पराएँ बनायी हैं कि एक चला गया तो दूसरे हैं, जिनको और कहीं जगह नहीं मिलती, संविधान के अनुच्छेदों का चाहे उल्लंघन हो जिनको मैंने आपको अभी पढ़ कर सुनाया, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि अगर चेयरमैन की हैसियत में शुमार कर उन्होंने एज़ चेयरमैन ओफिशियेट किया है, मेम्बर सर्विस कमीशन की हैसियत में भी काम किया है, इस रिपोर्ट में उनका जिक्र आता है, उनको हायर सैकेन्डरी बोर्ड का किस प्रकार चेयरमैन बनाया ? कौनसा कानून था ? कौनसा संविधान था, कौनसी सेंक्शन उनके पीछे है ? आप कॉन्स्टिचुशन को माने नहीं, उनमें जो उल्लिखित प्रावधान है उन के विपरीत लोगों की नियुक्तियां करते हैं और ऐसे व्यक्ति को हायर सैकेन्डरी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करते हैं; उनकी योग्यता के विषय में माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने कुछ रहा हो, वे बहुत योग्य हो सकते हैं, हिन्दुस्तान में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता हो योग्यता में, लेकिन संविधान बनाने वालों ने इस चीज़ को रखा है तो बहुत सोच समझ कर ही रखा है और यह निर्णय लिया है कि यदि एल्योरमेन्ट रहा तो पब्लिक सर्विस कमीशन के फन्क्शन्स इन्डिपेन्डेन्ट नहीं हो सकेंगे । मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि संविधान को ताक में रख कर किसी व्यक्ति को अपोइन्ट करना चाहते

(श्री भैरोंसिंह)

हैं, किसी व्यक्ति को नहीं, जब श्री लक्ष्मीलालजी जोशी का प्रश्न आता है, उनका ही कोई ठेका हो कि उनको रिएम्पलॉयमेन्ट दें संविधान को ताक में रख कर उनको दिया जाय और संविधान की मान्यताओं को ताक में रख दिया जाय और जितनी अनियमिततायें करनी होंगी करने दी जाय। यदि यह संविधान गलत है तो या तो इसको फाड़ कर फेंक दीजिये और यदि यह संविधान मान्य है तो इसको पालन कीजिये और ताक पर न रख दीजिये......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर ये 'फाड़ कर' लफ्ज संविधान के लिए कहे हैं इसलिए यह प्रतिकूल है और इनको एक्स्पन्ज कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : मुझे भी अफसोस है कि संविधान के प्रति ऐसी भाषा बोली गई। मैं खुद नहीं फाड़ता, फाड़ने के लिए कह रहा हूं। इसमें दी हुई बातों को न मानना और इसको न मानना इन दोनों में फर्क निकालना चाहिये तो इसको फाड़ना और बात है और जिस प्रसंग में यह कहा गया है....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मानना या न मानना यह आपकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। आपकी दोनों तरफ की बातों को सुन कर मैंने जो यह आपत्ति उठायी है उस पर व्यवस्था देनी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य संयत भाषा ही प्रयुक्त करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं स्वयं मानता हूं कि संविधान के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये। साथ ही साथ मैं यह भी महसूस करता हूं, हमें आचरण भी उसी के अनुसार करना चाहिये। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे बोलने पर आपत्ति उठा दी कि मैंने इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया लेकिन जो संविधान के विपरीत आचरण करते हैं उनकी 'हां' में 'हां' मिलाते हैं उसके लिये कुछ नहीं कहा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : 'हां'-'हां' में 'हां' मिलाते हैं यां क्या करते हैं, यह तो सदन तभी अन्दाज लगा सकता है जब कि सदन के सामने दोनों तरफ की तस्वीर आये।

श्री भैरोंसिंह : खैर। मुख्य मंत्री महोदय इस संबन्ध में स्पष्टीकरण करेंगे कि आखिर इस प्रकार की नियुक्ति क्यों हुई ?

उपाध्यक्ष महोदय, जितने पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर हैं उनमें अक्सर वे उच्च अधिकारी हैं जिनको रिएम्प्लॉय किया गया है। रिएम्प्लॉयमेन्ट के पीछे जो टेम्पटेशन होता है उसके बारे में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाल दिया है मैं उसको दुबारा दुहराकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमें प्रत्येक उदाहरण इस बात के मिले हैं कि टेम्पटेशन किस प्रकार क्रियेट होता है। जब हमारे सामने इस प्रकार के उदाहरण आते हैं तो इससे सबक लेना चाहिये। पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मेम्बर के आचरण के संबन्ध में इस सदन में मैंने पिछली बार चर्चा की थी उस समय गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि

(श्री भैरोंसिह)

इस सम्बन्ध में रेकार्ड पेश किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, उस कागज की फोटोएस्ट कोपी तैयार करवाई और तैयार करवाने के बाद चार महीने पहले विधान सभा के पटल पर रखदी थी जो अभी तक पटल पर उसी प्रकार पड़ी हुई है उस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों के आचरण के संबन्ध में गंभीर मसले राज्य विधान सभा में उठाये जायें और उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया जाय, उस संबन्ध में कोई इन्क्वायरी नहीं की जाय, यह आश्चर्य की बात है। मसला इस प्रकार का था—कुछ व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ सिलेक्शन कमेटी जिनका सिलेक्शन करती है उनके नाम के आगे टिक मार्क कर दिया जाता है। उस टिक मार्क को सिलेक्शन कमेटी के चले जाने के बाद काटा जाता है जिस व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाता है उसके नाम को इरेज किया जाकर उसकी जगह दूसरा नाम टाइप कर दिया जाता है। जब वे मिनिट्स सिलेक्शन कमेटी के मेम्बर के पास दस्तखत के लिये जाते हैं तो वे ऐतराज करते हैं। मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मामले के बारे में वे प्रकाश डालेंगे।

मुख्य मंत्री महोदय द्वारा यह कहा जाना कि जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा मेमोरेन्डम लिखकर आता है सरकार उसको मानती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं वह पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल को कहां तक पहुंचाना चाहती है? एक तो रिएम्पलॉय करके उनको टेम्पटेशन दें और फिर जब वहां इस प्रकार की हरकतें हों उसका भी कोई हल नहीं वैसी हालत में जहां इस पब्लिक सर्विस कमीशन को पवित्र होना चाहिए वहां आप जान बूझकर अपवित्र बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन अपवित्र बनता है तो उसका निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारी सर्विसेज पर इसका बड़ा भारी इफेक्ट पड़ने वाला है।

अभी एक माननीय सदस्य ने सर्विसेज के डिमोरेलाइजेशन के बारे में कहा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिमोरेलाइ-जेशन पब्लिक सर्विस कमीशन के इन्डीपेन्डेन्ट न होने के कारण होता है। आज सर्विस के लोग अपनी सर्विस सिक्योर्ड नहीं समझते। मुख्य मंत्री यह कहेंगे कि दो चार मिसालों के आधार पर इस प्रकार की बातें करना उचित नहीं। लेकिन मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मेम्बर पर इस प्रकार का आरोप लगाया जाय और हमारी सरकार उसके लिये मौन रहे यह सब से ज्यादा गंभीर मसला है। इस बारे में मैं दुबारा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस मामले को फिर दुबारा रिपोर्ट कर रहा हूं फोटोएस्ट कोपी और अन्य कागजात देखना चाहें तो असेम्बली सेक्रेटेरिएट से प्राप्त कर देखे जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला ऐसा है जिस मसले के ऊपर हमें यह निवेदन करना पड़ेगा, आखिर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जितने अपोइन्टमेन्ट्स होते हैं वहां उसका परव्यू प्रेसक्राइब्ड है। और जो पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में नहीं आती है उसका सिलेक्शन हैड ऑफ दी

(श्री भैरोंसिंह)

डिपार्टमेन्ट करता है लेकिन जो पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में आता है उसका सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन को करना पड़ता है। बदकिस्मती ऐसी है कि इसके ऊपर भी हमारे सरकारी अधिकारी आचरण नहीं करते किस तरह से नहीं करते वह हमारी सरकार की ढिलाई के कारण नहीं करते। सरकार का एक परिपत्र जो १९५८ में निकला है उसका रेफरेन्स देना चाहूंगा वह परिपत्र तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी के० एन० सुब्रम्हण्यम् द्वारा निकाला गया था। उसके बाद में उस सरकूलर में अमेन्डमेन्ट होते गये। ५८ में जो सरकूलर इश्यू किया गया टेम्परेरी अपोइन्टमेन्टस के लिये, हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के परव्यू में नहीं आते उसके लिये सरकारी अधिकारियों को किस प्रकार आचरण करना चाहिये। इस संबन्ध में जो सरकूलर इश्यू किया था उस सरकूलर के रिजल्ट अच्छे निकले उसके लिये कुछ सजा भी मुकर्रर की ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। उसकी दो लाइनें पढ़कर सुनाता हूं।

'Normal punishment to be awarded to the defaulting officers may be censure in the first instance and withholding of grade increments if a second instance comes to the notice of the Government.'

यह सारा सरकूलर है इसमें एक पिनल क्लॉज है। मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को उठाकर देख लीजिये उसमें इररेगुलर अपोइन्टमेन्ट्स की लिस्ट दी हुई है उसमें गजेटेड ओफिसर्स की लिस्ट और नॉन गजेटेड आफिसर्स की लिस्ट भी दी हुई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो हमारे परव्यू की पोस्टें थीं उसको भी हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट ने अपनी इच्छा स भर लिया है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो सरकूलर ५८ के अन्दर इश्यू किया गया उस सरकूलर के विपरीत आचरण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं। किसी का ग्रेड इन्क्रीमेन्ट नहीं रोका गया। मेरे पास और भी सर्कूलर्स हैं उनको पढ़ने में समय लगेगा; फिर भी रेफरेन्स के लिये यह चन्द लाइनें फिर पढ़ देता हूं।

"Normal punishment to be awarded to the defaulting officers may be censure in the first instance and withholding of grade increments if a second instance comes to the notice of the Government."

(३. १०. म० प०)

(श्री केशरीसिंह सभापति, पदासीन)

इस प्रकार से आफिसर्स की टेन्डेन्सी डेवलप होती जा रही है, पीनल क्लॉज रखते हुए भी बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के अनुमति के भरती होती जा रही है सर्कूलर्स इश्यू किये हुए हैं, उनका पालन होता नहीं, सर्विस रूल्स हैं उनका पालन होता नहीं। होता यह है कि जिस ऑफिसर को ओब्लाइज किया हुआ है वह व्यक्ति नाराज नहीं होना चाहिये। कानून की व्यवस्था नहीं और कोई सर्कूलर इश्यू होता है तो उसका ठीक प्रकार से पालन होता नहीं। यह सर्कूलर ५८ के अन्दर इ यू किया गया है

(श्री भैरोंसिंह)

किस किस डिपार्टमेन्ट में कितने कितने अपोइन्टमेन्ट्स होते हैं, ऐसे अपोइटमेन्ट्स होते हैं जिनका एडवरटाइजमेन्ट नहीं किया जाता है बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉन्करेन्स के उसका क्वार्टरली स्टेटमेन्ट दिया जाय। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं अपना अपोइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट संभाले किस किस विभाग के स्टेटमेन्ट आये हैं और वे रेगूलर आये हैं या नहीं। कुछ दिनों तक तो इस सरकूलर की तामील हुई लेकिन अब तामील नहीं होती सरकूलर मौन हो गया इम्प्लीमेन्टेशन कराने वाले मौन हो गये। आप एक तरफ तो चेक्स इम्पोज करना चाहते हैं लेकिन लोग उसको मानते नहीं ये ऐसे मसले हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

इसके अलावा डिपार्टमेन्टल सर्विसेज के बारे में यह नियम है कि डिपार्टमेन्टल सर्विस की लिस्ट तैयार होती है उसमें जो प्रमोशन्स आदि दिये जायं उसके लिये नियम होते हैं वे एप्रूवल के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजने पड़ते हैं। पी. एस. सी. उनको एप्रूव करती है और अमेन्डमेन्ट सजेस्ट करती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी तो एक ही विषय पर कह गये कि उनकी एडवाइस को माना नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट के पेज नम्बर १३ को वे पढ़ लें। इसमें लिखा है:

"The Commission had suggested certain important amendments in the draft Rajasthan Insurance Service Rules. The Government published these Rules without incorporating the Commission's suggestions and even without making a second reference to them. This irregularity was brought to the notice of the Chief Secretary."

मैं पूछता हूं राजस्थान की सरकार से कि इन्श्योरेन्स विभाग के सम्बन्ध में इस सदन में कई बार चर्चाएं हुई हैं। मैं आज आपकी जानकारी के लिये कह सकता हूं कि यह पहला विभाग है कि जिसमें इररेगूलर अपोइन्टमेन्ट्स सबसे ज्यादा होते हैं। टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट पर चलने वाले दो–दो वर्ष के कर्मचारी बैठे हैं जिनके कन्फर्मेशन का कोई सवाल सरकार के सामने नहीं। अफसर की मर्जी हुई तो एक्सटेन्शन दे दिया, नहीं तो टर्मिनेट कर दिया। जो आज मेन डिफॉल्टर है उस डिपार्टमेन्ट ने न केवल नियमों का उल्लंघन किया है बल्कि पी. एस. सी. की सलाह को भी नहीं माना। हमारी सरकार भी इस पर मौन है। माननीय मुख्य मंत्रीजी बतावेंगे कि ६१ की रिपोर्ट पर जिसमें खासतौर से लिखा है, सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

इसी प्रकार से आगे दूसरे रूल्स हैं जिनके बारे में लिखा है:

"The amendments to the Service Rules mentioned at Serial No. 16 and 17 (16. The Rajasthan Secretariat Ministerial Staff Rules, 1956 and 17. The Rajasthan subordinate offices ministerial staff Rules1957 ."

ये रूल्स भी पी. एस. सी. को भेजे गये थे जिनके बारे में पी. एस. सी. ने लिखा है:

"The amendments to the Service Rules mentioned at Serial Nos. 16 and 17 above were made by the Government without consulting the Commission." एक में कमीशन एडवाइज

(श्री भैरोंसिंह)

करता है, उसको स्वीकार नहीं करते और दूसरे में कमीशन की एप्रूवल और कन्सल्टेशन भी नहीं होती और फिर लिखता है वह कमीशन:

"The Commission, therefore, enquired from Government of the circumstances in which it was not considered necessary to consult the Commission in regard to the amendments made to them. No reply was received upto the end of the year under report." मैं यह पूछना चाहूंगा कि आखिर सरकार और कमीशन के बीच में खतोखिताबत होती है उसको तो इमीजिएट रेस्पोन्स मिलनी चाहिये। यह हो सकता है कि कोई जनता का आदमी दरख्वास्त दे और प्राप्ति की सूचना मात्र पहुंच जावे, किसी को पहुंचे भी नहीं, और क्या एक्शन लिया जा रहा है, इसकी जानकारी भी न दे, पर राजस्थान की इस महत्वपूर्ण इन्स्टीट्यूशन की खतो-खिताबत को भी ठीक से रेस्पोन्ड यह सरकार अगर नहीं करती तो इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी किसकी है? कमीशन लिखता है रूल्स में आप कन्सल्टेशन नहीं करते, एडवाइज सरकार नहीं मानती, जानकारी का उत्तर नहीं देती। अब यदि पी. एस. सी. इस तरह की बात लिखती है और आप उससे डिसएग्री नहीं करते तो इसका साफ मतलब यह है कि आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अगर आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो सदन में खड़े होकर इसके लिये माफी मांगिये और जो इसमें कसूरवार हैं उन अफसरों को दंडित करें। इस गलती की सजा भुगतने को तैयार हों। पर यह भी नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

समय की सूचना मिल रही है। मैं शोर्ट में निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसे मसलों पर जरा गम्भीरता से विचार करें। मैं ऐसे ही एक मसले की ओर दो तीन मिनट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसका भी मैं जिक्र नहीं करता पर सौभाग्य से मुझे इसमें भी डिबट का स्कोप मालूम हुआ। वह है पेज १६ और इस पर क्या है :

"(E) Grant of allowance to Chairman and Members of Commission in lieu of refused leave." सभापति महोदय, राजस्थान में एक बहुत अच्छा तरीका है, रिटायर्ड अफसरों को ओब्लाइज करने का। एक तो रीएम्प्लोयमेंट का है, इसका जिक्र कई बार कर चुका हूं। कोई टेक्नीकल आदमी इसके लिये होने की जरूरत नहीं। केवल सरकार और मन्त्रियों का कृपा पात्र होना चाहिये। इसमें किसी प्रकार का कोई रेगूलर वे का रीएम्प्लोयमेंट होता हो, यह बात नहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वीकार करेंगे कि जिनकी वर्तमान लिस्ट है उनमें केवल तीन आदमी ऐसे हैं जो टैक्नीकल हैं। बाकी सारे नॉन टैक्नीकल हैं। अब उनके स्थान पर यदि आप जो नीचे के कैडर से प्रमोशन पाने वाले हैं उनको प्रमोशन नहीं देकर उनको रीएम्प्लोय करते हैं तो इसका एक मतलब तो यह होता है कि आप उन नीचे की कैडर वालों को इस प्रमोशन के अयोग्य समझते हैं। मान लीजिये कि आप एक कलेक्टर को या कमिश्नर को रीएम्प्लोय करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके नीचे के जितने आई. ए. एस. या आर. ए. एस. ऑफीसर्स हैं वे सब योग्य नहीं कि उनमें से कोई उनको रिप्लेस कर सके।

(श्री भैरोंसिंह)

मुझे माननीय मुख्य मंत्रीजी माफ करेंगे और जो सदस्य बोल रहे थे वे भी माफ करेंगे यदि मैं एक बात का जिक्र यहां करूं। आपकी फाइनेन्स डिपार्टमेंट की फाइल पर नोटिंग है। वह बड़ा सुन्दर है। उसका रेफरेन्स मैं हाउस में करना चाहूंगा। वह नोटिंग इस बात का है कि एक अफसर को रीएम्प्लॉय किया जा रहा है। फाइनेन्स विभाग की कन्करेन्स ले ली थी। दूसरे ने मूव किया कि हमारे वाले को भी रीएम्प्लॉय किया जाय। तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने नोट लिखा है। जिसको मैं जुबानी सुना देता हूं :

The case of Mr. Kalu Lal Agarwal is similar to the case of Mr. Altaf Ahmed Khairi.........

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह ट्रू कापी है या नोटिंग है ?

श्री भैरोंसिंह : यह नोटिंग हैं। इससे वे इन्कार नहीं कर सकते।

The case of Mr. Kalu Lal Agarwal is just similar to the case of Mr. Altaf Ahmed Khairi, who is said to be unsparable. There is no dearth of competent officers to replace them. Now the question is for the Government to take a decision.

अब ऐसा जब क्वश्चन आता है तो उन पर शायद आप यह मानकर चलें कि वह अनस्पेयरेबल है। स्पेयर नहीं कर सकते तो आप इसके कुछ कारण बताइये। वह भारत सरकार ने भी देखा है, संविधान बनाने वालों ने भी देखा है, रूल्स बनाने वालों ने देखा है और कहा है कि टैक्नीकल आदमी को रीएम्प्लॉय कर दीजिये क्योंकि वे अभी मिलते नहीं हैं। तो उनको भले ही रीएम्प्लॉय करिये, पर बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिये नीचे के लोगों को प्रमोशन दीजिये। आप नहीं देते, आप रीएम्प्लॉय करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि रीएम्प्लॉयमेंट के कारण जबर्दस्त टेम्प्टेशन है, जूडीशियल सर्विसेज में भी यह रोग बढ़ गया है। जिस समय रिटायर होने की एज पर पहुंचने वाले होंगे; जैसे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वे इस तरह से आने वाले लोग जा-बेजा की तरफ ध्यान नहीं देवेंगे और जैसा वे हुक्म देंगे उनकी मर्जी के माफिक वे काम करेंगे रीएम्प्लॉय होने के बाद। एक तरफ यह हाल है।

दूसरी तरफ जिसका जिक्र पी. एस. सी. की रिपोर्ट में है। लीव रिफ्यूज करने का प्रश्न है पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर की। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लीव उसको मिल ही जाय, यह सरकार के हाथमें है कि वह चाहे तो माने या न माने। बाकी की सर्विस में भी इस प्रकार की व्यवस्था है तो उससे वे भी लाभ उठाते हैं तो इसमें आपत्ति का कोई कारण नहीं। पर आपत्ति तो है सरकार की टेन्डेन्सी पर और उसकी टेन्डेन्सी क्या है ? जिस अधिकारी को वह सरकार ओब्लाइज करना चाहती है उसकी चार महीने की लीव रिफ्यूज कर देती है। वह प्रीपेरेटरी लीव की एप्लीकेशन देता है तो यह डिस्क्रेशन सरकार के हाथ में होता है कि उसे माने या न माने। कुछ अफसरों पर जिन पर सरकार की महरबानी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

होती है वह रिफ्यूज कर देती है। उस पीरियड की तनख्वाह सरकार दे देती है, चार महीने की। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको राज करते १५ वर्ष हो गये। इस लीव को रिफ्यूज करने के लिये क्राइटेरिया फिक्स अप कर रखा है कुछ स्टेटों ने, राजस्थान ने क्यों नहीं ऐसा क्राइटेरिया फिक्स अप किया? जिसकी मर्जी आई रिफ्यूज कर दिया, जिसकी मर्जी आई उसकी ग्रांट कर ली। ओब्लाइज करना चाहा कर दिया। मैं माननीय मुख्य-मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि ये ऐसी मिसालें हैं कि जिनके बारे में मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, पर ओवर ऑल इफेक्ट सारी सर्विसेज़ पर पड़ता है जो अच्छा नहीं पड़ता। सर्विसेज में इन्हीं कारणों से डिमोरेलाइजेशन बढ़ता है। वे रूल्स की परवाह नहीं करते और संविधान की परवाह नहीं करते। इसलिए कहूंगा मैं आपसे कि आप इसके लिये कोई क्राइटेरियन फिक्स अप करें। इस रिपोर्ट पर मैं बहुत कुछ कह सकता था सभापति महोदय, तैयारी भी थी, पर जितना समय मिला है, उसको देखते हुए जितनी बातें मेरे ध्यान में आइ वे मैंने प्रस्तुत की हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी इन पर ध्यान देंगे और इन पर कोई एक्शन लेंगे और इन विषयों पर और अधिक जानकारी चाहेंगे तो मैं उन्हें वह देने को हर वक्त तैयार हूं। पर वे उन पर कार्यवाही करेंगे और इस तरह की इररेगुलेरिटीज भविष्य में वे नहीं होने देंगे, इसके लिये वे पाबन्द हो जावें। आशा करता हूं वे इन बातों पर गौर करके आवश्यक कार्यवाही अवश्य करेंगे।

विराम

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :

श्री भैरोंसिंह : मुझे ही समय अधिक दे दिया जावे सभापति महोदय, अगर कोई बोलने वाला नहीं है तो ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : खड़ा हूं न साहब मैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन के इस दसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपनी अलग अलग रायें सदन के समक्ष रखी हैं इसके सम्बन्ध में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि कहा गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स जितने भी हैं, चेयरमैन और दूसरे सदस्य वे सब इन्डिपेन्डेन्ट हों, न्यायप्रिय हों और ईमानदार हों। इस प्रकार की जो बात बताई गई है पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स के सम्बन्ध में तो हमारी सरकार जो है इसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी करके ऐसे आदमियों को इस कमीशन में नियुक्त करती है, और चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी बनाया जाता है वह बहुत काबिल और इस प्रकार का आदमी रखा जाता है जिसको आपकी सर्विसेज़ के सम्बन्ध में जानकारी हो और वह उन लोगों के सम्बन्ध में इन्साफ करें और उनके सम्बन्ध में जो सर्विसेज़ के मामले हैं उनको सुलटा सकें, इस प्रकार की उनकी नॉलेज हो।

तो जो बातें कही गई हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के निर्णय गवर्नमेंट के आधार पर होते हैं या उन पर दबाव देकर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

निर्णय करा लिये जाते हैं, यह बिल्कुल एक गलत सी बात है ! पब्लिक सर्विस कमीशन जो राजस्थान में है वह बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट है। उसके ऊपर सरकार का किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है जैसा कि इस प्रतिवेदन से जाहिर है कि बहुत से मामलों में सरकार ने जो निर्णय लिये हैं उनके खिलाफ पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिमार्क्स दिये हैं। तो यह बात कहना कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इस प्रकार के ग्राफिसर्स रखे जाते हैं जिनकी गवर्नमेंट से सर्विस समाप्त हो जाती है उनको ओब्लाइज करने के लिए इस प्रकार के स्थान दिये जाते हैं, यह कतई गलत है। सरकार हरदम इस प्रकार की बात पर कायम रही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी मेम्बर्स हों वे इस प्रकार के व्यक्ति हों कि जितनी भी सर्विसेज में लोग हैं उनको न्याय दे सकें, उनको इंसाफ दे सकें, वैसे लोग इस कमीशन में मुकर्रर किये जाते हैं।

बहुत सी बातें कही गई हैं कि जो हैड्स हैं वे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में इस प्रकार के लोगों को सर्विस दे देते हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में होती है, उनको डिपार्टमेंटल हैड्स सेन्क्शन कर देते हैं। लेकिन यह भी बहुत आवश्यक है कि बहुत सी ऐसी नियुक्तियां भी की जाती हैं जो कि प्रमोशन से होती हैं, और जिनको डिपार्टमेंटल हैड उपयुक्त समझता है उनको नियुक्त करता है और कन्करेन्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज देता है। जब इस प्रकार की व्यवस्था मौजूद है और उस प्रकार की व्यवस्था हमारे डिपार्टमेंटल हैड्स जब करते हैं तो उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है।

अब बहुत सी बातें डिमोरेलाइज़ करने के लिए कही गई या पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स के दबाव के सम्बन्ध में बहुत सी बातों का माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। एक माननीय सदस्य ने इस प्रकार की बातें कहीं कि मेरे साले का ट्रान्सफर नहीं किया गया, उनको छुट्टी नहीं दी गई है। इस प्रकार की बातें सदन में कही गईं तो मैं यह मानता हूं कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नमेंट के ऊपर इस प्रकार डिमोरेलाइज़ करने वाली बात और इस प्रकार की व्यवस्था हमारे सामने आती है।

श्री सभापति (श्रीकेसरीसिंह) : That was done on the express request of the Chief Minister.

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह नाम बताया गया है।

श्री सभापति : Continue yonr speech.

श्री गिरधारीलाल व्यास : चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पर नाम बताया गया, लेकिन इस प्रकार की बात कही गई हाऊस के सामने कि वे मेरे साले या रिश्तेदार थे उनका गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने ट्रान्सफर कर दिया और उनको छुट्टी नहीं दी गई इस प्रकार की बात कहकर वे सर्विसेज को स्वयं ही डिमोरेलाइज करते हैं, वे हर आदमी पर इस प्रकार का प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं कि वे जिनके रिश्तेदार हैं, जबकि अपोज़िशन पार्टी के सदस्य इस बात की दुहाई देते हैं कि वे तो हमेशा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इन्साफ की बात करते हैं और गैर-इन्साफ की बात ट्रेजरी बेन्चेज़ वाले या गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं वे ही करते हैं, इस प्रकार की बात हाउस के सामने कही जाय कि मेरे साले का ट्रांसफर नहीं किया गया या छुट्टी नहीं दी गई, एक तरह से सर्विसेज़ पर दबाव डाल रहे हैं। इसको भी हम डिमोरेलाइज़ करने का तरीका कह सकते हैं। इस प्रकार की बातें आज तो सदन के सामने आती हैं, कल मेम्बर अलग अलग डिपार्टमेंटल हैड्स के पास या मिनिस्टर के पास जाकर अपने व्यक्तिगत तरीकों से अपने रिश्तेदारों के लिए पैरवी करते होंगे। इस बात में शक नहीं है कि यह डिमोरेलाइज़ेशन की बात अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से होती है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अमुक फाइल में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, या फाइलें जो उड़ाली जाती हैं यह भी एक डिमोरेलाइज़ करने का तरीका है सर्विसेज़ को।....

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : यह तो सर्विसेज़ को और आपको दुरुस्त करने का तरीका है जिससे कि सर्विसेज़ डिमोरेलाइज़ न हों।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमें दुरुस्त करने का तरीका तो आप पहले से जानते हैं। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि अपोजिशन पार्टी के सदस्य शासन चलाने में किस प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं या किस प्रकार की सद्भावना रखते हैं, यह चीज उसके बिल्कुल विपरीत पड़ती है। अपोजिशन पार्टी के मेम्बर ही हमारी सर्विसेज़ के लोगों को ...

श्री भैरोंसिह : आप उपदेश की कोई किताब लिख दें तो उसको हम पढ़ लेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वैसे आप पढ़े-लिखे लोग हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप भजनमाला कब छपवा रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : उपदेश का मसला नहीं, आप क्यों जल रहे हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उनकी दुकान बन्द हो जायगी जो यहां खोल रखी है।

श्री सभापति : Order ! Order please !!

श्री गिरधारीलाल व्यास : फाइलें सरकारी उड़ाकर सर्विसेज को डिमोरेलाइज करने का तरीका हमारी अपोजिशन पार्टी ने अपनाया है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमारी व्यवस्था के बिल्कुल ही विपरीत पड़ता है। इसमें अगर कोई किसी प्रकार की गलती डिपार्टमेंटल हैड्स से होती है या गवर्नमेंट से होती है तो उसके संबंध में असेम्बली के मेम्बर इस जगह कहें जैसा कि आपने आज कई बातों के लिए कहा है, वह गलत है। और गलत बात को गलत ही स्वीकार करना पड़ेगा। सही बात करते हुए सही बात के भी विपरीत कहें और जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं उन पर किसी प्रकार से नाजायज दबाव डालने का या प्रलोभन देने का या डिमोरेलाइज करने का जो तरीका अपना रहे हैं उससे हमारी व्यवस्था में फर्क पड़ता है। तो मैं यह

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था जो की जा रही है उससे बहुत बड़ा अहित हमारे यहां का हो रहा है। आज ऐसे लोगों को अपोजिशन पार्टी की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है आज इस प्रकार से कहा गया या दूसरी जगह से कहा गया तो सर्विसेज़ में किसी प्रकार से अव्यवस्था आने का सवाल पैदा नहीं होता है।

दूसरी बात एक और कही गई ट्रांसफर और प्रमोशन के बारे में, तो ट्रांसफर और प्रमोशन के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि यह गवर्नमेंट के देखने की बात है न कि अपोजिशन के मेम्बर्स यह कहें कि इसका ट्रांसफर वहां क्यों कर दिया गया, इसको अमुक स्थान पर क्यों रखा गया है ? यह डिस्क्रीशन की चीज़ है। जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वे जहां उपयुक्त समझते हैं वहां उसको रखते हैं। जिसमें गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चल सकता है उससे तो वहाँ पर उसको Transfer करने पर वह ज्यादा उपयुक्त चीज होगी।

एक और अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि पी० एस० सी० में भी कुछ कमियां है जैसा कि अभी एक भाई ने कहा था कि हमारे यहां बहुत से डॉक्टर्स वगैरह की कमी है। आज हमारे यहां कमी किस वजह से है ? कमी इस वजह से है कि डॉक्टर्स को अपोइंटमेंट्स तो दी जाती है लेकिन उनको तनख्वाह जब तक कन्फर्म न हो तब तक ६-८ महीनों तक नहीं मिलती है इसलिये वे वापिस भाग जाते हैं। इस प्रकार की देरी के कारण हमारी सर्विसेज़ के लोगों को तकलीफ होती है...

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : The House is in suspension, Sir.

श्री गिरधारीलाल : इसी तरीके से खर्च के बारे में, पी. एस. सी. के खर्चे के बारे में एक महानुभाव ने ऐतराज उठाया कि वहां खर्चा ज्यादा हुआ, आमदनी कम हुई.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Point of order, Sir, I think, the concerned Minister is missing from the Treasury benches. Only one Dy. Minister is sitting.

श्री सभापति : There is someone to represent.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This one great Deputy Minister will represent the whole of the Government in this matter ?

श्री सभापति : It is for them to look out.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I think, he is not in charge of the G. A. D. The Minister-in charge of G A D. should be present on the Treasury benches.

श्री सभापति : It it joint responsibility of the cabinet.

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : I request that ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Point of order, Sir, I want a ruling on this point that the Minister incharge of the G. A. D. ought to be present.

श्री सभापति : It is certainly good if the Minister in-charge is there, but if he is not there... .....

(विराम)

Order please !

श्री गिरधारीलाल व्यास: सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह जो कन्फर्मेशन का सवाल है उसमें देरी होने से लोगों को तक्लीफ पड़ती है और कन्फर्मेशन न होने से जो तकलीफ उन कर्मचारियों को होती है वह जो है कही नहीं जा सकती। उनको जल्दी रफा करना चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि जल्दी कन्फर्मेशन के ऑर्डर्स आ जायं और तनख्वाह वगैरह जल्दी मिल जाय। ऐसे कर्मचारियों के लिए जो अभी एक प्रश्न आया है, टेक्निकल आदमियों को रीएम्प्लॉय कर लिया जाय या एक्सटेन्शन कर दिया जाय, बकाया जो काबिल आदमी हैं उनको एक्सटेन्शन नहीं दिया जाना चाहिए, रीएम्प्लॉयमेन्ट नहीं होना चाहिये। मैं भी इस बात का हामी हूं कि बहुत से ऐसे आदमी हैं जो अनअवोइडेबल हैं या ऐसे आदमी हैं जिनके स्थान पर दूसरे योग्य आदमी नहीं मिल सकते हैं उनको रीएम्प्लोयमेन्ट दे सकते हैं। लेकिन ऐसे आदमी जो कलेक्टर वगैरह हैं जो आर. ए. एस. से आई. ए. एस. बनते हैं और ऐसे बहुत से आदमी हैं जिनको ऊपर की श्रेणी पर पहुंचाया जा सकता है ऐसे आदमियों को रीएम्प्लॉयमेन्ट देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। इस प्रकार की व्यवस्था करने से दूसरे लोग अपने कार्य में हतोत्साह होते हैं यदि उनको एक्सटेन्शन देते हैं तो। क्योंकि वे समझते हैं कि ऐसे लोग जो पहले बैठे हैं वे हटेंगे नहीं तो हमको चान्स नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो टेक्निकल नहीं हैं उनको रीएम्प्लॉयमेंट या एक्सटेन्शन नहीं दिया जाय ताकि नीचे के लोगों को तरक्की मिले और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज काम करके फायदा पहुंचा सकें।

एक बात और कही गई है जिसके लिये निवेदन करना चाहता हूं। गवर्नमेंट सर्विसेज में ऑनरेरी वर्क करने का कोई प्रावधान नहीं है। एक महानुभाव ने कहा कि हमारे यहां एक डॉक्टर को ऑनरेरी वर्क करने के लिये रखा गया और वे जनता से नाना प्रकार से पैसा वसूल करते हैं। इस प्रकार का प्रावधान न पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से किया है न गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगूलेशन्स में है जिनके द्वारा किसी आदमी को ऑनरेरी वर्क दिया जा सके। उनका कहना कि ऐसे लोगों को नियुक्त करके काम कराया जाता है, मैं समझता हूं यह कतई गलत है, इस प्रकार की व्यवस्था कहीं नहीं है, सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिये कहा गया है। इसलिये में निवेदन करूंगा कि यह जो प्रतिवेदन हमारे सामने रखा है, उसमें जो बातें कही गई हैं इस सम्बन्ध में हमारी सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा अच्छा और स्वतन्त्र कायम करने के लिये इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिये। जहां तक हो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे मेंबर्स नियुक्त करके उनको एफिशियेन्ट बनाया जाय ताकि किसी आदमी को शिकायत न हो सके कि किसी के साथ पक्षपात किया गया हैं, दूसरे के साथ पक्षपात किया गया है किसी व्यक्ति को इस प्रकार की बात कहने का मौका नहीं मिले, तभी हमारा शासन अच्छी तरह से चल सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: (एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति (श्री केशरीसिंह) : श्री अब्दुलजब्बार।

[redacted]

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट जो फर्स्ट अप्रेल, १६५६ से ३१ मार्च, १६६० तक की है उस पर विचार करने के लिये काफी अपने अपने तरीके से हरेक माननीय सदस्य ने विचार रखे। वास्तव में पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि आम तौर से इस बात के लिये ख्याल जाहिर किया गया कि वह इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी होनी चाहिये उसी तरह से फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट बोडी होनी चाहिये, किसी किस्म का इस पर दवाव नहीं होना चाहिये गवर्नमेंट की तरफ से। आज हम देखते हैं बड़े फक्र के साथ इस रिपोर्ट का शुरू पेज खोलते हैं तो आंकड़े लम्बे चौड़े देखते हैं क्योंकि फाइनेन्सियल चैक गवर्नमेंट के फाइनेन्स डिपार्टमेंट का होता है तो शुरू पेज पर नजर जाती है आंकड़ों पर, पिछले साल जो इन्कम हुई थी एप्लीकेशनस फोर्म्स से, फीस से वह हुई थी ६२,४२७ रुपये और उस साल जो खर्चा हुआ वह १,५७,४३५ रु० हुआ। यह गरीब, रोजी की तलाश में घूमने वालों द्वारा पैसा भेजा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन को जो इस बात के लिये इच्छुक थे कि नौकरी मिले, इसके लिये ख्वाहिशमंद थे कि नौकरी मिले और पैसा कमावें। इस तरह होते हुए भी एडवरटाइजमेंट में क्लीयर किया जाता है कि जितनी पोस्टें होती हैं, एप्लीकेशन्स आती हैं उनसे भी कम आदमियों को, बल्कि कहीं कहीं तो ऐसी रिपोर्ट मिली है कि जितनी पोस्टें छापी थीं उतने ही व्यक्तियों को बुलाया गया और उनको अपॉइन्टमेंट मिली। मिसाल के तौर पर मैं इस रिपोर्ट के पेज Appendix ५ के page 23, आइटम नं० ३ का जिक्र करता हूं जिसमें लिखा है: "Instructor" (Welding) for M.B.M. Engg. College, Jodhpur, Grade 150-10-220 EB-10-250-12½-350.

इसी तरह से एक पोस्ट थी जिसके लिए चार एप्लीकेशन्स आई थीं उन चारों में से एक को पर्सनल इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया इसलिये बाकी कैन्डिडेट्स एपीयर नहीं हो सके और उस एक आदमी को अपॉइन्टमेन्ट मिलती है, इस प्रकार से यह प्रोसिजर थोड़ा ओक्वर्ड सा लगता है। जिन केन्डिडैंट्स ने एप्लाई किया है सर्विस प्राप्त करने के लिये, जिन्होंने फीस जमा कराई, फोर्म भर कर दिया है उसके बावजूद भी उनको काल नही किया गया हालांकि पी. एस. सी. के सामने काल करने के लिये किसी किस्म का रेल्वे किराया नहीं दिया जाता है तो हम भी उनको कमाई की अपेक्षा, इच्छा जो कुछ भी हो जाहिर कर सकें, वह जरिया उनको मिल सके। इसके साथ साथ एक नुक्शा नजर आता है उनको नहीं बुलाना, उनके साथ अन्याय होता है, एक कारण और नजर आता है जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूं पी.एस.सी. को इन्डिपेन्डेन्ट बोडी न बनाकर जैसा गवर्नमेन्ट रखती है उसमें साफ नुक्श नजर आता है। एक्सटेन्शन केसेज जो सरकार कर रही है उसकी रिपोर्ट, कि एक्सटेन्शन सर्विसेज की क्यों की जाती है उसकी रिपोर्ट भी हो। गवर्नमेन्ट जब उसकी सेंक्शन मांगती है एक्सटेन्शन वगैरह उस वक्त जो पी. एस. सी. के रिमार्क्स हैं हमारे सामने आते हैं पेज नं० ६३ पर अपेन्डिक्स १३ में extension cases.

आइटम नं० ७ में साफ जाहिर किया गया है, १२ इन्सपेक्टर्स जो को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट के थे उनको असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

(श्री अब्दुलजब्बार)

का प्रमोशन दिया गया और यह खास तौर से सोचने की बात है । इस तरह से जो सर्विस में ऊंचे और काबिल लोग हैं उनको चान्स नहीं मिलता है उनके नीचे वालों को मिल जाता है। यही नहीं इस किस्म की और भी चीजें हैं जिनको पी. एस. सी के ताल्लुक में रखा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं, इलेक्शन डिपार्टमेन्ट में जितने एम्प्लोईज थे उनको रेवेन्यू के साथ अटेच कर दिया गया है अब बताइये, पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या इस सम्बन्ध में बातचीत की, क्या आल्टरेशन और एडीशन रूल्स एण्ड रेगूलेशन में किये इस प्रकार जिन चीजों में इतने कॉम्प्लीकेशन्स आते हैं, इन पर विचार नहीं किया जाता। आपके रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में इलेक्शन डिपार्टमेंट के स्टाफ को अटेच कर दिया गया। इससे उसकी सीनियोरिटी चली जायगी। यह एक खुली चीज है, इससे इन्कार नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इलेक्शन डिपार्टमेंट के क्लर्क हैं, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अटेच कर दिया गया है, इससे उनकी सीनियोरिटी मारी गई है, उनको प्रमोशन नहीं मिल सकता है, उनके और राइटस खत्म होते हैं। ऐसी सूरत में उनके सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है। ऐसी सूरत में जब कि पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है तो it is the duty of the Government to bring to the notice of the P. S C. the intention to change certain rules and regulations, so that P. S. C. can easily save the rights of those persons who are intending to serve or who are in services. आज पब्लिक सर्विस कमीशन को इस किस्म के रूल्स एण्ड रेगूलेशन्स बनाने लिए भेजते हैं सेंक्शन के लिए लेकिन बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के डाइरेक्ट कंट्रोल में हैं। उनके मुलाजिम और कर्मचारी हैं, वे सुखी रहें और उनके राइट्स हैं वे क्रश नहीं हों, इसके लिए रूल्स एण्ड रेगूलेशन्स हैं; लेकिन आज भी कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास रूल्स नहीं हैं, सर्विस रूल्स उनके नहीं बनाये हैं। इस जमाने में जब कि हमें आजाद हुए पन्द्रह साल हो गये, हम किसी प्रकार यह नहीं कह सकते है कि हर तरह से नहीं तो कम से कम हमारे देश के उन गरीब इन्सानों के लिए, जो मुलाजमत में हैं, नौकरी में हैं, उनके लिए किसी किस्म के कानून बनाने के लिए कोशिश करें जिससे उनको बराबर राइट्स मिलें। हमारा जो कॉन्स्टीट्यूशन है, उसके अन्दर आर्टिकल ३११ है वह साफ है; लेकिन उसके बावजूद हमारे सामने ये चीजें आती हैं कि फलां कर्मचारी को फौरन सस्पेन्ड कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर कोई किसी किस्म का कहना नहीं मानता है तो उस गरीब को निकाल दिया जाता है। इस तरह के सैंकड़ों केसेज आते हैं। ऐसी सूरत में जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एक्सपेडीचर जाहिर किया जाता है, और जो रिपोर्ट आती है उससे साफ जाहिर होता है कि उसकी अहमियत को गवर्नमेंट नहीं मानती है। अगर मानती तो इस प्रकार पी. ए. को जो प्रमोशन मिलता है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के बताने पर उसको रिवर्ट किया जाता है, उसके रिवर्शन में जो पैसा जाया हुआ है, उससे फाइनेन्स अफेक्ट होती है। इससे हमें लॉस होता है, हमारी रेवेन्यू

[redacted]

(श्री अब्दुलजब्बार)

को लॉस होता है। इसके लिए किनकी जिम्मेदारी होती है। इन चीजों को देखते हुए हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए चाहे वे किसी पक्ष के सदस्य द्वारा कही गई हों। वैसे बात तो सबके दिल में उठती है लेकिन दूसरे लोग उसको चबा जाते हैं। यह संकेत है कि कर्मचारियों के राइट को सेफगार्ड करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को जितना मजबूत बनना चाहिए उतना नहीं है। आम तौर पर कर्मचारियों को कन्फर्म नहीं किया जाता है। इसके कारण दो तीन महीने तक तनख्वाह मिलती नहीं है। उनका कन्फर्मेशन कर देना चहिए। अगर रूल्स बना कर अपॉइन्टमेंट दे दें तो छः महीने के बाद में कन्फर्म कर दिया जाय। लेकिन क्या चीज है, क्या सेल्फ इन्टेरेस्ट होता है, जिसके कारण कर्मचारियों को डाइरेक्ट अपॉइन्टमेंट मिल जाता है और उसकी सेपटी यही है कि उनको छः महीने तक अपॉइन्टमेंट गवर्नमेंट अपने डिसीजन पर दे सकती है और उसका कन्फर्मेशन बाद में किया जाता है, लेकिन वह न होने पर उसका एक्सटेंशन होता है। इससे इररेगूलेरिटी बढ़ती है और वह साफ तौर पर सामने आती है। इसलिए मेरी मान्यता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को जितना मजबूत बनाया जायगा उतना ही हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी अच्छा काम करेगी और वह किसी का इन्टरफियरेन्स बर्दास्त नहीं करेगी और अगर उनका राइट सेफ नहीं हो तो पब्लिक सर्विस कमीशन को पंगू और लंगड़ा बना दिया जायगा। जितना उन पर वजन थोपा जायगा, जितना उसको क्रश किया जायगा, उतनी ही एग्जीक्यूटिव की मशीनरी खराब होती जायगी और हमारे यहां की शासन पद्धति अच्छी हो, यह लक्ष्य कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकेगा और इसमें नुक्शान होता जायगा, आप चाहें जितनी कोशिश करें, आप भले ही एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट बढ़ा दें उससे बदगुमानियां बन्द नहीं होंगी, वे बढ़ती जायगी उसी प्रकार से जिस प्रकार कि नदी में कोई चीज फेंकें, वह किसी काम में नहीं आयेगी। उसी प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन मजबूत नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूटिव बॉडी की ताकत महसूस नहीं होगी। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन मजबूत होगा तो एग्जीक्यूटिव भी समझेगी कि हमारे राइट्स कुचल नहीं सकते और वह ठीक तरह से फंक्शन करेगी, वर्ना एग्जीक्यूटिव मशीनरी में जिस प्रकार का इन्टरफियरेन्स है, वह कौन नहीं जानता। हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी को लेजिस्लेचर क्रश करने की फिक्र में रहता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी सोचती है कि हम अगर कहना नहीं मानते हैं तो हमारी सर्विसेज अन्धकारमय हैं, हमारा फ्यूचर अन्धकारमय नजर आता है। इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन का मजबूत होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट इस किस्म की रिपोर्ट लाती है उससे आज हमारे सामने यह चीज साफ जहिर हो जाती है कि इस रिपोर्ट के अन्दर जो जो रिमार्क पब्लिक कमीशन ने दिये हैं वे सत्य हैं या नहीं और पब्लिक सर्विस कमीशन की अहमियत हमारे सामने आ जाती और हमारी गवर्नमेंट का क्लीयर नक्शा हमारे सामने आ जाता है कि वास्तव में जो रिमार्क्स हैं वे सही हैं और गवर्नमेंट के स्टेप्स कहां तक सही होने चाहिएं

(श्री अब्दुलजब्बार)

इसलिए मेरी मान्यता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को जितनी शक्ति दी जा सकती है, वह देनी चाहिए और पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों पर पूर्णरूप से विचार करना चाहिए।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबड़ा) : सभापति महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन के दसवें प्रतिवेदन पर विचार करते हुए कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रगट किये। कुछ बिल्कुल सत्य और निष्पक्ष विचार मैं आपके सामने रखता चाहती हूं।

हमारे सामने एक माननीय सदस्य द्वारा सुझाव आया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर जो व्यक्ति हैं वे बाहर से बुलाये जायं। मेरी मान्यता इससे बिल्कुल भिन्न है। इसमें सन्देह नहीं है कि उनको कोई न कोई दर्द हुआ होगा इसलिए उन्हें यह विचार आया। बाकी गम्भीरता से वे विचार करें तो वे भी शायद इस पक्ष में नहीं होंगे क्योंकि किसी भी संकुचित विचारधारा से मेरे कथन का संबन्ध नहीं है। राजस्थान का हृदय विशाल है, हम समन्वय चाहते हैं। लेकिन बाहर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा चान्स देकर पहले उन्हें नियुक्त किया गया तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार यह चाहती है कि राजस्थान के अन्दर ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य चयन करने वाली पोस्ट्स पर बाहर के व्यक्तियों को लाकर बैठा दें। इसमें केवल पब्लिक सर्विस कमीशन का ही प्रश्न नहीं आता लेकिन राजस्थान प्रान्त की योग्यता और प्रतिष्ठा पर भी धक्का लगता है। दूसरी बात यह है कि आमतौर पर हर किसी के लिए जनरल चार्जेज नहीं लगाये जा सकते कि सब आदमी ईमानदार नहीं हैं। यह गलत सिद्धान्त है और चलने वाला नहीं हैं। दूसरी तरफ मैं कहना चाहती हूं कि इसमें सन्देह नहीं है कि हमारे सामने कई दफा ऐसी मिसाल आई हैं कि सिलेक्शन बोर्ड द्वारा उचित सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें क्या कमी रही, क्या कारण रहा, इसके लिए मैं चेयर द्वारा सरकार को निवेदन करना चाहती हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि निश्चितरूप से उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में क्या है कि उसके पास योग्यता, अनुभव होते हुए भी किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया। आखिर एक सिद्धान्त कायम किया गया है सिलेक्शन करने का, उसके बावजूद योग्य व्यक्ति क्यों पीछे रह जाता है? इसलिए जहां तक इसमें सुधार करने का प्रश्न है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यह समस्या इससे हल नहीं होती कि बाहर के लोगों को बुलाकर यहां रखा जाय। उससे यह स्थिति पैदा होगी कि ऊंचे पदों पर बाहर से व्यक्ति आ जायेंगे और जब इकॉनामि कट का प्रश्न आयेगा तो गले पर छुरी उन राजस्थान के गरीब व्यक्तियों पर चलने वाली है जो छोटे पदों पर काम कर रहे हैं, जिन्हे चान्स नहीं मिलता आगे बढ़ने का।

दूसरी बात रीएम्प्लॉयमेंट की है। जिस डिपार्टमेंट में आपको योग्य व्यक्ति नहीं मिलते अथवा काम करने वाले व्यक्ति नहीं मिलते वहां आप रीएम्प्लॉयमेंट दे

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

दीजिये, जैसे मेडीकल डिपार्टमेंट का प्रश्न आया था। लेकिन ऐसे कई विभाग हैं, जिनमें रीएम्प्लॉयमेंट का प्रश्न नहीं है और जब कि राजस्थान में बराबर एजूकेशन फैल रही है और महिला और पुरुष वर्ग योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, मुकाबला करने के लिए, तो वहां उनको मौका देना चाहिए। ऐसी जगहों के लिए रीएम्प्लॉयमेंट का प्रश्न नहीं आता। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे यहां के नवयुवक बैठे रहेंगे और ओवर एज हो जायेंगे क्योंकि उन्हें चान्स नहीं मिलेगा।

जहां तक सीनियोरिटी और प्रमोशन का प्रश्न है, मेरी मान्यता है कि हमारे मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी नहीं चाहते कि किन्हीं के हकों पर कुठाराघात किया जाय। वे निश्चितरूप से न्याय चाहते हैं और उनको मौका देना चाहते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट्स में एक ढ़िलाई अवश्य आ गई है, जिसके लिए सदन में कई दफा चर्चा हुई है। मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को अदब से निवेदन करना चाहती हूं कि बार बार सदन के सामने जो आरोप आते हैं तो इनका कुछ कारण होना चाहिए और उसकी तरफ ध्यान देकर शासन को ठीक चलाने के लिए काम करने चाहिएं। हमारे मंत्री महोदय भी चाहते हैं कि हमारे शासन की व्यवस्था ठीक हो, सिलेक्शन बोर्ड ठीक हो, मैं कहती हूं कि राजस्थान के अन्दर ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे हैं, हम कई ऐसे लोगों के कान्टेक्ट में आये हैं, जो ईमानदार हैं, कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं काम करने के लिए जो निहायत योग्य एवं नेक हैं।

मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जेम्पल देना नहीं चाहती थी, इसलिये कि उसमें किसी स्थान विशेष का नाम आता है। मैं बताना चाहती हूं कि कोटा स्टेट के समय में वहां के प्रशासन में ऐसे व्यक्ति काम करने वाले थे जिनकी योग्यता की जरूरत राजस्थान बनने के बाद में भी पड़ी है लेकिन धीरे धीरे उनको कोरनर में फेंक दिया गया। वे क्या, चीफ मिनिस्टर खुद भी सिलेक्शन बोर्ड में नहीं बैठते हैं। मगर उनका यह फ़र्ज है कि वे अच्छे आदमियों को बोर्ड में रखें। उसके बाद में भी कोई ऐसी शिकायत आती है तो यह समझना चाहिये कि इसके मूल में कुछ न कुछ बुराई है। मैं मानती हूं कि माननीय मंत्रीजी की नीयत निहायत अच्छी है और माननीय मंत्री महोदय खुद महसूस करते हैं कि हमारे यहां किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो और अगर कहीं हो रही है तो उसको ठीक करना चाहते हैं। मगर यह मेरे बात जंचती नहीं कि बाहर के लोगों को बुलाकर राजस्थान के लोगों पर थोपा जावे और राजस्थान के लोगों के हकों को मारा जाए। यह आज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ही बात नहीं है। हमारे यहां दूसरे योग्य व्यक्ति हैं हमें उनका आदर करना चाहिये। यदि हम उनको यहां पर नहीं लेंगे तो जो यहां योग्य व्यक्ति बैठे हैं उनको कब मौका मिलेगा।

इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि इसकी जांच की जावे कि ये गलतियें क्यों होती हैं और किस प्रकार के लोग यहां बैठे हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : सभापति महोदय, आज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के १०वे प्रतिवेदन

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

पर विचार किया जा रहा है। प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली में यह मूलभूत सिद्धान्त रहता है कि जहां तक हो शासन की सत्ता या शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रह कर ज्यादा से ज्यादा आदमियों के हाथ में आ सके और वे इस प्रणाली पर विचार प्रकट कर सकें। यह मूल सिद्धान्त रहता है और इसी सिद्धान्त को लेकर विभिन्न कमीशनों को नियुक्त किया जाता है। इन कमीशनों की रिपोर्टों पर विचार करना और आगे बढना राज्य सरकार का परम और पुनीत कर्त्तव्य होना चाहिये। प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर चलने वाली सरकार जब कमीशन की नियुक्ति करती है तो उसका पहला फर्ज हो जाता है कि उस कमीशन पर बैठने वाले जो सहयोगी हों वे इस प्रकार के हों जो सारे भार को, जो उनके कंधों पर रखा जाता है, संभालने के लिये अच्छे रहते हों। इन सब बातों को मानते हुए मैं आगे चलता हूं और जो कमीशन हमारे राज्य सरकार ने नियुक्त किया वह योग्य है लेकिन देखना यह है कि इसकी रिपोर्ट पर हमारी राज्य सरकार सक्रिय रहती है या काम करती है या राज्य सरकार उस पर विचार करती है या नहीं। अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो राज्य सरकार अपने कर्त्तव्यों से विचलित हो जाती है और वैसी स्थिति में हम उस राज्य सरकार का सम्मान करने को तैयार नहीं होंगे बल्कि यह कहेंगे कि राज्य सरकार जिस प्रकार कदम उठा रही है वे ठीक नहीं हैं और राज्य सरकार को अपने इस प्रकार के कर्त्तव्य से वंचित रहने के कारण उपालंभ लेने के लिये तैयार रहना चाहिये। इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले व्यक्ति की नियुक्ति का प्रश्न आता है। इस सम्बन्ध में जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा और अपने विचार प्रकट किये कि राजस्थान के लिये जो इसमें व्यक्ति नियुक्त किये जावें उनके लिये सरकार का पहला कर्त्तव्य यह होना चाहिये कि जिन व्यक्तियों को लिया जावे, राजस्थान बहुत बड़ा है उसमें योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं, वे ऐसे व्यक्ति हों जिनमें सहयोग की भावना हो। हमारे यहां ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं मगर ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जो राजस्थान की पब्लिक की स्थिति से परिचित हों और जिनको यहां का ज्ञान हो। ऐसे व्यक्तियों को नहीं लिया जावे जो यहां के वातावरण से परिचित नहीं हों। हो सकता है कि जब राज्य संचालन चलता है तो कोई समय संभवतः आता है जब राजनैतिक कारणों से योग्य व्यक्तियों को न मिलने के कारण दूसरे ऐसे लोगों को जिनको लेना आवश्यक होता है, राज्य सरकार को चलाने वाले अपने व्यक्तियों को नियुक्ति कर लेते हैं। मगर मैं इस विषय पर विशेषरूप से न जाकर इतना ही कहूंगा कि जहां तक हो सके राजस्थान में से ही योग्य व्यक्ति मिल सकते हैं उनको लिया जावे। बाहर से लोगों को लाकर रखना उपयुक्त नहीं है।

अगर आप अपने घर में अपने घर की सुव्यवस्था नहीं कर सकते, अपने आदमियों को एम्पलॉयमेंट नहीं दिला सकते, अगर यह आपकी क्षमता नहीं तो आपसे विशेष उम्मीद क्या की जा सकती है ? यह आपके स्वयं के सोचने की बात है।

[redacted]

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

दूसरी बात मैं यह मानकर चलता हूं कि निष्पक्ष कमीशन हो। वह बार बार आपके सामने कुछ शिकायतें रख चुका है और यह मौजूदा रिपोर्ट जो कमीशन की ओर से आई है उसको मुलाहिजा फरमाइये।

अब दूसरा प्रश्न आता है कि राजस्थान सरकार के लिये कहां तक उचित होगा कि उसने अपनी स्वेच्छा से जो अधिकार कमीशन को दिया है उसमें कमीशन की सिफारिशों के विरुद्ध अपने निर्णय और नियुक्तियें ऐसी करे जिसमें कमीशन एक प्रकार से ढोंग मात्र और दिखावे मात्र रह जाय।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस शासन-प्रणाली में राज्य सरकार का हित है और कर्तव्य है, प्रजातन्त्र में ढोंग मात्र बनाकर कोई चीज पब्लिक के सामने रखने से कुछ नहीं हो सकता। जिस भावना को लेकर इस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्माण करके आगे चलना चाहिये उसको वास्तविक रूप दें और अगर वे इसको एक ढोंग मात्र बनाया रखेंगे तो मैं यह कहूंगा कि प्रजातन्त्र में यह एक तरह का कलंक मात्र है जिसको हटाने का हरएक व्यक्ति को अधिकार है और हरएक व्यक्ति को उसके लिये तैयार रहना चाहिये।

जैसा आपको बताया और जैसा कि रिपोर्ट में है, और मेरी निगाह में भी है, कमीशन नियुक्ति करता है, सिलेक्ट करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। मगर दूसरे अधिकारी उस रिपोर्ट में भी कुछ तबदीलियें कर देते हैं। लोगों के नाम हटा दिये जाते हैं, बदल दिये जाते हैं और आपत्तियें उठाने पर भी कोई विचार नहीं किया जाता है और वास्तव में नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की हो जाती है जिसको बोर्ड ने वास्तव में नियुक्त नहीं किया। ऐसी परिस्थिति होती है तो आप कमीशन को क्यों रखते हैं? आप स्वयं मर्यादाओं को भंग करते हैं। यदि आप उसके नियमों और कानून की मर्यादाओं को तोड़कर आगे जाते हैं तो यह दिखावा मात्र है जब आप दुनिया के सामने यह बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लोगों को नौकरियें देते हैं तो इस प्रकार का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि ओटोक्रेट के रूप में बैठ जाइये और कहिये कि हमारा निरंकुश शासन है, हम चाहेंगे वैसा करेंगे।

यही नहीं इस रिपोर्ट को आप मुलाहिजा फरमाइये। बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनमें कमीशन ने खुद ने ऑब्जेक्शन्स किये हैं, ऐसे विभागों में केसेज हुए हैं जहां आपने नियुक्तियां कर दी हैं, जिन नियुक्तियों को कमीशन नहीं चाहता। आप कमीशन से कन्करेंस चाहते हैं और कमीशन कन्करेंस देना नहीं चाहता। कमीशन को रिक्विजिशन देते हैं, कमीशन द्वारा सिलेक्शन की सारी कार्यवाही की जाती है और आप नियुक्तियां पहले ही कर लेते हैं और कमीशन को कहते हैं कि हमने फलां फलां पदों पर नियुक्तियां कर ली हैं, आपने इन पोस्ट्स के लिये आदमियों का सिलेक्शन कर लिया है, उनकी अब आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह का दबाव कमीशन पर डालते हैं।

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

आप इन भावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं तो जिस उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इससे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपका कमीशन, जिसको आपने बनाया है वह खुद आपकी कार्यवाहियों से एग्रीव्ड है। इस प्रकार के दबाव कमीशन पर आते हैं, वे कतई उचित नहीं हैं। भविष्य में इस प्रकार की गलतियां नहीं दोहराई जायं तो अच्छा है, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाय तो उसे अच्छा समझा जायगा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी गलतियां राजस्थान सरकार नहीं करेगी।

पृष्ठ संख्या ३ पर कमीशन अपनी आपत्ति प्रस्तुत करता है और कहता है :

"In a large number of cases the issue of offer of appointment to candidates recommended by the Commission during the previous years had been delayed. A list of such cases is given in Appendix IX."

मैं यह निवेदन करूं कि यदि आपके पास स्थान नहीं हैं तो आप व्यर्थ में इम्तिहान का ढोंग क्यों रचते हैं, क्यों लोगों से फीस लेते हैं और क्यों इम्तिहान लेते हैं? पास भी कर देते हैं और जब नियुक्ति का समय आता है तो आपके पास स्थान नहीं रहता है। इस प्रकार का दिखावा ढोंग करने की क्या आवश्यकता है? इसमें और कोई राजनैतिक राज हो, या और कोई बात हो तो यह आपके विचारने की बात है पर जिस समय आपने केन्डिडेट्स का रिक्विजिशन दिया, पोस्ट्स एडवरटाइज हुई, इम्तिहान हो गये, सिलेक्शन हो गये, केन्डिडेट्स पास हो गये, पर जब नियुक्ति का प्रश्न आता है तो एक साल से भी ज्यादा वक्त जाया कर दिया जाता है, वैसे शासन की रफ्तार बहुत धीमी है; पर एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल तक का वक्त जाया कर दिया जाता है, यह कोई शोभनीय बात नहीं है।

इसके बाद एक और प्रश्न आता है।

Government asked for the concurrence of the Commission to the absorption of a pre-merger employee of the Relief and Rehabilitation Department as Assistant Sales Tax Officer. The concurrence was not given, as the Commission had already selected candidates for the posts of Asstt. Sales Tax Officers against a requisition received from the Department."

यह डिपार्टमेंट भी आपका है रिक्विजिशन नियुक्तियों का आपके डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाता है और उसके मुताबिक इम्तिहान के लिए पोस्ट्स एडवरटाइज की जाती हैं केन्डिडेट्स इम्तिहान देते हैं, पास होते हैं और नियुक्ति का सवाल आता है तो उनकी जगह दूसरों को नियुक्त करने को तैयार रहते हैं और कमीशन से भी उम्मीद करते हैं कि वह आपको कॉन्करेंस देता रहे। तो कमीशन खुद आपसे एग्रीव्ड है, वह अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि इस प्रकार की कान्करेंस मांगना, इस प्रकार से नियुक्तियां करना, एक बार रिक्विजिशन दे देना और फिर उनको भरदेना कहां तक उचित है?

इस रिपोर्ट को देखने से प्रतीत होता है कि यह कमीशन स्वयं आपकी इस हस्तक्षेप प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। कमीशन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो रिपोर्ट

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

उसकी आती है उस पर राजस्थान सरकार द्वारा विचार करने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट के माफिक कार्य करना चाहिए और कमीशन के प्रतिकूल जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे करने के माकूल कारण दिये जाने चाहिएं। पर आप कुछ व्यक्तियों के द्वारा निरंकुशरूप से अपनी स्वेच्छाचारिता को आगे बढ़ाते जावें, यह इस प्रजातन्त्र प्रणाली में शोभनीय नहीं कहा जा सकता।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

अब साढ़े चार बजे गवर्नमेंट को तरफ से उत्तर होगा, टाइम कम है और बोलने वाले माननीय सदस्य काफी हैं इसलिये सात सात, आठ-आठ मिनट बोलें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : एक इधर से बोलें, एक उधर से बोलें।

श्री सभापति : ऐसा ही किया जायगा। पर माननीय सदस्य अत्यन्त संक्षेप में बोलें।

(विराम)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, जनसेवा आयोग की १० वीं रिपोर्ट पर आज हम विचार कर रहे हैं। आरम्भ में विधान की धारा ३२३ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें कि स्पष्ट कहा जा चुका है कि यह रिपोर्ट सदन की मेज पर गवर्नमेंट के कमेंट्स के साथ वर्ष की वर्ष आजानी चाहिए। और एक क्षोभ प्रकट करूंगा उन कर्णधारों के प्रति जो विधान की कसम खाते हैं कि हम भारत के विधान के प्रति वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। और जिस प्रकार यह रिपोर्ट दो वर्ष तक पेश नहीं हुई है और विधान का इस तरह उल्लंघन किया गया है इसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा।

कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने से आरम्भ में ही पता चलता है कि इसके चैयरमैन मि० जोशी रह चुके हैं। शायद मैं भूल नहीं करता तो हायर सेकेन्डरी बिल पर अमेंडमेंट मूव हुआ था तो मैंने दो दिन पहले घोषणा की थी कि यह डेमोक्रेट नहीं है, इस कौंसिल में पहले ही विशेष तरीका बनाया गया है, वह एक व्यक्ति विशेष को नियुक्त करने का है। दो दिन बाद ही मेरी वह घोषणा सचित्र हुई है, मिस्टर जोशी चैयरमैन इस कौंसिल के हुए। वही जोशी इस पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हुए, क्या यह स्वस्थ परम्परा है जो सर्विसमेन, हायर सर्विसमैन और सर्विसेज को क्रियेट करते हैं उनको इस प्रकार का टेम्पटेशन देना कि आप रिटायर हो जाय तो भी हमारे दिल में अपने आदमियों के लिये स्थान है। क्या उनके आदर्श को भंग करने के लिये यह सीधा लुभावना तरीका नहीं है ?

सभापति महोदय, इस रिपोर्ट को पढ़िये, यह खुद ही कहती है कि क्यों नहीं दो वर्ष तक इस सदन की मेज पर रखी गई, जिन्होने रिपोर्ट पेश की है, सरकार पर गम्भीर आरोप लगाया है। जहां पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने रिक्रूटमेंट के लिए एडवरटाइजमेंट हुआ जिनमें से १५७५

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पोस्ट्स के सिलेक्शन से रिक्रूटमेंट के लिए ६,६०२ एप्लिकेशन्स आईं, ३,७७७ केन्डिडेंट्स को बुलाया उनमें से २,८७९ केन्डिडेट्स इन्टरव्यू के लिए आये उनमें से १,४१३ को सिलेक्ट किया और उनको रखने के लिये सिफारिश की।

इसके आगे लिखा है कि जोधपुर पोलिटेक्निक में दो पोस्ट्स के लिये एड्वर्टाइजमेंट हुआ ड्राफ्ट्समैन माइनिंग, ट्रेसर माइनिंग के लिये एडवरटाइजमेंट किया गया पर सिलेक्शन करने से पहले गवर्नमेंट ने इन्फार्म किया कि इन पोस्ट्स को अबोलिश कर दिया है इसलिये सिलेक्शन न किया जाय। केन्डिडेट्स को फीस वापिस लौटानी पड़ी पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसके लिए लिखा है कि यदि सरकार गलती नहीं करती तो इस प्रकार के एडवरटाइजमेंट पर व्यर्थ पैसा नष्ट न होता। इसके अतिरिक्त इस बात का भी संकेत इस पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट ने किया है कि आपको टेक्निकल जोब के लिए टैक्निकल एक्स्पर्ट्स मिलने संभव नहीं हैं। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है लेकिन हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि टेक्निकल एक्स्पर्ट्स अपॉइन्ट करने की जो वह कार्यवाही कर रहे हैं वह स्पष्ट है। ६ केसेज का रिकार्ड न भेजे जाने के कारण वे पेन्डिंग हैं और डिसिजन नहीं हो सका। उसके बाद रिक्रूटमेंट विदाउट एडवरटाइजमेन्ट। इस प्रकार ६ टाइप के केसेज का रिक्रूटमेंट किया है, जिनका एडवरटाइजमेन्ट नहीं हुआ है, पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्जामिनेशन से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है जिनको सरकार ने मनमाने तरीकों से अपॉइन्ट किया है। इररेगूलेरिटी के केसेज हैं। बड़े बड़े गंभीर मसले हैं। एक्स्टेन्शन के केसेज हैं उनकी ओर ध्यान दिलाऊंगा। पिछली साल के दो हजार, तीन हजार एक्स्टेन्शन के केसेज हैं। सरकार ने एक्स्टेन्शन कर दिया। बड़े गम्भीर केसेज हैं। एक कलेक्टर कोटा हैं, जिन्होंने ओवरसियर का अपॉइन्टमेंट कर दिया कोई सेंक्शन नहीं ली गई। नं० ३ दो साल तक सेंक्शन नहीं ली यह केस मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ का है। सभापति महोदय, यह सब कुछ इस रिपोर्ट में दर्ज है। मैं यह सब कहने के बाद अन्त में कुछ शब्द इस रूप में कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार सरकारी शासन भ्रष्ट होता जा रहा है सरकार शिथिल होती जा रही है........

श्री सभापति : Make specific points and make them briefly, so that other persons can also get time.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, और जिस प्रकार से सरकार के कानून देख नहीं पाते हैं और सर्विसेज को देखा जाय तो उनमें सुरक्षा की भावना नहीं है। आई. ए. एस. ए. इस सबोर्डिनेट सर्विसेज के लोग होते हैं वे सुरक्षा की भावना अनुभव नहीं करते हैं। दूसरी ओर शासन में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है एवं Sense of of unsafety in the Services; ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी लपटें राजस्थान की जनता तक पहुंच रही हैं। कोई बढ़िया से बढ़िया कानून आप यहां पास कर दें किन्तु उसका ओपरेशन नहीं हो पाता है। जिलों में ऐसी स्थितियां व्याप्त हैं ३००.४०० स्टे ओर्डर्स कर देते हैं, तहसीलदार पूरा नहीं कर सकता।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पब्लिक सर्विस कमीशन एक हाई कोर्ट के रूप में हैं, न्याय मंदिर के रूप में है इसको अधिक सुदृढ़ और स्वस्थ बनाना पड़ेगा।

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने विचार रखें हैं। मैं सुन रहा था तो मैंने देखा कि एक रूप से संविधान का सहारा लिया गया और उसके बाद कमीशन की बात कह कर उसके सहारे उधर के बोलने वालों ने भी तरह तरह के विचार रखे।

(४-०५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पहली बात कही गई। कमीशन जिस तरह से भी है वह अलग है। फिर कमीशन ने जो किया है उसको सरकार नहीं मानती है और उसके बाद कमीशन ध्यान दिलाता है कि एफिशियेन्सी होने वाली है, यह हमारी समझ में नहीं आता है कि सरकार को क्या दिक्कत है; नहीं मानने में ? सर्विस कमीशन सही है और सरकार नहीं मानती है तो आपका तरीका ठीक हो सकता हैं, लेकिन जब कमीशन पूरी तरह से बना हुआ है, संविधान में उसका उल्लेख है और सरकार उसकी सिफारिशों को नहीं मान पाती है तो सरकार को विवश करने के लिए सदन का कर्त्तव्य है कि सरकार को देखें कि वह उन बातों को माने। पहली बात यह साफ होनी चाहिये कि सर्विस कमीशन का रूप है वह सही है और उसने जो रिपोर्ट पेश की है सरकार उसको पूरी तरह पालन नहीं करती है यह शिकायत सदन के लोगों को हो सकती है, श्रीमान्, मैं यह निवेदन करूं कि जो बाहर के विजिटर आते हैं देखने उनसे बातें हुई हैं। दो तरह के विजिटर होते हैं। एक तो अच्छाइयां देखते हैं, बेलेन्स्ड माइन्ड होते हैं, सब तरफ घूमते हैं, कुछ वे हैं कि जिनको सेनिटरी और गटर इन्स्पेक्टर कहूं, वे यहां आ जाते हैं, गटर्स की तरह डोलते हैं, डेंगली होती है बदबू को सूंघते फिरते हैं, नालियां गटर निकलते है वहां वे डोलते फिरते हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I think, it is not dignified for the Hon'ble Member to caste aspersions on the visitors who are here in the Gallery.

(बाधायें)

श्री उपाध्यक्ष : One at a time please.

श्री ज्वालाप्रसाद : नहीं। I am giving a simile

(बाधायें)

श्री मुकुटविहारीलाल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस सदन के इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों के प्रति आक्षेप है और सदन की प्रतिष्ठा को भी भंग करने के आक्षेप है, इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों की भावना के प्रति ये शब्द कहे गये हैं इसलिए माननीय सदस्य उन शब्दों को वापिस लें यह एक प्रिविलेज का मोशन है......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको मालूम नहीं है……

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं जब बोल रहा हूं तो माननीय सदस्य को संतोष रखना चाहिये और इन्टरप्ट नहीं करना चाहिये। माननीय सदस्य, मैं मानता हूं, मेरे से सीनियर हैं मुझे इन्टरप्ट न करें।

जब इस प्रकार की बातें चलें तो यह नहीं है कि उनका जवाब नहीं दिया जा सकता। इस सदन की जो मर्यादाएं हैं उनके यह प्रतिकूल है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं……

श्री ज्वालाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सुनने के बाद ही आप आदेश और अपनी व्यवस्था दीजिये। मेरा यह कतई मतलब नहीं है कि किसी प्रकार से माननीय सदस्यों का कोई दिल दुखे। मेरा यह रेफेरेन्स न किसी विजिटर पर है और न ही किसी माननीय सदस्य पर।

किसी को कांटे देखने का शौक है। पहली बात यह कहूं कि रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है सदन को उस पर बहस करने का सरकार ने मौका दिया है, विचार व्यक्त किये गये हैं। कुछ लोगों ने स्क्रुटिनी करने की कोशिश की उनको XXXX की तरह मानता हूं—……

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of Order……

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : It is a personal aspersion.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : Mr. Dy. Speaker Sir, I will draw your attention towards the words used by the Hon'ble Member. The word used by him is completely unparliamentary.

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी बात पूरी हो जाय उसके बाद ही आप व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!!

मैं समझता हूं यद्यपि यह आवश्यक है कि माननीय सदस्य जो भी बोलें वे संयत भाषा में बोलें; फिर भी अभी जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह किसी मेम्बर पर या और पर किसी पर एक्सपर्शन के रूप में डाइरेक्ट मालूम नहीं होता है इसलिए प्रिविलेज और दूसरे प्रश्न नहीं उठते हैं। माननीय सदस्य, मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि जो भी भाषा बोलें वह संयतपूर्ण और प्रतिष्ठा के अनुकूल भाषा बोलें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरी बात कहने का आशय था कि अगर कमीशन की रिपोर्ट है और कमियां है, इतनी बड़ी कमियां सरकार चलाने में होती है वे नहीं होतीं तो संविधान में उल्लेख नहीं होता। यह कमीशन में नहीं होती। कमीशन है तो ध्यान रखना चाहिये कि गवर्नमेंट को सुव्यवस्था करने में दिक्कतें आती हैं। कमीशन को मानते हुए रिपोर्ट संविधान के अन्तर्गत पेश की जाती है। जैसी मैंने बातें कहीं, कांटे की बात कह कर, बदबू की बात कह कर, इसको नहीं टाला जा सकता है। यदि

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

माननीय सदस्य ने पढ़ा होगा उसको नजरअन्दाज करना कतई ठीक नहीं है और उस सम्बन्ध में सदस्यों को जानकारी के लिए कहता हूं कि कमीशन का क्या व्यू सरकार के लिए है। इतने बड़े काम में कमीशन ने सच्ची रिपोर्ट पेश की वह सरकार के लिए लिखता है :

" Commission is grateful to the Rajasthan Government for their continued co-operation during the year under report. The various Heads of Departments also have generally been responsive in their co-operation and our thanks are due to them. "

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : यह तो शिष्टाचार के नाते लिखते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस प्रकार का भी नोट लिखा है। जहां पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस रिपोर्ट के अन्दर अंगुली भी दिखाई है जहां जहां हमारी सरकार फेल हुई है, इसके साथ साथ उन्होंने इतने बड़े कोआॅपरेशन के लिये थेंक्स भी दिया है। इतने बड़े काम के अन्दर सरकार ने हमारे साथ कोआॅपरेट किया उसके लिये धन्यवाद देते हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर जब हम इस रिपोर्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो जहां सरकार के पिट फाल्स की ओर इशारा किया है वहां हमारा यह कर्तव्य है कि हम भी उनकी पिट फाल्स की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। सरकार के सामने जो रोजमर्रा की कठिनाइयां आती हैं उनको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कुछ खामियां रह जायं लेकिन इतनी सी चीज पर एकदम हावी हो जायं यह मैं उचित नहीं समझता। आज जरूरत इस बात की है कि हम सरकार को इस ओर ले जावें जिससे सरकारी अधिकारी डिसीप्लीन में रहते हुए सरकार का काम कर सकें। मैं इसीलिये-इसको जनरेलाइज करता हूं और एक बहुत दिलचस्प किस्सा सरकार को सुनाना चाहता हूं।:

मैं जो निवेदन कर रहा हूं उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की बात नहीं। मेरे सामने एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा आया है जो अपने आप में एक ही है वह मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। वह किस्सा यह है कि एक साहब यहां ओवरसियर थे, उनको पकड़ा गया, दो हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सेशन जजी में उसको दो साल की सजा हुई और हाईकोर्ट ने उसको एक साल कर दिया। वे सजा काटकर आये। सजा काटकर आने के बाद महरबान लोगों ने उससे मिस्त्री के रूप में काम लेना शुरू किया। जॉब-वर्कर रखने बाद उन महाशयजी को आठ रुपया ९ रुपया प्रतिदिन दिया जाने लगा। उसके बाद श्रीमान् उनको ठेकेदार-सी क्लास बना दिया गया। जो व्यक्ति हाईकोर्ट से फैसला होने के बाद सजा काटकर आये उनको इतना ही नहीं बाद में रेगुलर ओवरसियर बना दिया गया और सीनियर ओवरसियर नियुक्त कर दिया गया अजीब सी बात है। अगर हम में से कोई मोरल टरपीट्यूड में ६ महीने सजा काटकर आवे तो इलेक्शन के

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लिये खड़े नहीं हो सकते । एक विरोधी दल के सदस्य ने आकर कहा भाई जो लोग सजा काटकर आये उन पर उनका कटाक्ष था । जो नेता बनने के काबिल थे उस नेता को नौकर रख लिया गया । इसमें क्या बुरा हुआ यह बात नहीं सजा काटे हुए नेता रहने चाहियें लेकिन किस प्रकार की सजा...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको तो मिनिस्टर बनाना चाहिये था ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो आपकी राय हो सकती है । मैं उनका नाम भी बता दूं अत्रे ऋषि, यह ऋषि तो मैंने जोड़ दिया...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगले इलेक्शन में उनको टिकट जरूर दिलवाइये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप मुझे इन्टरप्ट न करें महरबानी करके । उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर रहा था अत्रे ऋषि का । डिपार्टमेंट में होशियारी से काम लिया गया उनसे सम्बन्धित विभाग को पूछा गया इनका कन्डक्ट कैसा रहा उन्होंने कहा बड़े भले आदमी हैं । जेल के आथोरिटीज को लिखा गया उन्होंने भी लिखा सजा काटने के समय इनका कन्डक्ट बहुत अच्छा था । कन्डक्ट अच्छा रह गया, इसलिये सरकार ने उनका अपॉइन्टमेंट कर दिया ।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : जेल किस सेक्शन के तहत काटी थी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : साधारण ढंग की कोई बात होती तो कोई बात नहीं थी । आपने पहले भी जेल काटी एक प्रोफेसर को निकाला था और आज मैं यह कहना चाहता हूं ऐसे आदमी भी नहीं रह सकते । सरकार की कोई ताकत नहीं इस तरह के आदमी को नौकर रखने की । एक व्यक्ति जो रिश्वत के आरोप में जेल काटे हुए उसको सरकार को किसी भी तरह बर्दास्त नहीं करना चाहिये; जैसे पहले निकाला प्रोफेसर को, उसी तरह इसको भी निकालना चाहिये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिपोर्ट का सपोर्ट करता हूं और सदस्यों से अपील करता हूं कि कमीशन की जरूरत है सरकार पर अंकुश रखने के लिये, उसकी रिपोर्ट पेश होती है । अगर आदर्शता आ जाय जैसी कि कल्पना करते हैं तो कमीशन की जरूरत ही नहीं रहती । उसके अधिकार हैं, यह बहुत अच्छी चीज है ।

अब मैं सरकार का ध्यान एजुकेशन पोलिसी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । एजुकेशन डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है । पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है उस तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाया है । मैं शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट से सरकार पूरा फायदा उठाये । कमीशन ने आगाह किया है, उसका नोट लेना चाहिये कि किस तरह से हम इस स्तर को बढ़ा सकें । इसका प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन की आवश्यकता के बारे में किसी भी माननीय सदस्य ने इन्कार नहीं किया। मेरे पूर्व वक्ता ने जो बात कही उनसे मेरा निवेदन है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की आवश्यकता का सवाल है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। जो कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत है उस रिपोर्ट पर सरकार का एटीट्यूड क्या रहा इस पर डिस्कशन करना है। मैं आप के सामने राजस्थान सहकारी विभाग में हो रहे अपोइन्टमेन्ट्स की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विभाग में पक्षपात चरम सीमा पर है। जहां तक सहकारी विभाग का प्रश्न है इस रिपोर्ट के पेज ११ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें जोधपुर के सहकारी अधिकारी के बारे में सरकार से कहा गया कि इसको असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की तरह ट्रीट किया जाय, उसको गवर्नमेन्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग बना दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ऐतराज करता रहा कि इनकी क्वालीफिकेशन असिस्टेन्ट रजिट्रार की भी नहीं है। पी० एस० सी० उनके बारे में रेकॉर्ड मांगती रही इसी बीच में उनको डिप्टी रजिस्ट्रार बना दिया। सरकार को ऐतराज लिख कर भेजा जाता है, सरकार उसकी परवाह नहीं करती।

इसी के साथ इसी रिपोर्ट के पेज ९४, पैराग्राफ ७–८ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सहकारी विभाग की अनियमितता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, तीन इन्स्पेक्टर्स को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पद पर प्रोमोशन दिया गया है इस पर सख्त ऐतराज किया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है इन लोगों को प्रोमोशन किये जाने से पीछे जो लोग हैं उनके अधिकारों का सुपरसेशन तो नहीं हुआ ? सरकार ने उसका जवाब तक नहीं दिया और उनको असिस्टेन्ट रजिट्रार से डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर मुकर्रर कर दिया। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इसकी किसके कन्धों पर जिम्मेदारी है। सरकार सामूहिक जिम्मेदारी से सिद्धान्ततया अलग नहीं हो सकती। हालांकि आप इसके लिए किसी एक अमुक मिनिस्टर को जिम्मेदार बता सकते हैं। आज से पूर्व, एक दो महीने पहले उनके ये मतभेद सामने भी आये और माननीय मुख्य मंत्री मानने लगे कि उनके हाथ से इस विभाग को लेना आवश्यक है और अन्त में वह विभाग उनसे ले भी लिया गया। यह इस बात की ताईद करता है कि न सिर्फ अपोइन्टमेन्ट में बल्कि इस विभाग के द्वारा जो लोन वितरित किया गया है, कोओपरेटिव मार्केटिंग को जो लोन दिया गया है, सब में भ्रष्टाचार है। मैं मुख्यतया अपोइन्टमेन्ट के बारे में निवेदन करूंगा। इसमें जो अनियमितताएं पिछले वर्ष में हुई हैं उनके बारे में आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अब दूसरे मंत्री के हाथ से यह विभाग ले लिया गया है और स्वयं मुख्य मंत्रीजी के हाथ में है तो इन अनियमितताओं को भी बिल्कुल दुरुस्त किया जाना चाहिये।

मैं इस सदन का ध्यान और माननीय मुख्य मन्त्रीजी का भी ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि इस ५९–६० के वर्ष में इस कमीशन द्वारा तहसीलदार सर्विस का रिक्रूटमेन्ट करने के एग्जामिनेशन्स होल्ड किये गये। पर ताज्जुब है कि १७ आदमियों का सिलेक्शन कमीशन ने किया

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

और २८ का सरकार ने डाइरेक्ट कर दिया। जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट के पेज ६ पर है। बाद में पी० एस० सी० ने इन २८ के अपोइन्टमेन्ट को किस तरह से अनुमति दे दी ? मैं जानना चाहूंगा कि जब डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट के एग्जामिनेशन्स कमीशन ने होल्ड किये तो फिर क्या वजह है कि २८ को तो डाइरेक्ट अपोइन्ट कर लिया और सिर्फ १७ व्यक्तियों को कमीशन के हाथ में छोड़ा। तहसीलदारों की नियुक्ति महत्वपूर्ण विषय है और इस जनतान्त्रिक युग में तो तहसीलदार को इतने अधिकार हैं कि अपनी अपनी तहसीलों में वे ग्रामीणों द्वारा आज भी परमात्मा की तरह समझे जाते हैं। इनके अपोइन्टमेन्ट्स में आपके द्वारा इस तरह जो पक्षपात किया जा रहा है चाहे बाद में पी० एस० सी० ने इस इर्रेगुलेरिटी को अपनी सेंक्शन दे दी हो पर यह स्पष्ट करें आप कि ऐसी कौनसी परिस्थितियां थीं कि आपने पी० एस० सी० के मार्फत इनका भी रिक्रूटमेन्ट नहीं करके डाइरेक्ट किया। आपके यहां सरप्लस भी थे तो कोई हर्ज नहीं था, आप इनको पी० एस० सी० में कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स में हाजिर होने के लिये उनको भी भेजते। तो इस तरह से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज सहकारी विभाग में सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं है बल्कि मन्त्रियों के लड़के, मन्त्रियों के भाइयों को, जंवाइयों को आप गलत तरीके से अपोइन्ट करते हैं दूसरों का हक मारकर। आज मथुरादास जी माथुर के भाई असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हैं, भूतपूर्व गृहमंत्री के लड़के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हैं और इन सबकी नियुक्तियों पर ऐतराज है पी० एस० सी० को।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या यह कानून के विरुद्ध है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप सुन लीजिये, यह कानून के विरुद्ध नहीं है। आपके एक अन्य परम नेता चौधरी कुम्भारामजी के जंवाई डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर आसीन हैं। उनकी आज पी० एस० सी० ने और फाइनेन्स विभाग ने तनख्वाह बन्द कर रखी है, पर उनको डिमोट करने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि एक जनतान्त्रिक युग में कम से कम मिनिस्टरों के रिलेटिव्ज का कन्डक्ट ऐसा होना चाहिये जिससे आम जनता को यह विश्वास हो सके कि पक्षपात नहीं है। आज अगर आप अपने भाई, भतीजों, लड़कों, जंवाइयों को ऊँचे पदों पर आसीन कराना चाहते हैं और कानून के खिलाफ जाकर कराना चाहते हैं और पी० एस० सी० ऐतराज करती हो पर चूंकि आज आप राजस्थान के शासकों की कुर्सियों पर बैठे हैं इसलिये उसके ऐतराजों को सुनते नहीं हैं, इन सारी धांधलियों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह बात कतई उचित नहीं है और आप को अपने इस रुख में परिवर्तन करना चाहिए।

इसके साथ ही मैं और महत्वपूर्ण केसेज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सर्विस रूल्स में परिवर्तन करते हैं उनकी प्रतियां आप पी० एस० सी० में भेजते हैं, रूल्स की प्रतिलिपियां भी भेजते हैं। राजस्थान सरकार के जितने सर्विस रूल्स बने हैं और भारत सरकार के जितने बने हैं, मैं आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करता हूं और सरकार का भी ध्यान

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उधर दिलाना चाहता हूं कि उसमें महत्वपूर्ण फर्क है। डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट का प्रश्न आता है। यदि एक आदमी भारत सरकार की सर्विस में जा चुका है तो अगर कहीं डिपार्टमेन्ट में प्रोमोशन का या कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन का प्रश्न आता है तो वह कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स में बैठ सकता है और इसमें आयु का रिलेक्सेशन है। पर राजस्थान सरकार के जितने नियम बने हुए हैं उनमें आपके बने नियमों के अनुसार सर्विस वालों को अधिकार नहीं है कि किसी भी पद के लिए डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट में कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन में बैठ सके। उनको एज रिलेक्सेशन नहीं मिल सकता। मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि नीचे वर्ग के कर्मचारी हैं उनमें इन नियमों के प्रति असन्तोष है। आपने अपनी सर्विस की एज लिमिट २५ वर्ष, ३० वर्ष रख छोड़ी है। ३० वर्ष की उमर तक बहुत बड़ी प्रगति तक पहुंच सकता है, पर आपने डिबार कर रखा है उसको वह डाइरेक्ट कम्पीटिटिव एग्जामीनेशन्स में किसी पद के लिये नहीं बैठ सकता। इस तरह से उसकी लाइफ में आगे के जितने प्रोग्रेस करने के चान्सेज हैं वे आपने बन्द कर दिये हैं। आपके राजस्थान के सर्विस रूल्स में यह डिस्क्रिपेन्सी है और जो करीब करीब सारे रूल्स में है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करके जानना चाहूंगा कि इस डिस्क्रिपेन्सी में केबीनेट ने कोई पॉलिसी तै की है और रूल्स इस बारे में नहीं हैं, पॉलिसी कोई तै नहीं की है तो भारत सरकार की नीति का अनुसरण इस बारे में क्यों न करे यह सरकार। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार ने बिना सोचे समझे यह रखा है। अवश्य बहुत सोच समझ कर रखा होगा, तो फिर कोई वजह नहीं कि राजस्थान सरकार इसका अनुसरण न करे। तो मैं यही कहूंगा इस बारे में कि इस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो ही मिनट। भारत सरकार के एन्टरप्राइजों में उसके पदों पर रिकमेन्डेशन करने के बाद में अपोइन्टमेन्ट्स का प्रश्न है उसकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के कन्ट्रोलर मुकर्रर किये गये हैं आपकी रिकमन्डेशन पर। पर वे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बीमार रहते हैं और इस कारण अपनी ड्यूटीज को बराबर अन्जाम नहीं दे सकते, रिटायर्ड हैण्ड हैं। ऐसे व्यक्ति के लिये जब आप रिकमेन्डेशन करते हैं तो आपको देखना चाहिये कि आया वह आदमी एफीशियेन्ट भी इन आल रेस्पेक्ट है या नहीं। ऐसी हालत में है या नहीं कि रिएम्प्लॉयमेंट का मकसद भी पूरा न हो।

अन्त में जो हायर सेकन्डरी एजूकेशन बोर्ड के सभापति पद पर श्री एल० एल० जोशी की नियुक्ति की गई है, मैं दफा ३१९ बी० की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और गवर्नमेन्ट के लॉ डिपार्टमेन्ट का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा और साथ ही पी० एस० सी० का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब कि कानूनी बार है यह कि किसी भी व्यक्ति को जो पी०एस०सी०

Page No 103

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

का मेम्बर रहा है किसी दूसरे पद पर अपोइन्ट नहीं किया जा सकता तो किस बेसिस पर इनको अपोइन्ट करके इस संविधान की मंशा की ओर इसके नियमों की हत्या की गई है।

इन शब्दों के साथ मैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की इस रिपोर्ट की तरफ राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जितनी अनियमितताओं की ओर इशारा पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया है उनका निराकरण किया जाना चाहिये और भविष्य में जब दूसरी रिपोर्ट आए तो एक मेमोरेण्डम उस रिपोर्ट के साथ लगा हुआ होना चाहिये कि सरकार ने जिनको नहीं माना है तो किन आधारों पर नहीं माना है ताकि बहस हो तो एनलाइटेन्ड तरीके से हो सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, सदन में आये जन-सेवा आयोग की दसवीं रिपोर्ट पर जो बहस हुई उसके सारे विस्तार में तो मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन कुछ बातों के ऊपर प्रकाश डालना पर्याप्त समझता हूं।

सबसे पहले तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर अलग अलग प्रदेशों की जो रिपोर्ट पब्लिश होती हैं उनकी और हमारे यहां की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है उनको हम देखते हैं तो जो खामियां इसमें बताई गई हैं उस पर अगर विचार किया जाय तो कुछ माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार सरकार को क्रिटिसाइज करना उचित समझा, शायद वे न करते। खैर। मैं इस विवाद में आज नहीं पड़ना चाहता।

नवीं रिपोर्ट जो कि इसके पहले प्रस्तुत की गई थी उसमें माननीय सदस्यों को यह पता होगा कि जिन केसेज़ को डिपार्टमेंट्स के अन्दर रिपोर्ट किया गया और जिस पर कार्यवाही होने में देर लगी उसकी तादाद इसमें १०६ केसेज के लिए लिखा गया है उसके अगेन्स्ट में नाइन्थ रिपोर्ट में १८२ केसेज़ का था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक वर्ष में उस परिस्थिति के अन्दर काफी सुधार लाने का प्रयत्न किया गया है। उसी प्रकार जो केसेज इस प्रकार के थे कि जिनमें कमीशन ने इरेंगुलेरिटीज की बाबत गवर्नमेंट को लिखा है उस सिलसिले में भी जब कि नाइन्थ रिपोर्ट के अन्दर ऐसे १० केसेज रिपोर्ट किये गये थे तो इस रिपोर्ट के अन्दर ४ केसेज ही रिपोर्ट किये गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि जो केसेज रिपोर्ट हुए हैं वे होने वाजिब हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो बातें पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से ध्यान में लाई जाती हैं या सदन के माननीय सदस्यों द्वारा जिन बातों पर जोर दिया जाता है उन पर हम खुद सतर्क होकर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है परिस्थितियों के अन्दर परिवर्तन करने के लिए प्रयत्नशील हैं। गवर्नमेंट की यह मन्शा नहीं है कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से जहां तक हो पाये डिफर करें। जब मैंने यह कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से हमारे डिफरेन्सेज नहीं हैं तो मेरा खास तौर से कहने का इरादा यह था कि जो अपोइन्टमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकमेन्डेशन भेजी उनमें एक भी केस ऐसा नहीं है कि जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की राय को सरकार ने स्वीकार नहीं किया हो। एक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

केस डिसीप्लिनेरी ऐक्शन के बारे का है जिसमें गवर्नमेंट ने डिफ़र किया है। कन्स्टीट्यूशन के प्रोवीज़न के मुताबिक उस डिफरेन्स के लिए मेमोरेन्डम कन्स्टीट्यूशन की धारा की पूर्ति के लिए आवश्यक है या नहीं, यह मैं तत्काल नहीं कह सकता, लेकिन अगर आवश्यक है और अगर नहीं आया है तो उसकी पूर्ति करदी जायगी। मैं यह कभी अपने दिल में इरादा नहीं रखकर चलता हूं कि विधान की जो मन्शा है उस मन्शा की हम पूर्ति नहीं करें।

मैं इसी के साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से हमारे यहां पर जब हम यह चर्चा करते हैं तो व्यक्तियों की चर्चा पर ज्यादा सीमित हो जाते हैं और उसके लिए एक पेचीदगी की स्थिति मेरी बनती है, व्यक्ति की दृष्टि से समर्थन का प्रश्न हो या विरोध का प्रश्न हो। पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियेटिंग चेयरमैन जिनके जमाने की यह रिपोर्ट हमारे सामने आई है उनके लिए यहां पर यह प्रश्न उठाया गया है कि उनको सेकन्डरी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करके विधान की धाराओं का उल्लंघन किया गया है। मैं बहुत नम्रता पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि शायद माननीय सदस्यों की जानकारी में यह होगा कि श्री जी० सी० चटर्जी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रह चुके थे उसके बाद वे वाइस चान्सलर रहे और आज भी सेकण्ड्री एज्यूकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं जो कि सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूशन्स के लिए कायम किया गया है। तो सेकण्डरी एज्यूकेशन बोर्ड या युनिवर्सिटी जिसका अलग कन्सोलिडेटेड फण्ड है, जिसका अपना एक्ट है उस धारा के अन्दर अगर कोई नियुक्त किया जाता है तो जहां तक मैं समझता हूं जिसके उदाहरण के तौर पर मैंने श्री जी. सी. चटर्जी का उदाहरण रखा तो न विधान की अवहेलना की बात आती है और न कानून की अवहेलना की बात आती है और मैं निश्चित तौर से यह कह सकता हूं कि कोई भी विधान या कानून की इसके अन्दर अवहेलना की जाती है तो हर्गिज नहीं किया जायगा चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसको सरकार अवहेलना करना नहीं मानती है। हमने जो कुछ जानकारी हो सकती थी पहले भी दी है और अगर कोई कन्करेन्टली इसके बारे में आगे किसी सदस्य की तरफ से कोई लीगल ओपीनियन मिले·····

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : लीगल ओपीनियन तो सीतलवाड़ ने दी है तिवारीजी के मामले में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसमें कन्सोलिडेटेड फण्ड गवर्नमेंट का था और वे एलाउन्स ड्रॉ करते थे इसकी वजह से वह राय थी। यह कन्सोलिडेटेड फण्ड गवर्नमेंट का नहीं है इसमें यह डिफरेन्स है और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने निवेदन किया पहले उदाहरण श्री जी• सी• चटर्जी का। उनके सेकेण्डरी बोर्ड के चेयरमैन होने का आज हमारे समक्ष है। तो इसमें मैं ऐसा समझता हूं कि क्योंकि अमुक व्यक्ति अमुक जगह का है, अमुक स्थान का है, उसी का विरोध करता है तो मुझे ऐतराज नहीं, पर उसके साथ साथ इन प्रश्नों को चलाना उचित नहीं होगा।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मैं साथ ही साथ, उपाध्यक्षजी, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहस के दौरान में यह प्रश्न सामने आया कि अगर कुछ खास जगहों पर राजस्थान के बाहर के लोगों को नियुक्त किया जाय तो मैं चाहता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर हम राजनैतिक कारणों से इस तरह से ऐसी फिज़ा स्वयं नहीं बनाते हुए चले जायं कि राजस्थान के ऑफिसर बड़े पदों के ऊपर या निष्पक्ष पदों के ऊपर आज कायम नहीं रह सकते । इस चीज को बड़ी मुश्किल से जो पहले बी स्टेट राजस्थान बना था उस वक्त हमारे सामने यह बात थी उसको दूर करके आज जो दूसरी स्टेटों में जिस भावना के अन्दर नियुक्तियां की जाती हैं, मैं नहीं मानता कि राजस्थान के हम लोग अपने ही व्यक्तियों को कन्डेम करके यह मानकर चलें कि हमारे व्यक्ति नहीं होने चाहिएं । मैं समझता हूं कि दूसरी स्टेट्स जब तक इस विचारधारा को लेकर नहीं चलती हैं कि अमुक अमुक जगह दूसरी स्टेट के लोग नियुक्त होने चाहिएं तो इस बारे में हमारे राजस्थान के अन्दर इस बात के लिए बराबर प्रयत्न किया गया है, मैं इस बात के खिलाफ कतई नहीं हूं कि राजस्थान का व्यक्ति जिसका कि टर्न है चीफ जस्टिस बनने का या चीफ सेक्रेटरी बनने का या पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनने का और इस लायक व्यक्तियों को, दूसरी स्टेट्स हमारी स्टेट के लोगों को लेने को तैयार हों तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा । दूसरी स्टेट्स के लोग यह सुनेंगे कि हम अपने ही व्यक्तियों को कन्डेम करें कि उनसे जस्टिस नहीं हो सकता, न्याय नहीं हो सकता, मैं समझता हूं उपयुक्त बात नहीं होगी ।

इसको मानकर चलते हैं कि जो कुछ लोग हैं, जिनको नियुक्त किया गया है आज राजस्थान के अन्दर पब्लिक सर्विस कमीशन में, इस वक्त वर्तमान पब्लिक सर्विस कमीशन में तीन में से दो मेम्बर्स बाहर के हैं, यह मैं समझता हूं माननीय सदस्यों की जानकारी में होगा । चेयरमैन बाहर के हैं और एक और सदस्य बाहर के हैं जो उसके अन्दर हैं । वे हैं उसमें मुझे कतई ऐतराज नहीं हैं, वे योग्य हैं कार्य करें उससे बिल्कुल ही ऐतराज नहीं है लेकिन उसको उसूल के तौर पर स्वीकार किया जाय कि यहां का नहीं हो केवलमात्र बाहर के होने से निष्पक्षता आ सकती है और वैसे नहीं हो सकती है । जो हाईकोर्ट के जजेज हैं या और जगहों पर नियुक्तियां होती हैं, तो इन सारी जगहों पर जो लोग काम करते हैं वे निष्पक्ष कार्य नहीं करेंगे, ऐसा मानने का मैं नहीं समझता कि कोई कारण नजर आये ।

दूसरे, उपाध्यक्षजी, सर्विसेज़ की इर्रेगुलेरिटीज की जो बातें हमारे सामने आई थीं उसका कारण यह भी था कि बहुत सी सर्विसेज़ के रूल्स बन नहीं पाये थे । हमने इन पिछले वर्षों में लगातार इस बात का प्रयत्न किया है कि अलग अलग सर्विसेज़ के लिए, रूल्स बना दिये जायं और ज्यादातर सर्विसेज़ के लिए, कुछ जगह शायद अब भी बाकी हैं, लेकिन ज्यादातर सर्विसेज़ के लिए रूल्स बना दिये हैं और रूल्स के मुताबिक आज प्रोमोशन के बारे में सिलेक्शन कमेटीज़ रखी हैं । जनरली प्रोमोशन के लिए विधान या किसी चीज की जहां तक मैं समझता हूं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रुकावट नहीं है। गवर्नमेंट खुद डिपार्टमेंटल तरीके से प्रोमोशन कर सकती थी, हमने अपने यहां पर बहतर तरीका अपनाया है कि जो प्रोमोशन के केसेज़ हैं वे आम तौर से सिलेक्शन कमेटी के पास जाते हैं जिसमें पी० एस० सी० के मेम्बर को भी एसोशियेट किया जाता है और उस बेसिस पर काम करते हैं जिस प्रकार कि प्रोविन्शियल सर्विसेज़ से आल इंडिया सर्विसेज़ के अन्दर प्रोमोशन की रिकमन्डेशन के केसेज़ होते हैं। इसी प्रकार का आधार हमने इसके अन्दर भी लिया साथ साथ जो टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स बहुत से किये उनके सम्बन्ध में जो समय समय पर कुछ बातें हमारे सामने आती हैं उनको देखते हुए गवर्नमेंट ने हरेक हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट को इन्स्ट्रक्शन्स दिये हैं कि जो भी टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स किये जायं उनसे पहले शोर्ट टर्म एडवरटाइजमेंट के तौर पर एडवरटाइज करे और एप्लीकेशन्स लेकर प्योरेली मेरिट के बेसिस पर नियुक्ति करें। जैसा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में आप जानते हैं अच्छे से अच्छे लेक्चरार्स का अपोइन्टमेंट करने में यदि एक के ५३ परसेन्ट मार्क्स हैं और दूसरे के ५२ परसेन्ट हैं तो ५३ परसेन्ट वाले को नियुक्त कर दिया जायगा जब तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दूसरी नियुक्ति न हो। अभी जो तादाद सामने आती है वे पी० एस० सी० के पास पोस्टें कोई नहीं गई इसलिये ऐसा मालूम होता है लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करता हूं कि यह नहीं समझें कि जो टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स किये गये हैं उनमें पक्षपात किया हो। डॉक्टर्स के टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स किये गये हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर्स जो अपोइंट किये गये हैं उनमें से कोई रिजेक्ट होने वाला नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स की आज शोरटेज है लेकिन वहां जावें, फोरमेलिटीज कम्प्लीट हों, वहां सिलेक्शन हों तब तक टेम्पोरेरी होते हैं। आज के दिन टेम्पोरेरी लेक्चरार्स की अपोइन्टमेंट पचासों या सैकड़ों की तादाद में करनी पड़ती है इसलिये करनी पड़ती है कि जुलाई में कॉलेजेज़ खुली है। जून के बीच तक रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, हम चाहते हैं कि फ्रेश युनिवर्सिटी से निकलने वाले लोग भी आवें, उनको भी मौका दिया जाय ताकि उनको साल भर बेकार नहीं रहना पड़े इसलिये कुछ आगे चलकर करते हैं। पी० एस० सी० को जितनी पोस्टें रेफर करते हैं उनसे ज्यादा रिजर्व लिस्ट के तौर पर रख कर वे चलते हैं ताकि जरूरत पड़े बीच में तो नाम दे दिये जायं।

विरोधी पक्ष के नेता ने कहा था कि आर० ए० एस० के इम्तहान जल्दी हुए, रिजल्ट में देरी लगी। इसका कारण यह था कि उस वक्त इमर्जेन्सी रेक्रूमेंट के लिये काफी व्यक्तियों का पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद करीब ३०० व्यक्तियों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया था उसकी वजह से रिपोर्ट पब्लिश हुई तब तक रिज़ल्ट नहीं आया। इतनी बड़ी तादाद के लिये इन्टरव्यू आदि में देरी हुई वरना कोई रुकावट नहीं होती। रिटर्न एग्ज़ामिनेशन का रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता। वायावोसी बाकी था लेकिन जो कुछ देरी हुई उसके पीछे मूल कारण निवेदन किया, बहुत ज्यादा व्यक्तियों के इन्टरव्यू की वजह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से समय लगा ।

मैं साथ ही साथ यह निवेदन कर दूं कि अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, बीकानेर से मेरा मतलब उसके पड़ोस से...

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): कोलायत।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोलायत मानलें, माननीय सदस्य ने कुछ कोआॅपरेटिव और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के इर्रेगुलर अपोइन्टमेंट्स का जिक्र किया, वह सवाल हमारे विचाराधीन है, जल्दी से जल्दी उचित निर्णय किया जायगा जिससे अभी यह ख्याल बनता है कि टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट्स आगे चल रहे हैं उनका परमानेन्ट फेज़ बन जाय, उसके लिये गवर्नमेंट विचार कर रही है ।

यहां यह भी निवेदन कर दूं कि यहां यह भी चर्चा आई रीअपोइन्टमेंट के बारे में, रिअपोइन्टमेंट के बारे में पॉलिसी नहीं होने से बहुत से व्यक्ति निष्पक्ष कार्य नहीं कर सकते, पी० एस० सी० में सर्विस वाले लोग लगते हैं इस वजह से क्योंकि वहां रिअपोइन्टमेंट मिलता है, वहां जाते हैं और ओब्लाइज फील करने से निष्पक्ष तौर से काम नहीं कर सकते, मैं समझता हूं हमारे संविधान का आर्टिकल ३१६ इस मामले में स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि पी. एस.सी. में कम से कम आधे व्यक्ति ऐसे हों जिनको १० साल का कम से कम सर्विस का एक्सपीरियन्स हो । तो सर्विस में एक्सपीरियन्स्ड व्यक्तियों को रखा जावे, कांस्टीटयूशन यह मानकर चलता है, यह मेन्डेटरी है, नॉन आॅफिशियल्स के लिये प्रोविज़न नहीं किया है, सर्विस वालों के लिये किया है...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): रिटायर्ड हैंड्स को क्यों रखते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आम तौर से पी० एस० सी० में किया जाता है । सर्विसेज में से रिटायर्ड को अपोइन्ट करने की मनाई नहीं है, सर्विसेज वालों को भी कर सकते हैं । आम तौर से रिटायर्ड में से ही किया जाता हो ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि एक बार रिटायर किया जाता है उसके बारे में कोई यह समझले कि वह ऐसा एक्ट करेगा कि दूसरों के साथ पक्षपात करेगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा समझना उस व्यक्ति के प्रति अन्याय होगा । साथ ही साथ मैं अर्ज करूंगा कि रिएम्प्लोयमेंन्ट न देना पड़े इस तरह की नीति अपनाना चाहते हैं लेकिन किसी व्यक्ति को एम्प्लोयमेंट देने से जिस पोस्ट पर रिएम्प्लोयमेंट दी जाती है उसके लिये वही ज्यादा उपयुक्त है, दूसरा व्यक्ति उपयुक्त नहीं हो सकता तो रिएम्प्लोयमेंट देने की बात करते हैं ।

डॉक्टर्स के लिये कहा गया कि हमने आॅनरेरी बना दिया । मैं निवेदन करूंगा कि आॅनरेरी डॉक्टर्स बनाने का सिलसिला हमारे यहां कम है लेकिन दूसरी जगह बहुत होते हैं काफी लोगों को आॅनरेरी काम करने के लिये कहा जाता है । हमने डॉक्टर हैलिंग को आॅनरेरी डाक्टर रखा, वे बाहर जा रहे थे हमने उनको कहा यहीं रहें, आॅनरेरी डॉक्टर के तौर पर होस्पिटल से अटेच्ड रहें तो ज्यादा अच्छा होगा । मैं समझता हूं समय

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की गति के साथ सर्विस का पीरियड पूरा हो जाता है तो ऑनरेरी रखते हैं तो किसी को कम्पलेंट नहीं होनी चाहिये। वह पैसा लेते हैं दवाई के लिये तो कोई उनसे लेना चाहें तो लें नहीं लेना चाहें तो नहीं लें। दूसरे आदमी स्टाफ पर हैं उनको भी साथ में रखा जाता है। यह तो उनसे लाभ ज्यादा मिल सके इस आधार पर नियुक्ति की गई है। इसके अन्दर रीएम्प्लोयमेंट के द्वारा पक्षपात की बात नहीं है। लेकिन आम तौर से डॉक्टर्स के बारे में हमारी यह नीति है कि वे उपलब्ध हो सकें, वे रूरल एरियाज़ में जाने को तैयार हों तो उनको रीएम्प्लोयमेंट आम तौर से देना चाहिये क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है।

हमने डिग्री हैंड्स और प्रोफेसर्स के लिये भी इस नीति को अपनाया है जो लोग रिसर्च करते हैं, लिखते हैं उनको एक्सटेन्शन दे दिया जाय, ५८ साल तक ६० साल तक दे दिया जाय, उनको पे भी दी जाय। आखिर सारी चीजों का उद्देश्य यह है कि चाहे रीएम्प्लोयमेंट हों, चाहे ऑनरेरी रखें, किसी व्यक्ति से लाभ ज्यादा से ज्यादा समय तक समाज को कैसे पहुंच सके।

इसी तरह से टेक्निकल हैंड्स, इन्जीनियर्स का रिएम्प्लोयमेंट किया जाता है जिससे कि उनकी सलाह से लाभ मिल सके और ज्यादा लाभ उठा सकें।

अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई ओवरसियर है जिनको सजा हुई थी और सजा होने के बाद उनको सर्विस में रख लिया गया है, जेल का सर्टिफिकेट मिला, जेल में अच्छे रहे। मैं समझता हूं यदि रखा गया है तो गलत है, नहीं रखना चाहिये था। हमारे सम्बन्धित मंत्रीजी इसकी जानकारी करके जो फैक्ट्स बताये हैं वे सही हैं तो आगे डिसिप्लेनरी एक्शन लिया जायगा और किसी को शेल्टर करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह भी कहा गया कि यह रिपोर्ट दसवीं प्रस्तुत की है वह ६०–६१ तक की है। इसके बाद की ६२ की रिपोर्ट पेश किस वक्त हो सकती है, इसमें यह विलम्ब हुआ यह ठीक बात है। सदन में ध्यान आकर्षित किया है, मैंने भी कहा इसको पेश करना चाहते है मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट अभी जो प्रस्तुत हुई है उसके आगे की रिपोर्ट पब्लिकेशन में है दो चार रोज में तो आ नहीं सकती लेकिन अगले सेशन के मौके पर प्रस्तुत कर दी जायेंगी और जो पिछली कमी रह गई है वह पूरी हो सकेगी और हर साल रिपोर्ट पेश हो सके ऐसा प्रयत्न करना चाहते हैं। इसमें कमी रहे यह हमें स्वयं को उचित नहीं लगता और न हम चाहते हैं कि इसमें कमी आवे।

मैं, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन चीजों का जिक्र किया, उनमें पड़ूं, मैं आवश्यक नहीं समझता। अगर एडीशनल कलेक्टर के तौर पर उन्होंने एक रुख अख्तियार किया तो वे तारीफ के काबिल है। मैं यह कह कर चल सकता हूं कि उनके प्रति किसी की दुर्भावना नहीं है। इस वजह से कि उन्होंने निष्पक्ष रुख रखा, वे त्याग पत्र देना चाहें और छोड़ कर जाना चाहें तो उसकी तो आवश्यकता नहीं कि इस वजह से छोड़

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कर जायं। इसके अलावा और कारण हों और वे काम नहीं करना चाहते हों तो वह अलग प्रश्न है। उसके बारे में मैं और कुछ कहूं, उसकी आवश्यकता नहीं है ......

श्री भैरोंसिंह : इनकी दुर्भावना है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने पहले निवेदन किया था बहस के दौरान में कि आई. ए एस. और आई. पी. एस. का प्रोमोशन होता है, उसके अन्दर जो, कान्फीडेंशियल रिकार्ड अलग अलग ऑफिसर का होता है, मूलतः प्रोमोशन कान्फीडेंशियल रिकार्ड के आधार पर होता है और जो सिलेक्शन कमेटी होती है,उसके अन्दर यू. पी. एस. सी. के प्रतिनिधि आते हैं और वे जो सिफारिश करते हैं उसके आधार पर फैसला हुआ करता है......

श्री मानसिंह महार (आमेर) : जो एडवर्स रिमार्क्स होते हैं वे निकाल लिये जाते हैं, इसका इंतजाम कीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एडवर्स रिमार्क के लिए पोजीशन यह है कि रूल्स के मुताबिक एडवर्स रिमार्क्स के सम्बन्ध में सम्बन्धित ऑफिसर को सूचित किया जाता है। सूचित करने के बाद माकूल जवाब आता है तो और निकाल दिया जाता है। और किसी तरीके से रिमार्क निकाल दिये जाते हों तो वह मेरी जानकारी में नहीं है......

श्री मानसिंह महार : कमीशन के सामने रिकॉर्ड जाता है, उसमें जो एडवर्स रिमार्क होते हैं, उसके एक दो कागज निकाल लिये जाते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं नहीं समझता कि इस तरह निकाल सकते हैं क्योंकि हर साल का कान्फीडेंशियल रिकॉर्ड एक कागज पर होता है। इसलिए दो तीन कागज निकालने की बात नहीं होती है। हो सकता है कि एक साल का रिकॉर्ड पेश नहीं हो, लेकिन उसका यूज नहीं है क्योंकि यू. पी. एस. सी. के और दूसरे मेम्बर उसको पूरी कम्प्लीट रिपोर्ट नहीं समझते, जैसा कि आप समझते है कि एक कागज को हटा कर उसके आधार पर फैसला किया जा सकता हो, वह नहीं हो सकता।

मैंने, जो बातें यहां आई, उनके लिए निवेदन किया, मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यू. पी. एस. सी. के न्याय, जैसा मैंने आपसे कहा, के हम हामी हैं और जो कॉन्स्टीट्यूशनल मेथड्स हैं, उनको सामने रखते हुए हमेशा विचार करते हैं और आगे भी विचार करते हुए चलेंगे और जितना हो सके, टेम्पोरेरी अपाइन्टमेंट कम हो, इर्रेगुलेरिटीज कम हों, उन बातों को करना चाहते हैं। लेकिन टेम्पोरेरी अपाइन्टमेंट्स बहुत सी बार, क्योंकि प्लान की कई पोस्ट्स हैं, दिये बिना काम नहीं कर सकते, इसलिए करनी पड़ती है। उसके साथ ही साथ अब हमने सरकूलर निकाला है कि अगर हम कोई टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेंट करते हैं तो साथ ही साथ हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट रिक्वीजीशन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दें, जिस पोस्ट के लिए टेम्पोरेरी अपाइन्टमेंट किया जाता है, उसके सम्बन्ध में जिससे पब्लिक सर्विस कमीशन में भी साथ ही साथ कार्यवाही हो जाय और उसमें डिले नहीं हो। यह एक सेफगार्ड लिया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

गया है। मैं समझता हूं कि इससे ग्रौर जो ग्राज स्थिति है उससे भी ज्यादा सुधार हो, इसके लिए प्रयत्नशील रह कर प्रयत्न करेंगे।

श्री भैरोंसिह : लक्ष्मीलाल जोशी के लिए क्या गवर्नमेंट किसी लीगल एक्सपर्ट की राय सीक करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक हमारी जानकारी है, वह लीगली ठीक है। लीगली ग्रापको बताऊं कि स्टेट कन्सोलिडेटेड फंड से लेते हुए सेकन्डरी एजूकेशन के चेयरमैन नहीं हो सकते and we can get it further examined if ...

श्री भैरोंसिह : सीतलवाड़ा की ग्रोपिनियन......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सीतलवाड़ा की ग्रोपिनियन से काफी फर्क पड़ जाता है...

श्री भैरोंसिह : किसी सूरत में उस बात की रिपोर्ट नहीं है कि कन्सोलिडेटेड फंड से लेते हैं। उन्होंने टेम्पटेशन ग्रौर रीएम्प्लोयमेंट के बारे में डिसीजन दिया है कि किसी प्रकार का टेम्पटेशन ग्राता हो, वह किसी ग्रलग रूप में हो या वेतन रूप में हो तो वह नहीं किया जा सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सरकार के द्वारा जो टेम्पोरेरी ग्रपाइन्टमेंट किये जाते रहे हैं, वे एक हजार से ज्यादा तादाद के होंगे, जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक्सटेन्शन न दिये जाने के कारण तनख्वाह नहीं मिलती। मैं चाहूंगा कि सरकार माकूल व्यवस्था करे। क्योंकि जो टेम्पोरेरी सर्विस में हैं, जैसे पर्टीक्यूलरली डॉक्टर्स का टेम्पोरेरी ग्रपाइंन्टमेंट किया गया है, सैंकड़ों डॉक्टर्स ऐसे हैं, जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको दो तीन माह से तनख्वाह मिले बिना हो गये।

श्री भैरोंसिह : ग्राठ ग्राठ माह से नहीं मिल रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनको तनख्वाह देने के ग्रादेश जारी कर दिये गये हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन को निवेदन किया है कि हैड्स ग्रॉफ दि डिपार्टमेंन्ट को कह दें कि वे ऐसे केसेज रेफर कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकमन्ड कर दिया उन्होंने लिख दिया है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जवाब नहीं देती है। बीकानेर के मेडीकल कॉलेज के सम्बन्ध में जो पोस्ट बताई गई है, उनका गवर्नमेंट जवाब दे जब उनकी मंजूरी कर सकें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि उसका जवाब दे चुके होंगे। मुझे एक एक पोस्ट का मालूम नहीं है। एक साल पहले का है तो चला गया होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : ग्रभी तक नहीं दिया है। १९५९ से ग्रब तक फाइनल नहीं हुग्रा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसकी ग्रौर जानकारी करके कह सकता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर) : इलेक्शन के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, उसका कब तक पेमेंट हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि जो टेम्पोरेरी एम्प्लोईज हैं, जिनको तनख्वाह नहीं मिली है, उनके लिए ज्यादातर जगह के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं और तनख्वाह दे दी जायगी। उसके साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वीजीशन नहीं भेजा गया है तो वह भी भेज दिया जायगा और यह रिक्वेस्ट की गई है कि परमानेन्टली सिलेक्शन करके कर दें।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : इलेक्शन डिपार्टमेंट के स्टाफ को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ अटेच किया है, उसकी क्या अहमियत है जिससे वह कर दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी न रह कर इस प्रदेश की जनभाषा का आदर करके हिन्दी की जाय और इस सम्बन्ध में सरकार निर्णय ले और अगर हिन्दी नहीं की जाय तो हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों साथ रहें तो सुन्दर बात होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जानकारी के अनुसार केवल अंग्रेजी ही सबके लिए हो ऐसा आवश्यक नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : इलेक्शन स्टाफ की बाबत फरमा दीजिये कि उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से क्यों अटेच किया है ?

श्री भैंरोंसिंह : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान पब्लिक सर्विस कमीशन......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने आपकी बात का पब्लिक सर्विस कमीशन से ताल्लुक नहीं समझा।

श्री भैंरोंसिंह : पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में है कि सीकर ठिकाने की सर्विसेज का इन्टिग्रेशन नहीं हुआ। इसका जिक्र आया है, यह बात बहस में नहीं आ सकी। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक ठिकाना जो १९५७ में राज्य में शामिल हो गया, उसकी सर्विसेज का अभी तक इन्टिग्रेशन नहीं हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में भी है कि उसके इन्टिग्रेशन की कार्यवाही जल्दी से जल्दी करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही समाप्त हो गई।

सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४ बज कर ५५ मिनट पर बुधवार, दिनांक १७ अक्टूबर, १९६२ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, दिनांक १६ अक्टूबर, १९६२)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ११९१

सरकारी विज्ञापन

पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिये होस्टल।

सड़क निर्माण।

जंगलात का रकबा।

गृह कर।

सवाई माधोपुर से जयपुर तक बड़ी लाइन।

सांचोर सब-जेल की इमारत की मरम्मत।

नारायण सागर परियोजना का निर्माण कार्य।

हरिजन परिवारों को मकान हेतु जमीन।

किशनगढ़ में नई सड़कें।

ग्राम चोरवसई में बांध।

स्टेट रोडवेज की गाड़ियां।

गंगानगर में ड्रेनेज योजना।

पुलिस द्वारा गोली चलाने के मामले।

स्तम्भ

अस्पताल में खराब दूध।

जयपुर से भरतपुर की बसें सिकराय होकर।

सड़क तथा खुर्रे का निर्माण।

विजयसागर बांध की मोरियां।

हिसाब की जांच।

राजस्थान में मीटर किराया।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का स्थान।

स्लाटर हाउसेज के बाइ-लॉज में संशोधन।

तालाबों की मरम्मत

सड़क की मरम्मत।

सुजानगढ़, नगरपालिका को सबसिडी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में पांच हजार से अधिक की आबादी वाले ग्रामों को सड़कों से जोड़ना।

नगरपालिका, पाली द्वारा क्रय।

आसुधार शुल्क।

सड़क की मरम्मत।

म्युनिसिपल बोर्ड, पाली।

हत्या के सम्बन्ध में गिरफ्तारी।

स्कम्भ

२. स्थगन प्रस्ताव

जिला बांसवाड़ा में अनावृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाने एवं उसमें कीड़े लग जाने के बारे में श्री हीरा भाई, सदस्य विधान सभा के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु, श्रीमती कमला बेनीवाल, उप-मंत्री, अकाल सहायता विभाग ने एक वक्तव्य दिया।

३. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

श्री भीमसेन, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत ग्राम खियेंरा, तहसील लूनकरनसर में डाकुओं की हलचल रोकने के लिये एक पुलिस चौकी की स्थापना की आवश्यकता की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री ने इस संबंध में वक्तव्य दिया।

४. गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री ने ग्राम बसाई नवाब में डाकुओं द्वारा लूटपाट करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

स्कम्भ

५. राजस्थान जन-सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन पर विचार

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:–

"राजस्थान जन-सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन पर, जिसकी प्रति दिनांक, ४ मई, १९६२ को सदन की मेज पर रखी गई थी, विचार किया गया।"

वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:–

१. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।
२. श्री मुरलीधर व्यास।
३. श्री रामानन्द अग्रवाल।
४. श्री जयकिशन।
५. श्री मानसिंह महार।
६. श्री भैरोंसिंह।
७. श्री गिरधारीलाल व्यास
८. श्री अब्दुलजब्बार।
९. श्रीमती नगेन्द्र बाला।
१०. श्री दुर्गालाल बाढदार।
११. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।
१२. श्री ज्वाला प्रसाद।
१३. श्री मानिकचन्द सुराणा।

बहस का उत्तर मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा दिया गया।

सदन की बैठक ४ बजकर ५५ मिनट पर बुधवार, दिनांक १७ अक्टूबर, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक १७ अक्टूबर, १९६२
की
कार्य-सूची

१. राजस्थान निधि निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापन)

२. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कोर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन (१९५९-६०) पर विचार।

३. राज्य कर्मचारियों की वेतन शृंखलाओं सम्बन्धी रावत कमेटी के प्रतिवेदन पर विचार।

[redacted]

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६२ का उत्तर देखिये)

Statement showing the Amount of Advertisements paid to the News Papers during April 1961 to 31st March 1962.

Sl. No.	Name of Paper	Place	Amount
1	2	3	4
NEWS PAPERS (RAJASTHAN)			
1	Lokwani	Jaipur	11,749'30
2	Rashtradoot ..	,,	5,603'50
3	Navyug	,,	15,786'00
4	Rajasthan Patrika	,,	10,824 00
5	Mashal	,,	11,383'01
6	Navjyoti	,,	21,020 76
7.	Amerjyoti	,,	4,462'50
8.	Adhikar	,,	4,650'00
9.	Rajasthan Chronical	,,	3,784'75
10.	Panch	,,	573'37
11.	Deshdoot	,,	3,148'00
12.	Samridhi	,,	8,885 00
13.	Vikas Kiran	,,	6,000'00
14.	Bharti	,,	840 00
15.	Samaj Kalyan ..	,,	3,550'00
16.	Miscellance	,,	480'00

1	2	3	4
17.	Maruvani	Jaipur	300·00
18.	Rashtra Bhasha	,,	500·00
19.	Amar Rajasthan	,,	11,598·00
20.	Jwala	Ajmer	5·00
21.	Hindu	,,	132·00
22.	Meera	,,	716·50
23.	Darbar	,,	849·50
24.	Azad	,,	349·50
25.	Janta	,,	49·50
26.	Rashtravani	,,	901·50
27.	Matra Bhoomi	,,	225·26
28.	Railwayman	,,	73·50
29.	Lahar	,,	2,750·00
30.	Right Views	,,	66·00
31.	Alwar Patrika	Alwar	5,182·00
32.	Rajasthan Times	,,	2,545·00
33.	Navyug Bandesh	Bharatpur	570·00
34.	Awaz	,,	507·50
35.	Praja Bhandar	Sikar	Bill not Recd.
36.	Praja Sewak	Jodhpur	4,080·00
37.	Lalkar	,,	3,463·75
38.	Jwala	,,	5,735·00
39.	Lokjeewan	,,	4,047·00
40.	Hindu Sandesh	,,	584·50

[redacted]

1	2	3	4
41.	Raildoot	Jodhpur	67·75
42.	Jangan	,,	3,124·50
43.	Aspect	,,	Bill not Recd.
44.	Marwar Times	,,	,,
45.	Karsani	,,	,,
46.	Sahkar Sammead	,,	1,150·00
47.	Senani	Bikaner	4,515·58
48	Ganrajya	,,	3,673·37
49.	Lokmat	,,	2,004·00
50.	Vartaman	,,	76·50
51.	Seema Sandesh	Ganganagar	2,084·00
52	Times of Rajasthan	Bikaner	1,125·78
53.	Gram Sandesh	Ganganagar	50·00
54.	Navjeevan	Udaipur	16,425·00
55.	Kolahal	,,	2,570·00
56.	Pragati	,,	1,570·00
57.	Pratap	,,	472·50
58.	Vishal Rajasthan	,,	8,649·00
59.	Rajasthan	,,	4,131·73
60.	Jan Shakti	,,	132·00
61.	Pukar	,,	2,044·00
62.	Hamara Rajasthan	,,	2,555·00
63.	Lok Jeewan	Bhilwara	4,457·75
64.	2nd October	,,	355·50

1	2	3	4
65.	Arawali	Udaipur	606'25
66.	15th August	,,	...
67.	Hamara Rajasthan	,,	45'00
68.	Kar Aur Vanijya Patrika	,,	...
69.	Lalkar	Chittorgarh	2,668'65
70.	Lok Nirman	Kota	1,741'21
71.	Kisan Sandesh	,,	1,423'00
72.	Janvani	,,	1,596'50
73.	Dharti ka Lal	,,	88'00
74.	Janta ki Awaz	,,	791'70
75.	Sanjaya	Jhalrapatan	675'24
76.	Rajasthan	Bundi	1,905'00
		TOTAL	2,30,745'71

NEWS PAPERS (OUTSIDE RAJASTHAN)

1.	Hindustan Times	New Delhi	41,123'18
2.	Times of India	,,	44,835'20
3.	Indian Express	,,	15,045'25
4.	Statesman	,,	21,121'45
5.	Hindustan	,,	4,137'75
6.	Nav Bharat Times	,,	3,581'50
7.	Amirt Bazar Patrika	Calcutta	3,388'00
8.	Free Press Journal	Bombay	648'00
9.	Tribune	Ambala	1,345'02

1	2	3	4
10.	Hindu	Madras	10,672·25
11.	New Sketch	Dhanbad	857 20
12.	Vishwamitra	Calcutta	255·00
13.	"	Bombay	50·00
14.	Nagpur Times	Nagpur	...
15.	Amar Ujjala, Agra	Agra	...
16.	Mail	Madras	875·40
17.	Milap	Delhi	231·00
18.	Akali Patrika	Jullundhar	130·00
19.	Leader	Allahabad	19·00
20.	Pratap	Delhi	48·00
21.	Pratap	Jhullundhar	...
22.	Taj	Delhi	240·00
23.	Northern Indian Patrika	Allahabad	291·05
24.	Ajj	Banaras	90·00
25.	Pratap	Kanpur	230·00
26.	Bharat	Allahabad	50·00
27.	Searchlight	Patna	168 00
28.	Indore Samachar	Indore	14 00
29.	Swantantra Bharat	Lucknow	122·25
30.	Sainik	Agra	636·27
31.	Khalsa Sewak	Delhi	557 20
32.	Sandesh	Ahmedabad	90·00
33.	Veer Arjun	Delhi	264·00

1	2	3	4
34.	Prabhat	Ahamedabad	560'00
35.	Nai Dunia	Indore	...
36.	Pioneer	Lucknow	...
		TOTAL	1 51,711'97
	SOUVENIR (OUTSIDE RAJASTHAN)		
1.	Indian Worker		450'00
2.	Publicity Sub Committee		150'00
3.	All India Audit Association		150'00
4.	Parliamentary Times		300'00
5.	Nari Samaj		125'00
6.	Sun Shine		330'00
7.	Souvenir of Jagjiwan		500'00
8.	Sevagram		1260'00
9.	Madras Union of Journalist		300'00
10.	Congress Sandesh		75'00
11.	Bak Sahitya		200'00
12.	Vishwakarma		600'00
13.	Jyotismati		70.00
14.	Shanker's Weekly		650 00
15.	Indian News and Feature Allience		500'00
16.	Panchayat Weekly		250'00
17.	Handicrafts International		175'00
18	Tour India International		170'00
19.	Bharat 1961-A reference Annual		100'00

1	2	3	4
20.	Souvenir, Sikh Federation		300'00
21.	Sarasvati		250'00
22.	Traveller in India		300'00
23.	Prayag Patrika		150'00
24.	Narmada		200'00
25.	Sampada		800'00
26.	Marg Bombay		625 00
27.	Carvan		300'00
28.	Spokesman		400'00
29.	Sanmarg		250'00
30.	Fateh Weekly		625'50
31.	Indian Hoteliar and Caterer		500'00
32.	Zindgi		42'50
33.	Indian Armed Forces		250'00
34.	World Confederation of Organisation of the Teaching Profession		500'00
35.	Malagala Manorama		150'00
36.	Forteen years		400'00
37.	Bharati		150'00
38.	Gyan Bharati		250'00
39.	Madras Reporter		150'00
40.	Westrial News		750'00
41.	Kerala Weekly		375 00
42.	Jyotis Vigyan		299'50
43.	Nagarjun		300'00

1	2	3	4
44.	Gyanodaya		250'00
45.	Govind Ballabh pant Trust		200'00
46.	Civic Affairs		120'00
47.	Moti Lal Nehru Century		5000'00
48.	Delhi Guide		50'00
49.	Yojna		603'00
50.	Indian Adult Education Association		375'00
51.	Bharat Kala		300'00
52.	Photo Flash		310'00
53.	Indian National Trade Union Congress		337'50
54.	Samaj Vikas		1150'00
55.	India Weekly		600'00
56.	Link		700 00
57.	Topic		200'00
58.	Savdhan		325'00
59.	Chitramim Jagat		400'00
60.	Matribhoomi		375'00
61.	Working Journalist		775'00
62.	Sher-I-Punjab		400'00
63.	Sanik Samachar		673'25
64.	Central Bharat Sewak Samaj		336'00
65.	Vishwajyoti		75'00
66.	Redical Humanist		160'00
67.	Young Farmers Association		1000'00

1	2	3	4
68.	All India Boy Scouts Association		125·00
69.	Jagar, Weekly		400·00
70.	Rajasthan Standard		750·00
71.	Gandhi Marg		255·00
72.	Indian National Congress		400·00
73.	Arun Prakashan		500·00
74.	Qumi Akta		400·00
75.	Indian Council of Agricultural Research		297·50
76.	Bharat Sadhu Samaj		800·00
77.	Hindi Times		800·00
78.	Hislop College		150·00
79.	Army Horse Show		200·00
80.	Indian Railway Annual		278·00
81.	Redical Humanist		320·00
82.	Baharat Feature Service		600·00
		TOTAL	35,692·44

SOUVENIR (RAJASTHAN)

1.	Jai Club		2,500·00
2.	Bharat Sewak Samaj		1,760·00
3.	International Homes in India		800·00
4.	Samaj Kalyan		1,000·00
5.	4th National Wrestling Championship		400·00
6.	Rajasthan Tarun Kalakar Parishad		2,200·00

1	2	3	4
7.	Kala Bharti		4050·00
8.	Adrash Kala Mandal		100·00
9.	R. A. S. Association		550·00
10.	Sarvodya Sahitya Samaj		1,000·00
11.	All India Panchayat Parishad		5,000·00
12.	Banipark Bal Nikatan		800·00
13.	Mohan Lal Sukhadia Gold Cup Football Tournament		2,500·00
14	P. & T, Recreation Club		200·00
15.	Amatuer Artists Association		300·00
16.	Samaj Sikshan		60·00
17.	Honeyman Samarika		300·00
18.	Anamika Prakshan		350·00
19.	Rajasthan State Bharat Scouts & Guide		640·00
20.	Rajasthan Vikas Panchayat Deptt.		4,400·00
21.	Kavi Gulnar		250·00
22.	11th Annual Conf. of the Anatomical Society		350·00
23.	Cultural Society of Rajasthan		400·00
24.	Vayapar Samachar	Jaipur	1,000·00
25.	Indian Red Cross Society	,	600·00
26.	Trivani	,,	400·00
27.	Smarika, Rajasthan Rajya Sahakari Sangh		700·00
28.	Lok Kalyan Samati		225·00
29.	Ram Lila Samarika		800·00
30.	Sardar Patel Football Tournaments, Souvenir		500·00

1	2	3	4
31.	Agragami		80·00
32.	Saraswati Panchang		150·00
33.	Kala Sangam		500·00
34.	Rajasthan Cricket Association		1,500·00
35.	Natya Sangh		1,200·00
36.	Rajasthan Working Journalist Union		1,000·00
37.	Rastra Bhasa		200·00
38.	Bal Vikas		500·00
39.	14th Annual Conf. of Otolargayologist		800·00
40.	Khel Kood		250·00
41.	Rajasthan State Amature Athletic Association		1,000·00
42.	Bal Shaka Parichaya		1,000·00
43.	Post & Telegraphs		700·00
44.	Sahkar Sanwad		400·00
45.	Social Service League		800·00
46.	Youth Sub Committee		800·00
47.	Deptt. of Political Science		500·00
48.	Rajasthan Vikas Smarika		1,000·00
49.	Rajasthan Panchayat Code		2,000·00
50.	Maha Rudra Souvenir		500·00
51.	Rajasthan Bhasa Prachar Sabha		1,000·00
52.	Rajasthan Student Association		100·00
53.	Film Federation of India		800·00
54.	Marwari Sammalan		60·00
55.	Rajasthan Bhasha Prachar Sabha		900·00
56.	Vishwa Vijay		468·00
57.	Rajasthan Secretariat Club		600·00
		TOTAL	52,943·00
		GRAND TOTAL	4,71,093·12 nP.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७४ का उत्तर देखिये)

किशनगढ़, रूपनगढ़ तथा अराई तहसील में जो कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में किये जाने को हैं।

१. अराई सखार रोड़।

२. अराई से थीहारी रोड़।

३. मोहनपुरा से किशनगढ़ रोड़।

४. किशनगढ़, रूपनगढ़, करकेरी रोड़।

५. लाम्बाहरिसिंह से अराई रोड़।

६. क्रोस ड्रिनेगवर्क्स अराई सखार रोड़।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७६ का उत्तर देखिये)

Statement Showing the yearwise profit earned by the Rajasthan State Roadways.

Name of Depot	1959-60	1960-61	1961-62
Jaipur ...	40,972	1,05,629	(—) 1,60,905
Ajmer ...	—	2,04,373	63,648
Sirohi ...	75,445	* 1,35,803	63,305
Abu-Road ...	83,181	* 47,889	21.333
TOTAL ...	1,99,598	4,93,694	(—) 12,614

P. S. :—* Includes Rs. 51,357/— & 27,675/— on account of the sale proceeds of 15 & 7 vehicles of Sirohi & Abu-Road Depots respectively.

NORATN MAL
General Manager,
Rajasthan State Roadways,
Jaipur.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या. १८४ का उत्तर देखिये)

Meter Rents Charged in Different Cities in Rajasthan

Size		½"	¾"	1"	1½"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
Jodhpur	..	0·87	1.12	1.50	2·31	4.12	5·37	6.25	6·75	7.50	8.0	15.0	25.0
Jaipur	...	0·50	1.0	1.25	2.75	3.25	—	7.50	10·0	—	—	—	—
Ramgarh	...	0·50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dausa	...	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alwar	...	0.75	1.0	1·50	2.75	3·75	—	—	—	—	—	—	—
Didwana	...	0.87	—	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Udaipur	...	1·0	1.0	1.0	1.0	1,0	—	—	—	—	—	—	—
Dungarpur	...	1.0	1·0	1 0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—
Bikaner	...	1·25	1·25	1.25	1·25	1·25	—	—	—	—	—	—	—
Kotah	...	0·62	0·87	1·0	2 5	2·5	—	4.0	5.5	—	—	—	—
Bhratpur	...	·75	1.25	1·75									
Tonk	...	·50	.75	1.00									

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६५ का उत्तर देखिये)

नक्शा विवरण वन क्षेत्र जो सन् १९५२ से १९६२ तक कम व अधिक हुआ कार्यालय, वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ तारांकित प्रश्न संख्या २५ आई० ए० एम० । प्रश्नकर्त्ता श्री अब्दुल जब्बार ।

क्र० सं०	नाम तहसील	वन क्षेत्र जो सन् १९५२ में था	वन क्षेत्र जो सन् १९६२ में है	कमी	बेसी	कमी बेसी का कारण
१	२	३	४	५	६	७
१.	चित्तौड़गढ़	१८२३० एकड़	८७६४६ एकड़	५८४ एकड़	--	गम्भीरी प्रोजेक्ट में डूबे एरिए के लोगों को बसाने हेतु रेवेन्यू विभाग को स्थानान्तरित किया गया ।
२.	निम्बाहेड़ा	१९८४१ एकड़	२२१७२ एकड़	—	२३३१ एकड़	जागीर रिज्युम होने से चार्ज में आया जिससे बेसी हुआ ।
३.	मदेसर					
४.	छोटी सादड़ी	३९६५३ एकड़	३८१७१ एकड़	१४८२ एकड़	--	रेवेन्यू में स्थानान्तरित हो जाने से कम हुआ ।

ह० उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १६ अक्टूबर, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
११९१	१४ व १५	**श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १६२**	**श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १६२**
११९२	६	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	१६२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	१०	जन-संपक	जन-सम्पर्क
,,	६व १४-१५	विज्ञापत	विज्ञापन
११९३	अन्तिम से २	विज्ञांपनों	विज्ञापनों
११९४	अन्तिम से ४	कई, बार	कई बार
११९७	१४	रिलेसन्स	रिलेशन्स
११९८	अन्तिम से २	जुडीसस	जुडीशियस
१२००	२२	विश्नोई	विश्नोई (सांचोर)
१२०२	२	तो डिस्ट्रिक्टवाइज	तो डिस्ट्रिक्टवाइज
१२०३	११	सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री	उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण
१२०५	७	(श्री कोलायत)	(कोलायत)
,,	अन्तिम पंक्ति	च हये	चाहिये
१२१०	१७	यदि हां	(२) यदि हां
,,	१८	श्री उपमंत्री	उप-मंत्री
१२१४	१८	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	१७२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१२१६	७	श्री अध्यक्ष । नेक्स्ट	श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट
१२२०	१०	की जांच	कि जांच
१२२५	शीर्ष	—	(श्रीमती कमला बेनीवाल)
१२२६	१२	परिशिष्ट ४	परिशिष्ट ३
१२२९	१०	गृह मंत्रो	गृह मंत्री
१२३०	१७	मजिस्ट्रेट्स	मजिस्ट्रेट्स
,,	२४	रिपोर्ट्स	रिपोर्ट्स
१२३९	अन्तिम पंक्ति	रिपोर्ट्स	रिपोर्ट्स
१२४०	अन्तिम से ३	परिशिष्ठ	परिशिष्ट

१	२	३	४
१२४६	१८	interpretaticn	interpretation
१२४७	१३	सी	शी
१२५५	शीर्ष	(श्री दिनेशराय डांगी)	—
१२५८	१६	किन किन	किन किन को
१२६२	२५	वास्ते के	के वास्ते
,,	२६	लोगों ने	लोगों में
१२६७	शीर्षक	घ्यानाकर्षित प्रस्ताव	स्थगन प्रस्ताव
,,	३	Order plese !!	Order please !!
१२६८	,,	गृह मंत्री का वक्तव्य	ध्यानाकर्षित प्रस्ताव
,,	१७	डकेंती	डकैती
१२६६	१७	डकती	डकैती
१२७०	२७	समभना हूं	समझता हूं
,,	२८	गजायश	गुंजायश
१२७१	१२	जायँगे	जायेंगे
,,	१६	श्री भेरौंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	,,	कभो	कभी
१२७२	४	पहुंघी	पहुंची
,,	३१	ऐक	एक
१२७४	२४	श्री मथुरादस	श्री मथुरादास
१२७५	शीर्षक	रा. ज. से. आयोग	गृह मंत्री का वक्तव्य
१२८०	,,	दसव	दसवें
१२८४	२०	Commissien	Commission
१२८५	५	closc	close
१२८८	११	जायेंगे ।	जायेंगे
१२९४, १२६८, १३२४, १३२६	शीर्षक	दसव	दसवें
,,	अन्तिम से ४	त्राहता ।	चाहता ।
१२६६	१७	ओंर	और
१३०१	२०	वॉन्स्टीट्यूशन	कॉन्स्टीट्यूशन
१३०२	४	रहं	रहे

१	२	३	४
१३०३	१२	ऊेचा	ऊंचा
१३०७	१	ग्रॉफ	ग्रॉफ दी
१३१०	२७	कॉटेक्ट	कांटेक्ट
,,	अन्तिम से २	फैलेगा	फैलेगा
१३११	शीर्ष	(रामानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
,,	६	कांटेपट	कांटेक्ट
,,	१६	रीएम्पलीयमेन्ट	रीएम्प्लॉयमेन्ट
,,	२२	वेंसा	वैसा
१३१२	२०	देंगे	देंगे
१३१८	२७	श्री जयकृष्ण	श्री जयकृष्ण शर्मा
१३२१	शीर्षक	ग्रायोंग-१६ अक्टूबर	आयोग-१६ अक्टूबर
,,	५	ललचता	ललचाता
,,	१४	ग्रॉफ	ग्रॉफ दी
१३२२	२७	माननोंय	माननीय
१३२३	४	कंहूागा	कहूंगा
१३२७	२४	अचार्य	ग्राचार्य
,,	२६	shonld	should
१३२८	अन्तिम से २	ग्रचार्य	ग्राचार्य
१३२९	२२	पब्लिक	पब्लिक
,,	अन्तिम से २	मंगार्थे	मंगाये
१३३२	४	चैयरमॅन	चेयरमैन
,,	१६	वकिंग	वकिंग
१३३७	२४	इोती	होती
१३३९	शीर्ष	(श्री भैरोसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
१३४० १३४२	शीर्षक	प्रनिवेदन	प्रतिवेदन
१३४१	६	उस बारे	उसके बारे
,,	११	जार्य	जायं
१३४२	१५	कहंग	कहेंगे
१३४४	२७ व ३२	सकूलर्स	सर्क्यूलर्स
,,	अन्तिम पंक्ति	इयू	इश्यू

१	२	३	४
१३४५	१४	करना	करना
१३४६	२८	ववश्चन	ववेश्चन
१३५१	१	बह	वह
,,	२७	लॅगे	लेगे
१३५७	२५	वगैरइ	वगैरह
१३६२	२६	वगैह	वगैरह
१३६८	१०	द्वारा	द्वारा
१३७२	२	निवेदत	निवेदन
१३६१	२५	भो भेजते।	भी भेजते।
१४१५	प्रथम	स्थगन प्रस्ताव	स्थगन प्रस्ताव १२६१
,,	१५	दिलाना	दिलाना १२६७
,,	अन्तिम से ५	गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य	गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य १२७५
१४१६	२	पर विचार	पर विचार १२७५
१४१८	४	निधि निरसन	विधि निरसन
१४३१	अन्तिम से ४	NORATN MAL	for Noratan Mal